[illegible]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1916 (श०)

(सं० पटना 287) पटना, बुधवार, 1 जून, 1994

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

1 जून, 1994.

सं0 एल० जी०-3-03185-लेज—167—बिहार विधान मंडल का निम्न-लिखित अधिनियम, जिस पर राष्ट्रपति 12 मई, 1994 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है—

बिहार अधिनियम 11,1994

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन)

अधिनियम 1993

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत-गणराज्य के चौवालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) यह अधिनियम बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 2 का संशोधन।—बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 37, 1982) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 2 में—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(घ) 'ईख उत्पादक' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो ईख की खेती या तो स्वयं करता हो या अपने परिवार के सदस्यों से या भाड़े के मजदूरों से कराता हो।"

(ii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(छ) 'ईख उत्पादक सहकारी समिति' से अभिप्रेत है वह समिति जिसका निबंधन बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन हुआ है तथा जिसका एक उद्देश्य अपने सदस्यों द्वारा ईख के उत्पाद का उत्थान कराना है।"

(iii) खंड (छ) के बाद निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(छ-1) 'ईख सहकारी संघ' से अभिप्रेत है ईख उत्पादक सहकारी समिति से सम्बद्ध कोई निकाय जिसका निबंधन बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन हुआ है।"

3. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 7 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) में अंक "62" के स्थान पर अंक "2" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 13 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा 13 में—

(i) उप-धारा (5) के खंड (ङ) में शब्द "के बारे में" के बाद शब्द "एवं अन्य कोई सुसंगत बात की" अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उप-धारा (5) के खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(ङ-1) किसी पुस्तक, लेखा या नगद/उधार लेखा से सम्बंधित अन्य लेखा की मांग कर सकेगा।

5. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 15 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"परन्तु यह कि लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट मात्रा में, उस पेराई-वर्ष में, ईख की उपलब्धता के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी।"

6. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 29 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा 29 में—

(i) उप-धारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "दखलकार" के बाद शब्द "या किसी सहकारी समिति का सचिव" और चतुर्थ पंक्ति में शब्द "दखलकार" के बाद शब्द "या सहकारी समिति का सचिव" विलोपित किये जायेंगे।

(ii) उप-धारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "दखलकार" के बाद शब्द "या सहकारी समिति के सचिव" और तृतीय पंक्ति में शब्द "दखलकार" के बाद शब्द "या सचिव" विलोपित किए जायेंगे।

(iii) उप-धारा (3) में शब्द "दखलकार" के बाद शब्द "या सहकारी समिति के सचिव" विलोपित किये जायेंगे।

7. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 31 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"परन्तु यह कि बिहार राज्य के बाहर अवस्थित कारखाने की दशा में, ऐसी घोषणा तभी की जायेगी जब ऐसे कारखाने का दखलकार ईख आयुक्त के पास, विहित प्रपत्र में यह अनुरोध करते हुए कि बिहार के भीतर अमुक क्षेत्र उस कारखाने को ईख आपूर्ति करने के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाय, एक आवेदन प्रस्तुत करें और ऐसी घोषणा इस शर्त्त पर की जायेगी कि ऐसा दखलकार बिहार राज्य में एक शाखा कार्यालय खोले और बिहार राज्य में किसी समाहर्त्ता के पास पाँच हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करें और उस क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद करने के लिए विहित प्रपत्र में वचनबद्ध करें।"

8. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 32 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 32 की—

(i) उप-धारा (1) में शब्द "या यदि वह आरक्षित क्षेत्र की किसी सहकारी समिति का सदस्य हो, तो ऐसी समिति के माध्यम से" विलोपित किये जायेंगे।

(ii) उप-धारा (2) में—

(क) शब्द "प्रत्येक ईख उत्पादक" के बाद अर्द्ध-विराम और शब्द "सहकारी समिति" विलोपित किये जायेंगे।

(ख) परन्तुक विलोपित किया जायेगा।

(iii) उप-धारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "ईख उत्पादक" के बाद शब्द "या सहकारी समिति" तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द "ईख उत्पादक" के बाद शब्द "या ऐसी सहकारी समिति या समितियों के सदस्यों द्वारा" विलोपित किये जायेंगे।

(*iv*) उप-धारा (4) के परन्तुक (*i*), (*iii*) और (*iv*) विलोपित किये जायेंगे और परन्तुक (*ii*) पहला परन्तुक हो जायेगा ।

(*v*) उप-धारा (7) में—

(क) शब्द "ईख उत्पादक" के बाद शब्द "या सहकारी समिति" विलोपित किये जायेंगे ।

(ख) परन्तुक में प्रथम पंक्ति में शब्द "ईख उत्पादक" के बाद शब्द "या सहकारी समिति" विलोपित किये जायेंगे ।

(*vi*) उप-धारा (8) का परन्तुक विलोपित किया जायेगा ।

9. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 32 के बाद एक नई धारा का अन्तःस्थापन ।—उक्त अधिनियम की धारा 32 के बाद निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा:—

"32. घ ।—प्रतिकर का भुगतान ।—यदि आरक्षित क्षेत्र में ईख अक्रयनित रहती है, तो ईख आयुक्त द्वारा सम्बद्ध दोनों पक्षों को सुने जाने का अवसर प्रदान करते हुए सम्यक् रूप से जांच-पड़ताल कर सम्बद्ध ईख उत्पादकों को प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा ।"

10. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 33 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 33 में खंड (ख) विलोपित किया जायेगा ।

11. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 35 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(1) कारखाने का दखलकार निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र में सभी ईख उत्पादकों, ईख आपूर्तिकर्त्ताओं या उन ईख उत्पादकों जो सहकारी समिति के सदस्य हैं ; की एक पंजी विहित प्रपत्र में रखेगा, यथा:—

(क) धारा 31 के अन्तर्गत कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र, तथा

(ख) कोई दूसरा क्षेत्र जहां से कारखाना ईख की खरीद करता हो ।"

12. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 39 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में शब्द "प्रत्येक यूनिट का स्वामी" के बाद अर्द्धविराम एवं शब्द "प्रत्येक सहकारी समिति का सचिव" विलोपित किये जायेंगे ।

13. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 40 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 40 में शब्द "कारखाना का दखलकार" के बाद शब्द "या सहकारी समिति" विलोपित किये जायेंगे ।

14. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 41 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 41 में—

(i) उप-धारा (1) में शब्द "कारखाना का दखलकार" के बाद शब्द "सहकारी समिति की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति" विलोपित किए जायेंगे ।

(ii) उप-धारा (2) में—

(क) शब्द "कारखानों का दखलकार" के बाद अर्द्ध-विराम एवं शब्द "सहकारी समिति" विलोपित किये जायेंगे, और

(ख) शब्द "पच्चीस पैसे प्रति घंटे की" के स्थान पर शब्द "समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

15. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 42 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 42 में शब्द "ईख उत्पादकों" के बाद शब्द "या सहकारी समितियाँ" विलोपित किये जायेंगे ।

16. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 43 का संशोधन । —उक्त अधिनियम की धारा 43 में—

(i) उप-धारा (3) विलोपित किया जायेगा ।

(ii) उप-धारा (5) में शब्द, अंक एवं कोष्ठक "उप-धारा (2)" के बाद अंक और कोष्ठक और शब्द "उप-धारा (3)" तथा शब्द "कारखानों का दखलकार" के बाद शब्द "अथवा सहकारी समिति का सचिव या कोषाध्यक्ष अथवा ऐसी समिति की ओर से भुगतान का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति" विलोपित किये जायेंगे ।

17. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 44 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 44 में—

(i) उप-धारा (2) में शब्द "ईख उत्पादक" के बाद शब्द "सम्बद्ध समिति द्वारा यथा प्रस्तुत सूची के अनुसार" जोड़े जायेंगे ।

) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया , यथा:—

"(3) उप-धारा (3) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राष्ट्रीय या राज्य या चीनी विकास योजना के अधीन कोई अंशदायी स्कीम हो या केन्द्रीय सरकार की योजना हो, वहां, ईख उत्पादकों या ईख उत्पादकों के सहकारी समिति के सदस्यों के अंशदानों की वसूली उनके द्वारा निष्पादित एकरारनामा के आधार पर की जायेगी ।"

18. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 46 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में शब्द "ईख उत्पादक" के बाद शब्द "या सहकारी समिति" विलोपित किये जायेंगे ।

19. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 48 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 48 में —

(i) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखाने के दखलकार द्वारा या उनकी ओर से खरीदी गई ईख पर ऐसे दखलकार द्वारा देय कमीशन की राशि निर्धारित कर सकेगी और उसी तरह अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नये कारखाना के दखलकार को विहित अवधि तक ऐसा कमीशन के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी ।"

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत देय कमीशन विहित रीति से वसूल किये जायेंगे और राज्य सरकार, क्षेत्रीय विकास परिषद् और सहकारी समिति का हिस्सा निर्धारित कर सकेगी ।"

20. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 49 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा 49 में—

(i) उप-धारा (1) में—

(क) खंड (क) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पचहत्तर पैसा" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) खंड (ख) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पचहत्तर पैसे" प्रतिस्थापित किये जायेंगे

) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया
, यथा:—

3) उप-धारा (3) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राष्ट्रीय या राज्य या चीनी विकास योजना के अधीन कोई अंशदायी स्कीम हो या केन्द्रीय सरकार की योजना हो, वहाँ, ईख उत्पादकों या ईख उत्पादकों के सहकारी समिति के सदस्यों के अंशदानों की वसूली उनके द्वारा निष्पादित एकरारनामा के आधार पर की जायेगी।"

8. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 46 का संशोधन।—उक्त नियम की धारा 46 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में शब्द "ईख उत्पादक" द शब्द "या सहकारी समिति" विलोपित किये जायेंगे।

19. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 48 का संशोधन।—उक्त नियम की धारा 48 में—

(i) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, —

"(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखाने के कारद्वारा या उनकी ओर से खरीदी गई ईख पर ऐसे दखलकार द्वारा कमीशन की राशि निर्धारित कर सकेगी और उसी तरह अधिसूचना द्वारा सूचना में विनिर्दिष्ट नये कारखाना के दखलकार को विहित अवधि तक ऐसा शन के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।"

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत देय कमीशन विहित रीति से वसूल किये जायेंगे और राज्य सरकार, क्षेत्रीय विकास परिषद् और सहकारी समिति का हिस्सा निर्धारित कर सकेगी।"

20. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 49 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा 49 में—

(i) उप-धारा (1) में—

(क) खंड (क) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पचहत्तर पैसा" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ख) खंड (ख) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पचहत्तर पैसे" प्रतिस्थापित किये जायेंगे

(ii) उप-धारा (4) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पचहत्तर पैसे" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(iii) उप-धारा (4) के परन्तुक के द्वितीय पंक्ति में शब्द "मात्रा पर" के बाद शब्द "लेकिन किसी भी हालत में पाँच हजार रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं" अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

21. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 50 का संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) में शब्द "सहकारी समिति" के बाद शब्द "के किसी सदस्य" अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

22. बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा 60 का विलोपन ।— उक्त अधिनियम की धारा 60 विलोपित की जायेगी ।

1 जून 1994

सं0 एल० जी०-3-03185-लेज०—168—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राष्ट्रपति द्वारा 12 मई, 1994 को अनुमति बिहार ईख (आपूर्ति खरीद का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1993 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा—

[BIHAR ACT II, 1994]

THE BIHAR SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 1993

AN

ACT

To amend the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the forty-forth year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and commencement.*——(1) This Act may be called the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1993.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section 2 of Bihar Act 37 of 1982.*—In Section 2 of the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981 (Bihar Act 37, 1982) (hereinafter referred to as the said Act)—

(*i*) for clause (*d*) the following shall be substituted ; namely—

"(*d*) "Cane grower's, means a person who grows cane either by himself or by members of his family or by hired labours."

(*ii*) For clause (*g*) the following shall be substituted ; namely—

"(*g*) "Cane growers Co-operative Society" means a society registered under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Bihar Act 6 of 1935), one of the objects of which is to develop cane-grown by its members."

(*iii*) After clause (*g*) the following new clause shall be inserted ; namely:—

"(*g*-1) "Cane Co-operative Union" means any affiliated body of cane growers' Co-operative Society registered under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Bihar Act 6 of 1935).

3. *Amendment of Section* 7 *of Bihar Act* 37 *of* 1982—In clause (*e*) of sub-section(1) of Section 7 of the said Act, for the figure "62" the figure '2' shall be substituted.

4. *Amendment of Section* 13 *of Bihar Act* 37 *of* 1982.—In Section 13 of the said Act—

(*i*) In clause (*e*) of sub-section (5) after the word "therefor" the words "and any other relevant matter" shall be inserted.

(*ii*) After clause (*e*) of sub-section (5) the following new clause shall be inserted; namely—

"(e-1) call for any book, account or other account relating to cash/credit accounts."

5. *Amendment of Section* 15 *of Bihar Act* 37 *of* 1982.—For the proviso of sub-section (1) of Section 15 of the said Act, the following shall be substituted ; namely—

"Provided that the quantity specified in licence may be enhanced with the availability of the cane during the relevant crushing year."

6. *Amendment of Section* 29 *of Bihar Act* 37 *of* 1982.—In Section 29 of the said Act—

(*i*) In the second line of sub-section (1) after the word "factory"the words "or the Secretary of a Co-operative Society" and in the sixth line after the word "factory or the Secretary of the Society" shall be deleted.

(*ii*) In sub-section (2) after the word "factory" the words "or the Secretary of the Co-operative Society)"

and after the word "occupier" the words "or Secretary" shall be deleted.

(iii) In sub-section (3) after the words "factory" the words "or the Secretary of the Co-operative Society" shall be deleted.

7. *Amendment of Section* 31 *of Bihar Act* 37 *of* 1982.—In the said Act for the proviso to sub-section (1) of Section 31 the following shall be substituted, namely :—

"Provided that in case of a factory situated outside the State of Bihar, such declaration may be made only when the occupier of such factory makes an application to the Cane Commissioner requesting him in the prescribed form that certain area in Bihar may be reserved for supply of Cane to the factory and such declaration shall be made on the condition that such occupier shall establish a Branch office in the State of Bihar and deposit a sum of rupees five thousand as security to a Collector in the State of Bihar and gives an under taking in the prescribed form to purchase of cane grown in the area."

8. *Amendment of Section* 32 *of Bihar Act*. 37 *of* 1982.—In section 32 of the said Act:—

(*i*) In sub-section (1) the words "or if he is a member of a Co-operative Society of the reserved area, through such society", shall be deleted ;

(*ii*) In sub-section (2)—

(*a*) after the words "Every Sugarcane growers" the comma and words, "Co-operative Society" shall be deleted,

(*b*) the proviso shall be deleted;

(*iii*) In sub-section (3) in the first line after the word "Cane grower" the words "or a Co-operativ Society" and in the forth line after the words "Cane grower" the words "or by the member of Co-operative Society or Societies" shall be deleted.

(*iv*) The proviso (*i*), (*iii*) and (*iv*) of sub-section (4) shall be deleted and proviso (*ii*) shall be the first proviso.

(v) In sub-section (7)—

(a) after the words "Cane grower" the words "or a Co-operative Society" shall be deleted.

(b) In the proviso in the first line after the words "cane grower" the words "or a Co-operative Society" shall be deleted.

(vi) The proviso to sub-section (8) shall be deleted.

9. *Insertion of a new Section after Section 32 of the Bihar Act 37 of 1982.*—After Section 32 of the said Act, the following new Section shall be inserted, namely—

"32-A-*Payment of Compensation*—If cane remains undisposed in reserved area, the order for payment of compensation to the cane growers concerned shall be made after due enquiry by the Cane Commissioner after giving an opportunity of being heard to both the parties concerned."

10. *Amendment in Section 33 of Bihar Act 37 of 1982.*—The Clause (b) of Section 33 of the said Act shall be deleted.

11. *Amendment of Section 35 of Bihar Act 37 of 1982.*—For sub-section (1) of Section 35, the following shall be substituted, namely—

"(1) The occupier of a factory shall maintain, in the prescribed form, a register of all cane growers, supplier of cane or cane growers who are members of the Co-operative Society in each of the following areas ; namely—

(a) the area reserved for the factory under section 31, and

(b) any other area from which the factory may purchase cane."

12. *Amendment of Section 39 of Bihar Act 37 of 1982.*—In sub-section (1) of Section 39 of the said Act after the words "owner of every unit" the 'Coma (*i*)' and words, Secretary of every Co-operative Society", shall be deleted.

13. *Amendment of section 40 of Bihar Act 37 of 1982.*—In section 40 of the said Act after the words "occupier of a factory," the words "or a Co-operative Society" shall be deleted.

14. *Amendment of Section 41 of Bihar Act 37 of 1982.*—In Section 41 of the said Act—

(*i*) In sub-section (1) after the words "the occupier of a factory" the words "or a person acting on behalf of a Co-operative" shall be deleted.

(*ii*) In sub-section (2)—(*a*)-after the words "occupier of the factory" the ooma and words, "the Co-operative Society" shall be deleted, and

(b) for the words "of twenty-five paise per hour" the words "specified by the State Government from time to time" shall be substituted.

15. *Amendment of Section 42 of the Bihar Act 37 of 1982.*—In Section 42 of the said Act after the words, "cane growers" the words "or Co-operative Societies" shall be deleted.

16. *Amendment of section 43 of the Bihar Act 37 of 1982.*—In Section 43 of the said Act—

(*i*) Sub-section (3) shall be deleted.

(*ii*) In sub-section (5) after the words "sub-section (2)" words, figures and brackets, "sub-section(3)" and after the words "the occupier of the factory" the words "or the Secretary or the Treasurer of the Co-operative Society or any other person incharge of payment on behalf of such society" shall be deleted.

17. *Amendment of Section 44 of Bihar Act 37 of 1982.*—In Section 44 of the said Act—

(i) In sub-section (2) after the words, "cane grower" the words "as per list submitted by society concerned" shall be added ;

(ii) For sub-section (3) the following shall be substituted ; namely—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections(1) and (2) where there is any contributor scheme under any national or State Plan or Sugar Development and Plan of the Central Government, the realisation of the contribution of the Cane growers or members of the cane growers Co-operative Society may be made on the basis of agreement executed by them."

18. *Amendment of Section 46 of Bihar Act 37 of 1982.*—In explanation of sub-section(2) of Section 46 of the said Act after the words "Cane grower" the words "or a Co-operative Society" shall be deleted.

19. *Amendment of section 48 of Bihar Act 37 of 1982.*—In Section 48 of the said Act—

(i) For sub-section (1) the following shall be substituted namely—

"(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, determine the amount of commission payable by the occupier of the factory on the purchase of sugarcane by such occupier or on his behalf and may by a like notification exempt the occupier of a new factory to be specified in the notification, from the payment of the amount of such commission for a prescribed period" ;

(ii) For sub-section(2) the following shall be substituted; namely—

"(2) The commission payable under sub-section(1) shall be collected in the prescribed manner and the State Government shall determind the share of Zonal Development Council and Co-operative Society."

20. *Amendment of Section 49 of Bihar Act 37 of 1982.*—In Section 49 of the said Act—

(i) In sub-section (1)—

(a) In clause (a) for the words "one rupee," the words "One rupee and seventy five paise" shall be substituted.

(b) In clause (b) for the words "one rupee" the words "one rupee and seventy-five paise" shall be substituted.

(ii) In sub-section (4) the words "one rupee" the words "one rupee and seventy-five paise" shall be substituted.

(iii) In the proviso of sub-section(4) after the word "prescribed" the words "but in no case less than rupees five thousand per annum" shall be inserted.

21. *Amendment of Section 50 of Bihar Act 37 of 1982.*—In sub-section (1) of Section 50 of the said Act after the words 'cane growern the words' "a member of a" shall be inserted.

22. *Deletion of Section 60 of Bihar Act 37 of 1982.*—The Section 60 of the said Act shall be deleted.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विन्देश्वरी प्रसाद यादव,
प्र० संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 287—लाईनो—760—590 सु० साहु

उद्योग एवं ईख विभाग

(ईख शाखा)

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 1978

जी०एस०आर० 97--बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन द्वितीय अध्यादेश 1978 (बिहार आदेश संख्या-104, 1978) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार; राज्यपाल बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978 सिचाई अधिनियम कि उक्त धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

(बी 5-06/1970)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी चक्रवर्त्ती,
सरकार के संयुक्त सचिव।

नियमावली

बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978
अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम।--इस नियमावली का संक्षिप्त नाम बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978 है।

2. परिभाषाएं।--जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में --

(क) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है-इस नियमावली में अनुबद्ध परिशिष्ट:
(ख) "आयुक्त" से अभिप्रेत है राजस्व प्रमंडल का आयुक्त ;
(ग) "समिति" से अभिप्रेत है बोर्ड की कार्यपालिका समिति ;
(घ) "बाह्य कारखाना" से अभिप्रेत है राज्य के बाहर अवस्थित कोई कारखाना ;
(ङ) "प्ररूप (फारम)" से अभिप्रेत है इस नियमावली में अनुबद्ध परिशिष्ट 1 का प्रारुप ;

(च) "आन्तरिक कारखाना" से अभिप्रेत है राज्य के भीतर अवस्थित कोई कारखाना ;
(छ) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1978 (बिहार अध्यादेश संख्या-184, 1978) ;
(ज) "पड़ाव-स्थान या अहाता (यार्ड)" से अभिप्रेत है किसी खरीद केन्द्र पर या उससे सटे कोई ऐसा स्थान, या अहाता जो ईख ढोने वाली पशुचालित गाड़ियों के, उनको तौल और अवमुक्ति के पूर्व ठहरने के लिए अलग कर दिया गया हो ;
(झ) "क्रय-केन्द्र" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहां, ईख आपूर्त्ति डिलीवरी क्रय या तौल की जाती हो तथा इसके अन्तर्गत किसी कारखाने के परिसर का ऐसा भाग भी आता है, जिसका उपयोग इनमें से किसी भी प्रयोजन के लिये किया जाता हो ;
(ञ) "धारा" से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा ;
(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य ;
(ठ) "कोषागार" से अभिप्रेत है राज्य का कोई कोषागार तथा इसके अन्तर्गत उप-कोषागार भी है ;
(ड) "तौल सेतु (वेब्रीज)" से अभिप्रेत [है कोई ऐसी यंत्रावली (मेकेनिज्म) या तुला (स्केल्स) (इसके अन्तर्गत दण्ड तुला (बीम स्केल) भी है], जिसका उपयोग ईख तौलने के लिये किया जाता हो तथा इसके अन्तर्गत किसी कारखाने के अधिभोगी या किसी युनिट के स्वामी या उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा रखे गये या उपयोजित कोई मशीन भी है ; और
(ढ) इसमें प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों या पदों के वही अर्थ होंगे जो अध्यादेश में उनके लिये समनुदेशित है।

अध्याय 2

3. बोर्ड का कार्य-संचालन।--(1) जबतक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चित न करें तबतक बोर्ड की बैठकें पटने में उन तारीखों को हुआ करेंगी जो अध्यक्ष नियत करें।

(2) बोर्ड का सचिव सभी सदस्यों को लिखित रुप में बोर्ड की बैठकों की डाकप्रमाणित सूचना बैठक के लिये नियत तारीख के कम-से-कम पन्द्रह दिन पूर्व भेजेगा किन्तु आपातिक मामलों में यह सूचना पत्र और तार द्वारा ऐसी बैठक के कम-से-कम तीन दिन पहले भेजी जा सकेगी। अत्यावश्यक सूची बैठक हो

को कम-से-कम एक सप्ताह पहले परिचालित की जायेगी किन्तु अत्यावश्यक मामलों में यह सूची सूचना के साथ ही भेजी जायेगी ।

(3) बोर्ड की बैठक वर्ष के हरेक चार महीने में एक बार या अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक समझे उतनी बार होगी ।

(4) बोर्ड की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा --

(क) बोर्ड की सभी बैठकों में अध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्यों से कोरम पूरा होगा ।

(ख) बोर्ड की बैठक में किसी सदस्य द्वारा लाये जानेवाले किसी संकल्प या प्रस्ताव की सूचना ऐसी बैठक के लिये नियत तारीख के कम-से-कम दस दिन पहले सचिव के पास भेजी जायेगी ।

(ग) सदस्यों के पास भेजी गई कार्य सूची में दिए गए कार्यों के सिवाय कोई भी कार्य बैठक में अध्यक्ष की सहमति के बिना नहीं किया जायेगा ।

(घ) बैठक में किसी भी प्रस्ताव या संकल्प अथवा उसके किसी संशोधन पर तबतक विचार-विमर्श नहीं किया जायगा जबतक बोर्ड का कोई सदस्य इसका समर्थन न करे ।

(ङ) कोई ऐसा भी सदस्य जिसने प्रस्ताव या संकल्प अथवा संशोधन की सूचना दी हो, अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव या संकल्प अथवा इसका कोई संशोधन वापस ले सकेगा ।

(च) हरेक प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायगा। मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(छ) अध्यक्ष नियमापत्ति का एक मात्र निर्णायक होगा और किसी भी सदस्य को व्यवस्थित रहने के लिये कह सकेगा और यदि आवश्यक हो तो बैठक को विघटित या किसी अन्य तारीख के लिये स्थगित कर सकेगा ।

(ज) यदि बोर्ड की किसी बैठक में कोरम पूरा न हो तो अध्यक्ष किसी अगली तारीख के लिये बैठक स्थगित कर देगा और उस स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

(झ) इस नियमावली द्वारा अनुपबंधित किसी मामले में अध्यक्ष को बैठक की प्रक्रिया के संबंध में अपना विनिर्णय (रूलिंग) देने का हक होगा ।

(ञ) यदि अध्यक्ष की राय में किसी प्रस्ताव से बोर्ड के कृत्यों की सीमा का अतिक्रमण होता हो तो वह इसे नियमाबाह्य घोषित कर सकेगा ।

4. कार्यकारिणी समिति और उप-समितियों की प्रक्रिया ।--(1) जबतक ...का अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे तबतक समिति की बैठकें पटने में उन ...खों को हुआ करेंगी जो समिति का अध्यक्ष नियत करे ।

(2) समिति का अध्यक्ष सभी सदस्यों को लिखित रूप में समिति की बैठक ...क-प्रमाणित सूचना और कार्य-सूची बैठक के लिए नियत तारीख के कम-... सात दिन पहले भेज देगा । किन्तु आपाती मामलों में यह सूचना पत्र ...तार दोनों के द्वारा ऐसी बैठक के कम-से-कम तीन दिन पहले भेजी जा...गी ।

(3) समिति की बैठकें प्रतिमास या समिति का अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक ... उतनी बार होंगी ।

(4) समिति की किसी बैठक के लिए इसके तीन सदस्यों से कोरम पूरा ... और सभी विनिश्चय उन बैठकों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किये ...गे ।

(5) समिति का अध्यक्ष दैनंदिनी प्रशासन चलाने और ईख-विकास संबंधी कार्यों को निष्पादित करने का जिम्मेवार होगा जिसे बोर्ड ने हाथ में लेने ... विनिश्चय किया हो ।

(6) बोर्ड द्वारा संगठित उप-समितियां बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित रीति से ...नी बैठक, और उन बैठकों की कार्यवाही का संचालन करेगी ।

5. बोर्ड के अतिरिक्त कृत्य ।--बोर्ड, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों के ...वा, उन अन्य विषयों पर राज्य-सरकार को सलाह देगा जिसे राज्य-सरकार ...-समय पर इसे निर्दिष्ट करे ।

(i) बोर्ड के लेखा की प्रक्रिया ।--किसी अनुसूचित बैंक की निकटतम ...खा में बोर्ड द्वारा लेखा खोला जायेगा ।

(ii) बोर्ड का सचिव बोर्ड के लेखा को चलाएगा ।

6. कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति ।---(1) बोर्ड अपने संकल्प द्वारा ...ति गठित करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :---

(क) धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य ;

(ख) धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ग) की मद (*iii*) में निर्दिष्ट ऊख उत्पादकों और सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य ;

(ग) धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ग) की मद (*i*) और (*ii*) में निर्दिष्ट कारखानों और यूनिटों का प्रतिनिधित्व करनेवाले, बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य ;

(घ) धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ग) की मद (*iv*) में निर्दिष्ट ऊख का तकनीकी ज्ञान रखनेवाले, अथवा ऊख और इसके उत्पादन के विकास में अन्यथा अभिरुचि रखने वाले बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य ;

(ङ) ईख आयुक्त, बिहार ; और

(च) ईख आयुक्त को छोड़कर, अध्यादेश की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के पदेन सदस्यों में से दो सदस्य ।

(2) बोर्ड अपने संकल्प द्वारा समिति के सदस्यों में से, समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा ।

7. कमजोर परिषदों और नये कारखानों के क्षेत्रों के लिए बोर्ड द्वारा खर्च—बोर्ड किसी पेराई साल की अपनी आय का कम-से-कम पांचवां भाग वित्तीय दृष्टि से कमजोर परिषदों के नये कारखानों के क्षेत्रों के विकास संबंधी स्कीमों पर खर्च करेगा ।

8. अपेक्षाकृत बड़े आरक्षित क्षेत्रों से संबद्ध परिषद का विस्तार ।—(1) जहां किसी कारखाने का आरक्षित क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हो, वहां धारा 7 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय विकास परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(क) जिस जिले में कारखाना स्थित हो उस जिले का समाहर्त्ता जो अध्यक्ष होगा ।

(ख) सभी संबद्ध जिलों के जिला विकास पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और जिला अभियन्ता ;

(ग) ईख आयुक्त द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो सचिव होगा ;

(घ) जिस जिले में कारखाना स्थित हो उस जिले के ईख उत्पादकों और सहकारी समितियों के चार प्रतिनिधि जिन्हें राज्य-सरकार मनोनीत करेगी और जिसमें से कम-से-कम दो सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी सिफारिश धारा 62 में निर्दिष्ट सहकारी समिति ने की हो ;

(ङ) जिस जिले में कारखाना स्थित हो उस जिले से भिन्न प्रत्येक जिले के स्थानीय ईख उत्पादकों और सहकारी समितियों के दो प्रतिनिधि जिन्हें राज्य-सरकार मनोनीत करेगी और जिनमें से कम-से-कम एक सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करनेवाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सिफारिश धारा 62 में निर्दिष्ट सहकारी समिति ने की हो;

(च) कारखाने के दखलकार का एक प्रतिनिधि जिसे दखलकार की सिफारिश पर राज्य-सरकार मनोनीत करे ।

(2) जहां कारखाने का आरक्षित क्षेत्र जिले के एक-से-अधिक अनुमंडलों में फैला हो, वहां जिले का समाहर्त्ता या जिला विकास पदाधिकारी परिषद् का अध्यक्ष होगा और धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) से (च) तक में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा सभी संबद्ध अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे ।

9. परिषद् की प्रक्रिया ।—(1) हरेक परिषद् की बैठक धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन इसकी स्थापना संबंधी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मुख्यालय में महीने में कम-से-कम एक बार होगी । परिषद् की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा, अर्थात् :—

(क) परिषद् की बैठकों की लिखित सूचना और कार्य-सूची बैठक होने के कम-से-कम एक सप्ताह पहले परिषद् के सभी सदस्यों को परिचालित कर दी जायेगी । परिषद् की बैठक में किसी सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाले संकल्प या प्रस्ताव की सूचना बैठक होने के कम-से-कम चार दिन पहले सचिव को प्राप्त करा दी जायगी ।

(ख) परिषद की सभी बैठकों में अध्यक्ष सहित एक-तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा ।

(ग) अध्यक्ष परिषद की सभी बैठकों का सभापति होगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे ।

(घ) कार्य-सूची में लिए गए कार्यों के सिवाय कोई भी कार्य अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना बैठक में संपादित नहीं किया जायगा ।

(ङ) सदस्य, जिसने संकल्प या प्रस्ताव अथवा संशोधन की सूचना दी है अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा संकल्प या प्रस्ताव अथवा संशोधन वापस ले सकेगा ।

(च) हरेक प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायगा । मत बराबर होने पर, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(छ) अध्यक्ष नियमापत्ति का एकमात्र निर्णायक होगा और किसी भी सदस्य को व्यवस्थित रहने के लिये कह सकेगा और यदि आवश्यक हो तो बैठक को विघटित या किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा

(ज) यदि किसी बैठक में कोरम पूरा नहीं हो तो अध्यक्ष किसी अगली तारीख के लिए बैठक स्थगित कर देगा । यदि अध्यक्ष भी उस बैठक में उपस्थित नहीं हो तो बैठक ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित हो जायगी जिसे अध्यक्ष बाद में नियत करे और स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

(झ) बैठक में किसी संकल्प या संशोधन पर तबतक विचार-विमर्श नहीं किया जायगा जबतक परिषद् का कोई दूसरा सदस्य इसका समर्थन न करे ।

(ञ) इस नियमावली द्वारा अनुबंधित किसी मामले में अध्यक्ष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में अपना निर्णय (रूलिंग) देने का हकदार होगा ।

(2) जिले की सभी परिषदों की संयुक्त बैठकें, जिला मुख्यालय में समाहर्त्ता द्वारा नियत तारीख और समय पर की जा सकेंगी और उन बैठकों में एक से अधिक परिषदों के सामान्य हित से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया जायगा, जैसे संचार, सिंचाई, सामान्य विकास आदि ।

(3) ईख आयुक्त से निदेश मिलने पर समाहर्त्ता जिले के सभी कारखानों और जिले या राज्य के बाहर के किसी कारखाने के लिए क्षेत्रों के आरक्षण संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिये जिले की सभी परिषदों की संयुक्त बैठक बुला सकेगा ।

(4) (क) हर परिषद् एक बजट तैयार करेगी और वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के कम-से-कम दो महीना पूर्व यह ईख आयुक्त के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । ईख आयुक्त बजट को अपनी आलोचना के साथ, यदि कोई हो, अनुमोदित करेगा ।

(ख) कोई भी व्यय नहीं किया जायेगा जबतक अनुमोदित बजट में उसे सम्मिलित नहीं किया गया हो :

परन्तु किसी अनुमोदित लागत में व्यय ईख आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा ;

(ग) ईख आयुक्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा उल्लिखित किसी लागत में परिषद् की निधियों में से व्यय के लिये आदेश देगा यदि उसके अनुसार, ऐसा व्यय किसी विशेष परिस्थिति या परिषद् द्वारा कुछ अभाव के कारण आवश्यक हो जाय ।

(घ) ईख आयुक्त परिषद् के किसी प्रस्ताव या निर्णय को उसके लिये कारण देते हुए अनुमोदित कर सकेगा ।

10. परिषदों के अतिरिक्त कृत्य ।—धारा 8 में निर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त परिषद् आरक्षित क्षेत्रों के सामान्य विकास से संबंधित और उसके साधन उन अन्य कृत्यों का पालन करेंगे जो समय-समय पर ईख आयुक्त या बोर्ड इसे सौंपे ।—

(i) परिषद् के लेखा की संक्रिया किसी अनुसूचित बैंक की निकटतम शाखा में परिषद् द्वारा लेखा खोला जायगा ।

(ii) परिषद् का लेखा संयुक्त रूप से परिषद् के अध्यक्ष और सचिव द्वारा चलाया जायेगा।

11. परिषद् का प्रशासकीय खर्च।—परिषद् किसी पेराई साल में अपने प्रशासकीय खर्च के लिए अपनी आय की अधिक-से-अधिक दस प्रतिशत रकम का उपयोग करेगी।

12. बोर्ड और परिषदों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक।—(1) बिहार और उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम (बिहार ऐंड उड़ीसा लोकल फंड ऑडिट ऐक्ट), 1925 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक से भिन्न लेखा परीक्षक को बोर्ड या किसी परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिये पारिश्रमिक उस दर से दिया जायेगा जो राज्य-सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन राज्य-सरकार द्वारा अवधारित दर लेखा परीक्षक की नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट कर दी जायगी।

अध्याय 3

13. अभिलेख, रजिस्टर आदि के निरीक्षण के संबंध में ईख-पदाधिकारी की शक्ति।—प्रत्येक ईख-पदाधिकारी, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(क) कारखाने के पहुंच-मार्गों, पशुओं की छाजनों, पशुओं की नादों तथा क्रय-केन्द्रों या भुगतान के केन्द्रों पर प्रकाश-व्यवस्था का निरीक्षण कर सकेगा।

(ख) कारखाने या यूनिट के किसी अभिलेख, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज की परीक्षा कर सकेगा और अध्यादेश के अधीन उप-करों (सेसों) और करों या कमीशन के भुगतान से संबंधित जानकारी मांग सकेगा।

(ग) ईख मूल्य के भुगतान के संबंध में सहकारी सोसाइटियों के किसी अभिलेख, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज की परीक्षा कर सकेगा।

(घ) ईख के उत्पादन, प्राप्ति या पेराई, चीनी-विनिर्माण, उत्पादन, निर्गम या भंडारगत चीनी, राब या छोआ के गुण या परिमाण तथा ईख की कोटि से संबंधित किसी अभिलेख और लेखे की परीक्षा कर सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के अधीन की जानेवाली प्रत्येक परीक्षा का परिणाम संबद्ध जिला सहकारी पदाधिकारी को सूचित कर दिया जायगा।

14. कारखाने या यूनिट के अभिगृहीत लेखे, रजिस्टर आदि की वापसी।—ईख-पदाधिकारी धारा 13 के खंड (6) के अधीन किसी कारखाने या यूनिट के अभिगृहीत लेखे रजिस्टर या दस्तावेज को सम्बद्ध कारखाने के प्रबन्धक या यूनिट के स्वामी को, या तो, उसके लिए सम्यक् रसीद प्राप्त कर या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वापस कर देगा।

अध्याय 4

15. कारखाने में ईख की पेराई के लिए अनुज्ञप्ति।—(1) किसी कारखाने का अधिभोगी, किसी पेराई-वर्ष में, कारखाने में ईख की पेराई के लिए अनुज्ञप्ति देने या नवीकरण करने के निमित्त आवेदन-पत्र प्रपत्र 1 में, सम्बद्ध ईख-पदाधिकारी के माध्यम से, राज्य-सरकार के पास पेराई-वर्ष के 31 अगस्त को या उससे पूर्व भेज देगा तथा उसके साथ निम्नलिखित संलग्न रहेंगे :—

(क) निकटतम कोषागार में नियम 18 के अधीन विहित फीस के निक्षेप से संबंधित कोषागार-चालान ;

(ख) किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उस लिखित की एक प्रति, जिसमें धारा 59 की उप-धारा (1) या (2) के परन्तुक के अधीन नाम निर्देशित व्यक्ति को कारखाने के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण समनुदेशित किये जाने का संज्ञापन हो, यदि ऐसा आवेदन ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने के लिए किया जाए ; और

(2) किसी पेराई-वर्ष में, किसी आंतरिक कारखाने में ईख-पेराई की अनुज्ञप्ति प्ररूप 2 में अनुदत्त या नवीकृत की जायगी।

15. यूनिट की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।--(1) किसी यूनिट के प्रयोजनार्थ ईख की पेराई या ईख रस के क्रय के निमित्त अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, दी या नवीकृत की जाने के लिए आवेदन-पत्र प्ररूप 3 में उस यूनिट के पेराई वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पूर्व से उस क्षेत्र के ईख पदाधिकारी के माध्यम से, ईख आयुक्त को अथवा धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन ईख आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पास दिया जायगा तथा उस आवेदन-पत्र के साथ निकटतम कोषागार में नियम 18 के अधीन विहित फीस की रकम के निक्षेप से संबंधित कोषागार-चालान की एक प्रति और उस क्षेत्र के ईख-पदाधिकारी द्वारा दिया गया एक प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया रहे कि उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति धन की रकम सम्यक रूप से निक्षेप कर दी गई है, संलग्न रहेगा।

(2) उक्त नियम के अधीन दी गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति धन की राशि पांच सौ रुपये होगी।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतिभूति धन सम्बद्ध जिले के कलक्टर के पास नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमा किया जायगा और धारा 55 के अधीन किये गये समपहरण, यदि कोई हो, की सीमा तक, ऐसे समपहरण की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, परिपूरित कर दिया जायगा।

(4) किसी पेराई वर्ष में किसी यूनिट की प्रयोजनार्थ, ईख की पेराई या ईख-रस के क्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्ररूप 4 में दी या नवीकृत की जायेगी।

17. अनुज्ञप्ति फीस।--(1) धारा 15 और 16 के अधीन अनुज्ञप्तियों के दिए या नवीकृत किए जाने के लिए देय फीसें निम्नलिखित होंगी :--

(1) कारखाने के अधिभोगी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए--5,000 रु०।

(2) किसी कारखाने से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए--5,000 रु०।

(3) किसी यूनिट के स्वामी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए--200 रु०।

(3) ऐसे कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक ... प्रतिभूति-धन जमा ... गई है।

(4) यूनिट से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए--200 रु०।

(2) किसी कारखाने या यूनिट के संबंध में दी गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति, उस कारखाने के अधिभोगी या उस यूनिट के स्वामी को क्रमशः 100 रु० और 50 रु० के भुगतान पर, उसके द्वारा यह घोषणा करने पर दी जायगी कि अनुज्ञप्ति खो गई है और उसे खोजने का हर प्रयास करने के बावजूद वह नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की गई अनुज्ञप्ति पर दूसरी प्रति लिखा रहेगा।

(3) उप-नियम 1 या 2 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान '0.45 वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क और अन्य कर--बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, (2) ईख पर खरीद कर एवं ईख सेस" शीर्षक के अधीन किसी कोषागार में निक्षेप करके किया जायगा।

18. कर्मचारियों की अनुज्ञप्ति।--(1) धारा 24 के अधीन किसी कारखाने के कर्मचारी को अनुज्ञप्ति देने या नवीकृत करने के निमित्त आवेदन, प्ररूप 5 में संबद्ध कर्मचारी द्वारा उस जिले के कलक्टर के पास किया जायगा, जिस जिले में आवेदक, ईख के क्रय या उसकी कीमत के भुगतान से संबंधित क्रिया कलाप चलाना चाहता हो, जहां आवेदक एक से अधिक जिलों में ऐसा क्रिया-कलाप चलाना चाहता हो, वहां वह अनुज्ञप्ति के लिए उन जिलों में से किसी एक जिले के कलक्टर के पास तथा उस अनुज्ञप्ति को दूसरे जिले में भी विधिमान्य बनाने के निमित्त उस पर प्ररूप 9 में पृष्ठांकन के लिए उस जिले के कलक्टर के पास आवेदन करेगा। सामान्यतः ऐसे पृष्ठांकन के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जायगा, जबतक कि उसके प्रतिकूल विधिमान्य कारण न हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिये जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न रहेंगे :--

(क) अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए पांच रुपये या उसके नवीकरण के लिए किसी कोषागार में दो रुपये की फीस के निक्षेप से संबंधित कोषागार-चालान।

(ख) कारखाने के अधिभोगी या प्रबन्धक द्वारा प्ररूप 6 में किया गया नाम-निर्देशन।

(3) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन एक-से-अधिक कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से इस शर्त के अध्यधीन किया जा सकेगा कि ऐसे प्रत्येक आवेदक के संबंध में उप-नियम (2) में निर्दिष्ट फीसें और प्रतिभूति-धन जमा कर दिये गये हैं और उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजें दाखिल कर दी गई हैं।

(4) इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्ररूप 7 में दी या नवीकृत की जायगी यदि आवेदक के पूर्ववृत्त की परीक्षा करने पर और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति देना या उसकी नवीकरण करना लोकहित में नहीं होगा, तो वह अनुज्ञप्ति देने या उसे नवीकृत करने से इन्कार कर सकेगा : परन्तु अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने की दशा में, नियम 20 के अधीन निक्षिप्त प्रतिभूति धन वापस कर दिया जायगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी इस नियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को कर्त्तव्यकाल के दौरान अपने साथ रखेगा और मांगे जाने पर उसे किसी ईख पदाधिकारी या पदेन ईख-पदाधिकारी के सामने पेश करेगा।

(6) ऐसी किसी अन्य शास्ति पर, जिसे अनुज्ञप्तिधारी ने अध्यादेश या उसके अधीन बने नियमों के अधीन उपगत किया हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके अतिरिक्त, कलक्टर, अध्यादेश या उसके अधीन बने नियमों के किसी उपबन्ध के या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के भंग के लिए, इस नियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा। अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कोई आदेश तबतक जारी नहीं किया जायगा जबतक कि सम्बद्ध कर्मचारी को और कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक को, जिसने उसे नामनिर्देशित किया हो, सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। इस नियम के अधीन कार्रवाई लम्बित रहने तक कलक्टर किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर सकेगा, किन्तु ऐसा निलम्बन कारखाने के सम्बद्ध कर्मचारी और अधिभोगी या प्रबन्धक को उसकी सूचना देने के 72 घंटे की समाप्ति के पूर्व प्रभावी नहीं होगा।

(7) इस नियम के अधीन दी गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति, कारखाने के कर्मचारी या अधिभोगी या प्रबन्धक के आवेदन करने पर, रद्द कर दी जायगी।

(8) उप-नियम (4) या (6) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को इन्कार, निलम्बन, रद्दकरण संबंधी कलक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील नियम 39 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास की जा सकेगी।

(9) इस नियम के अधीन कलक्टर का कोई आदेश, अपील की दशा में अपील प्राधिकारी के, किसी विनिश्चय के अध्यधीन, अंतिम होगा।

19. कर्मचारी की अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिभूति ––नियम 18 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति प्रतिभूति-धन के रूप में सम्बद्ध कलक्टर के पास 100 रु० नकद या सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

अध्याय 5

20. प्रबंधक की नियुक्ति ––(1) किसी आन्तरिक कारखाने के प्रबन्धक या नये प्रबन्धक की नियुक्ति की सूचना, उसके अधिभोगी द्वारा प्ररूप 9 में उस जिले के कलक्टर को दी जायगी, जिस जिले में कारखाना अवस्थित हो। ऐसी सूचना किसी बाह्य कारखाने के अधिभोगी द्वारा उस जिले के कलक्टर को दी जायगी, जिस जिले में उसके कारखाने की ईख की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ कोई क्षेत्र आरक्षित हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दी गई सूचना की प्रतियां सम्बद्ध क्षेत्र के ईख-पदाधिकारी के पास और साथ-साथ ईख-आयुक्त के पास भी भेज दी जायगी।

(3) धारा 25 के अधीन प्रबन्धक द्वारा या उसकी ओर से निक्षिप्त की जाने के लिये अपेक्षित प्रतिभूति-राशि नकद रूप में या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में या सम्बद्ध कलक्टर के नाम सम्यक रूप से गिरवीकृत डाकघर-लेखे में निक्षेप करके प्रस्तुत की जायगी।

21. कारखानों के लिए अपेक्षित ईख का प्राक्कलन ––(1) प्रत्येक पेराई वर्ष में, 7 जुलाई को या उसके पूर्व, आन्तरिक कारखाने का अधिभोगी, प्ररूप 10 में उस पेराई वर्ष में अपने कारखाने के लिये अपेक्षित ईख का प्राक्कलन क्षेत्र ईख-पदाधिकारी के माध्यम से, ईख आयुक्त के पास प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां ऐसे किसी कारखाने का अधिभोगी उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित ईख का प्राक्कलन प्रस्तुत करने में असफल रहा हो, जहां ईख आयुक्त अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार करते हुए अपेक्षित ईख का प्राक्कलन स्वयं तैयार कर सकेगा :––

(क) कारखाने के संबंध में अपेक्षित ईख का प्रस्तुत किया गया अन्तिम प्राक्कलन, और

(ख) पूर्ववर्ती पेराई वर्षों में यांत्रिक गड़बड़ी के कारण कितने बार और कितने समय तक के लिए बन्द रहा और उसमें सुधार की संभावना यदि कोई हो।

(3) ईख-आयुक्त द्वारा तैयार किया गया प्रत्येक कारखाने के लिए अपेक्षित ईख का प्राक्कलन उनके द्वारा पेराई वर्ष में 15 अक्तूबर को या उसके पहले सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा। नियम 38 में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा पुनरीक्षित किसी कारखाने के लिये अपेक्षित ईख का प्राक्कलन भी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायगा।

22 ईख की खरीद करने की पूर्व अपेक्षित शर्तें और उनके अनुपालन के लिए विधान---(1) किसी कारखाने का अधिभोगी या उसकी ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति किसी क्रय केन्द्र पर तब तक ईख की खरीद प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि:—

(क) माप-तौल से संबंधित विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईख की तौल के लिए उपयोग में लाये जानेवाले सभी तौल-सेतुओं की यथार्थता सम्यक रूप से जांच कर ली गई हो और वे काम करने योग्य प्रमाणित न कर दिए गए हों,

(ख) ईख के मूल्य का भुगतान करने के लिये निधियों की व्यवस्था कलक्टर के समाधानरूप समुचित इन्तजाम न कर लिया गया हो,

(ग) सम्बद्ध क्षेत्र के ईख-पदाधिकारी ने यह प्रमाणित न कर दिया हो कि नियम 30 में यथानिर्दिष्ट ईख की गाड़ियों के पड़ाव स्थानों और पहुंच-मार्गों तथा अध्याचेश-पर्चियों और पहुंच-पत्रों के वितरण की समुचित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और

(घ) कलक्टर के समाधानानुरूप तौल; पर्याप्त स्टाफ, पर्याप्त संख्या में तौल-सेतु और सभी दूरस्थ क्रय केन्द्रों के कारखाने तक ईख ढोने के लिए परिवहन के पर्याप्त साधनों की पर्याप्त व्यवस्थाएं न कर दी गई हों।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र क्रय-केन्द्र में उसके कार्यकाल के दौरान रखा जायगा।

(3) कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक, किसी क्रय-केन्द्र पर, ईख की खरीद प्रारम्भ होने के कम-से-कम 15 दिन पहले, जिले के कलक्टर को एक सूचना देगा, जिसमें वह ऐसे व्यक्तियों के नाम, पदनाम, माता या पिता के नाम और घर का पता विनिर्दिष्ट करेगा, जिन्हें ईख की तौल और ईख की कीमत के भुगतान का कार्य तथा उनसे संबंधित कोई अन्य काम-काज सौंपा गया हो। साथ-ही, इस उप-नियम के अधीन कलक्टर को दी गई सूचना की एक-एक प्रति ईखायुक्त सहायक ईख-आयुक्त और संबद्ध क्षेत्र के ईख पदाधिकारी को भी दे दी जायगी।

(4) धारा 28 की उप-धारा (2) में अपेक्षित ईख की खड़ी फसल का सर्वेक्षण, सम्बद्ध कारखाने की आपूर्ति के लिए आशायित ईख की खड़ी फसल वाली जमीन के प्लाटों की वास्तविक माप करके, किया जायगा। जहां ईख की खड़ी फसल के अन्तर्गत ऐसी ईख-उत्पादकों और किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्यों, दोनों द्वारा उपजायी गई हो, वहां किए जाने वाले सर्वेक्षण की पूर्व सूचना सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी के सचिव को सर्वेक्षण शुरू होने के कम-से-कम एक सप्ताह पहले दे दी जायगी।

(5) प्लाटों की गई मापों के परिणाम सर्वेक्षण-रजिस्टर में अभिलिखित कर लिए जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट रहेंगी:—

(क) गांव का नाम; राजस्व थाना संख्या, पंचायत और राष्ट्रीय सेवा-विस्तार प्रखंड के नाम;

(ख) ईख-उत्पादकों या सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के नाम; उनके माता या पिता का नाम और पता;

(ग) मापे गये प्रत्येक प्लाट की संख्या और खाता संख्या;

(घ) ईख की खड़ी फसल का रकबा;

(ङ) पौधादार (प्लांटवाइज) और पेड़ीदार (रैटूनवाइज) प्रभेद सहित प्लोट में उपजायी गई ईख की किस्म;

(च) पौधादार (प्लांटवाइज) और पेड़ीदार (रैटूनवाइज) के रूप में कारखाने की आपूर्ति की जाने के लिए संभावित ईख का प्राक्कलन।

(6) जहां सर्वेक्षण के दौरान सहकारी सोसाइटी का कोई प्रतिनिध उपस्थित हो वहां माप-पत्र पर उसका हस्ताक्षर ऐसे आक्षेपों के साथ, जिन्हें वह करना चाहें, ले लिए जायेंगे। जहां ऐसा प्रतिनिधि माप-पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करें, वहां इस आशय की एक टिप्पणी अभिलिखित कर दी जायेगी।

(7) यथास्थिति, कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक, ईख की खड़ी फसल का सर्वेक्षण पूरा होने पर, ऐसे सर्वेक्षण की ग्रामवार संक्षिप्त संबंध क्षेत्र के ईख-पदाधिकारी के यहां भेज देगा, जिसमें कारखाने को आपूरित की जानेवाली ईख के प्राक्कलन के साथ-साथ वह क्षेत्र भी दिखलाया रहेगा, जिसमें प्रत्येक किस्म के पौधे (प्लांट) और पेड़ी फसलें लगी हुई हों।

(8) सर्वेक्षण संबंधी कोई विवाद उस क्षेत्र के ईख-पदाधिकारी के पास विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायगा।

(9) उप-नियम (8) के अधीन ईख-पदाधिकारी को कोई विनिश्चय नियम 38 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा, यदि व्यक्ति पक्षकार द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पास ईख-पदाधिकारी के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जायगा।

(10) ईख-पदाधिकारी का विनिश्चय, पुनरीक्षण (यदि कोई हो) के परिणाम के अध्यधीन, अन्तिम होगा।

23. क्रय केन्द्रों का चालन--(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक प्रत्येक क्रय-केन्द्र में सूचना पट पर एक सूचना अटवाएगा, जिसमें उस केन्द्र में खरीदी जानेवाली ईख की दरें तथा सरकार द्वारा ईख की नियत न्यूनतम कीमत, यदि कोई हो, भी दिखलाई रहेगी। ऐसी सूचना कागज के केवल एक ही तरफ; देवनागरी लिपि में सुवाच्यरूप में लिखी या मुद्रित रहेगी।

(2) कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक प्रत्येक क्रय-केन्द्र या भुगतान-केन्द्र के अर्थात् ऐसे स्थान के जहां ईख की कीमत का भुगतान किया जाता हो, किसी सहज दृश्य स्थान में इस नियमावली की एक प्रति भी टंगवा देगी।

(3) जब मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण अथवा किसी ऐसे कारण जो मनुष्य के वश के बाहर की बात हो, कोई क्रय-केन्द्र बन्द हो जाय, जिससे कारखाने के चालन का आकस्मिक किन्तु अस्थायी निलम्बन आवश्यक हो जाय, तब सम्बद्ध कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक--

(i) क्रय-केन्द्र में तुरत, देवनागरी लिपि में एक सूचना सटवाएगा, निलम्बन की सम्भावित अवधि उपदर्शित रहेगी,

(ii) क्रय के निलम्बन की घोषणा यथा संभव दूर-दूर तक करवाएगा,

(iii) कलक्टर और संबद्ध ईख-पदाधिकारी के पास निलम्बन की सूचना तुरत भेजेगा, और

(iv) निलम्बन की सूचना सटी जाने के 12 घंटे के भीतर लायी गयी सभी ईख को खरीद लेगा, यदि ऐसी ईख कारखाने के अधिभोगी या प्रबन्धक की अध्यपेक्षा पर लायी गई हो।

(4) यदि नियम (3) में विनिर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी कारण से क्रय-केन्द्र को बन्द करना हो, तो संबद्ध अधिभोगी या प्रबन्धक ऐसे क्रय-केन्द्र पर, जिसे बन्द करने का प्रस्ताव हो, देवनागरी लिपि में एक सूचना प्रकाशित करेगा और साथ ही ऐसी सूचना की एक-एक प्रति ईख आयुक्त, कलक्टर, सहायक ईख-आयुक्त संबद्ध ईख-पदाधिकारी के पास भेज देगा।

24. ईख की तोल।--(1) ईख की खरीद करने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक, यूनिट का स्वामी और प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का सचिव तथा उनकी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्ति ईख की तौल के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेंगे या अनुपालन करवाएंगे:—

(i) ईख के क्रय एवं आपूर्ति अथवा ईख-रस के क्रय से संबंधित सभी व्यवहार और संविदाएं तोल की मीटरिक प्रणाली से ही की जाएंगी

(ii) किसी कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक किसी यूनिट का स्वामी या सहकारी सोसाइटी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति ऐसे किसी तोल सेतु (वे ब्रीज) का न तो उपयोग करेगा न उसे संधारित करेगा और न उसे अपने कब्जे में ही रखेगा, जो त्रुटिपूर्ण हो या जिससे तत्समय प्रवृत्त माप-तौल संबंधी विधि के उपबन्धों के अनुसार अभिलिखित तोल का पठन सुगमता से नहीं किया जा सकता हो।

(iii) त्रुटिपूर्ण बाट या वैसे तौल-सेतु, जो बेकार हो गये हैं, या तो क्रय-केन्द्र से हटा दिये जायेंगे या मोहरबन्द कर दिये जाएंगे या ईख तोलने के प्रयोजनार्थ असमर्थ माने जाएंगे।

9

(*iv*) तौल-सेतुओं के तुला-दंड और बाट ईख आपूरित करने वाले लोगों की खुली नजर के सामने रखे जाएंगे ? तुला दंड पर पाठ्यांक हिन्दी में देवनागरी लिपि में उसके दोनों तरफ सुवाच्य रूप से अंकित रहेंगे ।

(*v*) ईख या ईख-रस का गाड़ी सहित वजन, खाली गाड़ी का वजन और शुद्ध वजन ठीक-ठीक अभिलिखित किए जाएंगे । ईख की कीमत को परिकलन के प्रयोजनार्थ ईख का शुद्ध वजन किलो ग्राम को पूर्णांक में लिखा जाएगा ।

(*vi*) ईख या ईख रस-के क्रय के लिए उपयोजित रखे गये या कब्जीकृत तौल सेतु, सम्बद्ध ईख-पदाधिकारी या पदेन ईख-पदाधिकारी की सूचना के बिना ही हर समय निरीक्षण या जांच के लिए खुले रहेंगे

(*vii*) बाट और तौल-सेतुओं की जांच को सुकर बनाने के लिये प्रत्येक क्रय-केन्द्र में पचीस किलो ग्राम के पन्द्रह, 20 किलोग्राम के दस और 10 किलोग्राम के पांच मानक बांट रखे जाएंगे ।

(*viii*) ईख या ईख रस के क्रय के लिये या तौल की जांच के लिये उपयोजित, रखे गये या कब्जी कृत बाट मानक बाट होंगे जो तौल और माप के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन यथा विहित धातु के बने होंगे तथा वैसे किसी भी बाट का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो उसके उपबंधों के अधीन स्तम्पित नहीं होंगे और जिन पर अभिधान स्पष्ट रूप से उगा हुआ नहीं होगा ।

(*ix*) तौल-सेतु के कल पुर्जा या वह भाग, जिसके द्वारा इसके समायोजन को नियंत्रित किया जाता है, मोहरबन्द और ताला बन्द रहेगा ।

(*x*) किसी भी दिन तौल शुरू करने के पहले, ईख या ईख रस के क्रय के लिये उपयोजित रखे गये या कब्जी-कृत सभी तौल सेतुओं की जांच प्रतिदिन बार की जाएगी और उस जांच के अभिलेख रख लिए जाएंगे तथा मांग जाने पर उन्हें सम्बद्ध ईख पदाधिकारी को दिखा दिए जाएंगे ।

(*xi*) किसी भी क्रय-केन्द्र पर सूर्यास्त के बाद ईख या ईख रस की तौल नहीं की जाएगी, जबतक कि रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर दी जाती ।

(*xii*) सूख जाने, अनुपयुक्त ढंग से छीले जाने या किसी अन्य कारण से हुई क्षति के प्रतिकर के लिये ईख या ईख-रस की शुद्ध तौल में कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

(*xiii*) ईख से लदी गाड़ियों या यानों की सकल-तौल लेने के लिये उपयोजित तौल सेतु किसी भी क्रय केन्द्र पर उन स्थान से पचास मीटर से कम की दूरी पर अवस्थित नहीं किया जाये, जहां ईख ऐसी गाड़ियों या यानों से उतारी जाती है, परन्तु कलक्टर पर्याप्त कारणों से कारखाने के अधिभोगी या प्रबन्धक को उस क्रय-केन्द्र के संबंध में इस खंड के प्रवर्त्तन से छुट दे सकेगा, जो कारखाने में अवस्थित अथवा उससे संलग्न नहीं हो ।

(*xiv*) ईख से लदी गाड़ी ईख से लदे अन्य यानों की तौल उनके पहुंचने के क्रम में की जाएगी ।

(2) कलक्टर ईख उत्पादकों के या सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के किसी प्रतिनिधि को, अपने जिले के अन्तर्गत किसी भी क्रय केन्द्र पर, ईख की तौल के समय उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा वह प्रतिनिधि तौल पर और उस तौल के परिणामों के अभिलेखन पर अपनी निगरानी रख सकेगा ।

(3) कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक या यूनिट का स्वामी या सहकारी सोसाइटी का सचिव या उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति किसी क्रय-केन्द्र पर किसी प्रकार की खैरात के नाम पर ईख की गाड़ी से कुछ भी ईख नहीं निकालेगा ।

25. कारखानों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण एवं उन क्षेत्रों में उपजायी गई ईख के क्रय की प्रक्रिया ।---(1) किसी वाह्य या आन्तरिक कारखाने के लिये कोई क्षेत्र आरक्षित करने के संबंध में ईख आयुक्त का आदेश सामान्यतः उस पेराई वर्ष के 31 जुलाई को या उसके पूर्व निर्गत किया जायगा, जिस वर्ष के लिए सबद्ध क्षेत्र को आरक्षित करने का प्रस्ताव हो । परन्तु असाधारण परिस्थितियों में, जो लेखबद्ध की जाए, ऐसा आदेश 31 जुलाई और निकट आगामी 30 सितम्बर के बीच किसी भी समय निर्गत किया जा सकेगा ।

(2) किसी वाड़ कारखाने का अधिभोगी भी अपने कारखाने के प्रयोजनार्थ राज्य के अन्तर्गत उसने किसी क्षेत्र को आरक्षित के लिये प्ररुप 11 में आवेदन करेगा और वचनवन्ध-पत्र (अन्डरटेकिंग) में विनिर्दिष्ट एक मात्र सहकारी सोसाइटी के माध्यम से ही ईख की खरीद करने के लिये प्ररूप-12 में वचनबन्ध करेगा।

(3) धारा 32 की उप-धारा (3) में उल्लिखित ईख की आपूर्ति की प्रस्थापना (आफर), सुसंगत पेराई-वर्ष के 31 अगस्त को या उसके पहले अथवा आरक्षण के संबंध में ईख-आयुक्त के आदेश की तारीख के पन्द्रह दिनों के भीतर, जो भी बाद में पड़ता हो, प्ररूप 13 में, की जायगी। ईख उत्पादक द्वारा दी गई प्रस्थापना संबंध सहकारी सोसाइटी द्वारा की गई प्रस्थापना समझी जायगी, बशर्ते कि वह ईख-उत्पादक उप-नियम 7 (4) में विनिर्दिष्ट करार की तारीख के पूर्व किसी भी समय किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो बन जाए अथवा धारा 32 की उप-धारा (4) के परन्तुक के खंड (iii) में निर्दिष्ट ईख आयुक्त के किसी आदेश के अनुसरण में, किसी सहकारी सोसाइटी के माध्यम से, ईख की आपूर्ति करने के लिये उसकी अपेक्षा हो। ऐसी प्रस्थापना की प्राप्ति के तुरत बाद उस कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक इस नियम के अधीन की गई प्रस्थापना की अभिस्वीकृति प्ररुप 13 में देगा।

(4) धारा 32 की उप-धारा (4) में अपेक्षित किसी कारखाने के अधिभोगी द्वारा ईख के क्रय के लिये करार ईख-उत्पादकों द्वारा की जाने वाली आपूर्ति के संबंध में प्ररूप 14 में तथा सहकारी सोसाइटियों द्वारा की जाने वाली आपूर्ति के संबंध में प्ररुप 15 में किया जायगा। इस तरह का करार प्रत्येक पेराई वर्ष में 31 अक्टूबर को या उसके पहले अथवा ईख-आयुक्त की आरक्षण संबंधी आदेश की तारीख के बाद छः सप्ताह के भीतर जो भी बाद में पड़े किया जायेगा।

(5) उप-नियम 4 के अधीन हस्ताक्षरित करार से उद्भूत कोई भी झगड़ा दोनों पार्टियों में से किसी एक द्वारा सम्बद्ध ईख पदाधिकारी को निर्देशित किया जायगा, जो दोनों पार्टियों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद अपना निर्णय देगा।

(6) ईख पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील पन्द्रह दिनों के भीतर कलक्टर के पास की जायगी, और कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) किसी आरक्षित क्षेत्र के किसी गांव में उपजाई ईख का क्रय एकमात्र उस गांव के सहकारी सोसाइटी के माध्यम से ही करने का ईख-आयुक्त का आदेश पेराई वर्ष में सितम्बर के 15वें दिन को या उसको पहले अथवा आरक्षण के संबंध में ईख-आयुक्त के आदेश के तीन सप्ताह के भीतर, जो भी तारीख पीछे पड़े, जारी किया जायगा।

(8) ईख-आयुक्त उप-नियम (5) में निर्दिष्ट आदेश, सम्बद्ध कारखाने के अधिभोगी और सहकारी सोसाइटी से परामर्श करके तथा उनमें से किसी के द्वारा किए गए किसी आक्षेप पर विचार करने के बाद जारी करेगा

(9) आरक्षण के प्रत्येक आदेश और उप-नियम (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की प्रतियां सम्बद्ध कारखाने के अधिभोगी सहकारी सोसाइटी के पास भेज दी जायेगी।

26. सर्वेक्षण पदाधिकारी को दी जाने वाली सहायता और सुविधाएं।--जिस क्षेत्र में भूमि का सर्वेक्षण धारा 34 के अधीन किया जा रहा हो, उस से स्वामित्व या अधिभोग में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा खेती किए गए या स्वामित्व में रखे गए क्षेत्र का खाता और प्लाट संख्या देगा, अपने द्वारा खेती किए गए या स्वामित्व में रखे गए प्लाट से संबंधित मूल दस्तावेज पेश करेगा तथा उस क्षेत्र के सर्वेक्षण के संबंध में ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसा सर्वेक्षण पदाधिकारी सर्वेक्षण के संचालन के संबंध में युक्तियुक्त रूप से करने की अपेक्षा करें।

27. खरीदी गई ईख और ईख रस तथा उसके लिए किए गए भुगतान के संबंध में दी जाने वाली रसीदें और रखे जाने वाले अभिलेख।—(1) किसी कारखाने के अधिभोगी या किसी सहकारी सोसाइटी के सचिव की ओर से ईख की खरीद करने वाला प्रत्येक क्रय-केन्द्र पर ईख डिलीवर करने वाले व्यक्ति को, उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित, एक रसीद (इसमें इसके पश्चात् ईख-तौल की रसीद के रूप में निर्दिष्ट) देगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट रहेगी :--

(क) ईख से लदी गाड़ी।पशु-चालित यान के क्रय केन्द्र पर पहुंचने का समय और तारीख,
(ख) पहचान-पत्र संख्या,
(ग) अध्यपेक्षा पर्चा संख्या,
(घ) खरीद की तारीख,
(ङ) उस ईख-उत्पादक या सहकारी सोसाइटी के सदस्य का नाम, माता या पिता का नाम और पूरा पता, जिसकी ईख की खरीद या आपूर्ति की जाय;
(च) उस व्यक्ति का नाम, माता या पिता का नाम और पूरा पता, जो वस्तुतः ईख को डिलीवरी करता हो,
(छ) ईख सहित ईख ढोने वाली गाड़ी अथवा ईख से लदे किसी अन्य यान का वजन (सकल वजन),
(ज) ईख रहित ईख ढोने वाली गाड़ी या किसी अन्य यान का वजन (खाली गाड़ी का वजन),

(झ) शुद्ध वजन अर्थात् सकल वजन, घटाव खाली गाड़ी का वजन,
(ञ) प्रति क्विंटल ईख की कीमत की दर,
(ट) ईख की कीमत के रूप में देय रकम,
(ठ) ईख की कीमत के भुगतान करने की तारीख,
(ड) ईख ढोनेवाली गाड़ी पशुचालित यान की तौल कर लेने के बाद उसे मुक्त करने का समय,
(ढ) छः घंटे से अधिक निरुद्ध कर लेने के कारण देय प्रतिकर की राशि, और
(ण) ऐसे प्रतिकर के भुगतान की तारीख।

(11) खंड (छ) और (ज) के संबंध में प्रविष्टियां, ईख डिलीवर करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उसी समय कर ली जायगी जिस समय ईख गाड़ी या पशु चालित यान तौल सेतु पर खड़ा ही रहे।

(2) ईख से लदे यान सहित ईख का सकल वजन लेने वाला व्यक्ति, ऐसे सकल वजन लेने के तुरत बाद, ईख डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को उप-नियम (1) के खंड (क) से (छ) के संबंध में पूर्ण प्रविष्टियों के साथ रसीद की एक प्रति अथवा उसके बदले में एक अलग पर्ची देगा। रसीद या पर्ची उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(3) वजन लेने के लिए उपयोजित तौल-सेतु पर गाड़ी पशु-चालित यान का वजन लेने वाला व्यक्ति अथवा कारखाने के अधिभोगी या प्रबन्धक द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, खाली गाड़ी या पशुचालित यान का वजन ले लेने के बाद, ईख डिलीवर करने वाले व्यक्ति को उप-नियम (1) के खंड (ज) के संबंध में प्रविष्टियों के साथ हर तरह से पूर्ण एक रसीद देगा।

(4) किसी यूनिट के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से खरीदी गई ईख या ईख-रस की रसीद देने के संबंध में उप-नियम (1) और (2) के उपबन्ध यथाः[आ]वश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे किन्तु उप-नियम (1) के खंड (क) से (ग) और (ड) से (ण) के संबंध में प्रविष्टियों का किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(5) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक और प्रत्येक यूनिट का स्वामी किसी क्रय केन्द्र पर खरीदी गई या आपूरित की गई ईख या ईख-रस का दैनिक अभिलेख (इसमें इसके पश्चात तौल पत्र के रूप में निर्दिष्ट) रखेगा या रखवाएगा जिसमें, यथास्थिति, उप-निगम (1) या (4) में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियां

...सहकारी सोसाइटियों और ईख उत्पादकों से खरीदी गई, यथास्थिति, ईख या ...रस के लिए अलग-अलग तौल पत्र रखे जायेंगे तथा सहकारी सोसाइटियों से ...की खरीद और आपूर्ति से संबंधित उन तौल पत्रों की प्रतियां, तौल पत्र के ...जाने के तीन दिनों के भीतर, सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों को ...दी जाएगी।

(6) अपनी ओर से या यथास्थिति, कारखाने के अधिभोगी या यूनिट के ...मी या सहकारी सोसाइटी की ओर से ईख या ईख-रस की कीमत का भुगतान ...वाला व्यक्ति भुगतान के संबंध में, अपने द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एक ...चर देगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट रहेंगी :—

(क) ईख-उत्पादक या सहकारी सोसाइटी के सदस्य का नाम और पूरा पता (किसी व्यक्ति की दशा में उसके पिता का नाम भी लिखा जायगा)।
(ख) तौल रसीद की क्रम संख्या,
(ग) खरीदी गई या ईख-रस की मात्रा,
(घ) ईख या ईख-रस की कीमत की देय राशि,
(ङ) ईख विकास की किसी अभिदायी स्कीम में अभिदाय के संबंध में काटी गई राशि ;
(च) ईख की खेती से संबंधित प्रयोजनों के कारखाना के अधिभोगी या सहकारी सोसाइटी के सचिव द्वारा दिए गए किसी उधार के प्रति संदाय मद्दे काटी गई राशि,

(छ) भुगतान की गई शुद्ध राशि, और

(ज) भुगतान की तिथि।

स्पष्टीकरण।—यदि तौल-रसीद में इस उप-नियम में अधिकथित विशिष्टियों के संबंध में अतिरिक्त प्रविष्टियां कर ली जाए, तो तौल की रसीद का ही उपयोग भुगतान वाउचर के रूप में किया जा सकेगा।

(7) यथास्थिति, किसी कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक, किसी यूनिट का ...मी या किसी सहकारी सोसाइटी का सचिव, प्रति दिन किए गए भुगतान का ...भिलेख (उसमें इसके पश्चात् भुगतान पत्र के रूप में निर्दिष्ट) रखेगा या रख...एगा जिसमें उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट रहेंगी। जहां ...यम 22 के अधीन कारखाने के अधिभोगी द्वारा सहकारी समिति के सदस्यों

को भुगतान किए जाते हैं, वहां ऐसे भुगतान के संबंध में पृथक भुगतान पत्र रखे जायेंगे तथा ऐसे भुगतान पत्रों की प्रतियां सम्बद्ध सोसाइटी या सोसाइटियों को मुफ्त दी जायगी।

28. ईख उत्पादकों का रजिस्टर।---(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी आरक्षित क्षेत्र में अथवा आरक्षित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में उपजायी गई ईख का विक्रय या आपूर्ति करने वाले सभी ईख उत्पादकों, सहकारी सोसाइटियों और ईख आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए प्रारूप 16 में एक रजिस्टर रखेगा।

(2) प्रत्येक यूनिट का स्वामी अपने द्वारा पेरी गई या खरीदी गई ईख या खरीदे गए ईख-रस के संबंध में एक रजिस्टर प्रारूप 17 में रखेगा।

(3) उप-नियम (1) एवं (2) के अधीन रखे गए किसी रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र, प्रत्येक पांच प्रविष्टियों या उनके भाग के लिए एक रुपए की फीस के साथ कारखाने के अधिभोगी या प्रबन्धक के पास और पचास पैसे की फीस के साथ यूनिट के स्वामी के पास किया जायगा, जिसके लिए रसीद दी जायगी।

(4) उप-नियम (1) और (2) के अधीन रखे गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन-पत्र के साथ, प्रत्येक पांच प्रविष्टियों या उनके भाग के संबंध में, एक रुपए का राजस्व स्टाम्प सटा रहेगा तथा आवेदक इस समय पर अपना हस्ताक्षर करके उसे सम्यक रूप से रद्द कर देगा।

(5) ईख पदाधिकारी, प्रभावित पक्षकारों की सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, की जाने वाली शुद्धि के संबंध में, अपना आदेश देगा और सम्बद्ध कारखाने का अधिभोगी या यूनिट का स्वामी, ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद, अपने रजिस्टर में तदनुरूप शुद्धि कर लेगा और शुद्धि की गई ऐसी प्रविष्टियां की एक प्रति सम्बद्ध पक्षकार को मुफ्त में दी जायगी।

(6) ईख पदाधिकारी ऐसे सभी आवेदन-पत्रों का एक रजिस्टर प्रारूप 18 में रखेगा।

(7) इस नियम के अधीन ईख पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश के 25, दिनों के भीतर, नियम 39 में विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी के पास की जा सकेगी। ईख पदाधिकारी का आदेश, अपील के परिणाम के अध्यधीन, अन्तिम होगा।

29. बीज-नर्सरी कायम करना।----(1) धारा 38 में निर्दिष्ट ईख-बीज की नर्सरी उस भूमि पर रखी जायगी जिसमें कारखाने पर स्वामित्व रखने वाले फर्म घटकों अथवा व्यक्ति निकाय अथवा किसी लोक या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के निदेशकों या शेयरधारियों द्वारा स्वामित्व में रखे गए ईख फार्म या फार्मों के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र समाविष्ट हैं। जहां ऐसे क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो, वहां कारखाने का अधिभोगी ईख उत्पादकों या सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों से उपयुक्त भू-क्षेत्र पट्टे पर प्राप्त करने के लिए अथवा सहकारी सोसाइटियों, ईख उत्पादकों तथा सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के सहयोग से बीज-नर्सरी कायम करने की एक संयुक्त स्कीम तैयार करने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

(2) धारा 36 के अधीन कारखाने के उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित की गई किस्म की ईख ऐसी बीज-नर्सरी क्षेत्र में नहीं उपजायी जायगी तथा उसी तरह अनुपयुक्त घोषित नर्सरी की पेड़ी (रटून) ईख का उपयोग बीज ईख के रूप में वितरण के लिए नहीं किया जायगा।

(3) बीज-नर्सरी में विभिन्न बीज-ईख की विभिन्न किस्में उन अनुपातों में उपजायी जाएंगी, जितने के लिए कारखाने के अधिभोगी और सम्बद्ध परिषद् आपस में सहमत हुए तथा ईख आयुक्त द्वारा अनुमोदित हों।

(4) बीज के उत्पादन के अनुक्रम में उस कृषि-पद्धति का उपयोग और उस निवेश का प्रयोग किया जायगा, जो बोर्ड अवधारित करें।

30. क्रय-केन्द्रों पर पहुंच मार्गों छाजनों तथा पानी के नलों का उपबंध---

प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक---

(क) प्रत्येक क्रय-केन्द्र पर, निकटतम सार्वजनिक सड़कों को पड़ाव-स्थल से मिलाने वाले उपयुक्त पहुंच मार्गों तथा पड़ाव स्थल से उस स्थल तक, जहां तक तौल के बाद ईख को गाड़ी से उतारा जाता है उसी तरह उपयुक्त रास्तों का उपबन्ध करेगा;

(ख) ऐसे मार्गों एवं रास्तों की मरम्मत करवायेगा तथा क्रय केन्द्रों की संक्रिया के समय उन्हें सन्तोषप्रद रूप से काम लायक स्थिति में बनाए रखेगा।

(ग) तौल और खरीद के लिए किसी भी दिन क्रय-केन्द्र पर लायी जाने के लिए अपेक्षित ईख ढोने वाली पशु-चालित गाड़ियों की अधिकतम संख्या की कम-से-कम एक चौथाई के लिए पड़ाव-स्थल का उपबन्ध करेगा ;

(घ) पक्के मार्गों को साफ-सुथरा रखेगा तथा उन पर रेलिंग और झरियां लगवा देगा ;

(ङ) कलक्टर के समाधान रूप प्रत्येक के क्रय केन्द्र पर पशुओं तथा गाड़ीवानों के लिए विश्राम-स्थल का उपबन्ध करेगा ;

(च) कारखाने में अवस्थित या उससे सटे प्रत्येक क्रय-केन्द्र (इसमें इसके पश्चात् कारखाना फाटक स्थित क्रय-केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट) सुविधाजनक स्थलों पर पानी के लिए कम-से-कम चार नल या पाकल तथा कारखाना फाटक स्थित क्रय केन्द्र से भिन्न प्रत्येक क्रय-केन्द्र (इसमें इसके पश्चात् ही कारखाना क्रय केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट) पर उसी तरह का कम-से-कम एक-एक पानी-नल या चापा कल का उपबन्ध करेगा ;

(छ) प्रत्येक पड़ावशाले में ऐसे स्थलों, पर जो सम्बद्ध ईख-पदाधिकारी अवधारित करे, पर्याप्त संख्या में पानी हौजों का उपबन्ध करेगा,

(ज) किसी भी क्रय केन्द्र में ऐसी अन्य सुविधाओं का उपबन्ध करेगा, जो समय-समय पर ईख आयुक्त या कलक्टर द्वारा जारी किए गए निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए ;

परन्तु ईख-आयुक्त किसी भी कारखाने के अधिभोग को वहीं कारखाना क्रय केन्द्र के संबंध में इस नियम की, किसी अपेक्षा से उस विस्तार तक छूट दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ;

परन्तु यह भी कि इस नियम के अधीन तबतक कोई छूट नहीं दी जायगी, जबतक कि सहकारी सोसाइटी और सम्बद्ध परिषद् का परामर्श नहीं ले लिया गया हो।

31. पशु-चालित गाड़ियों को रोक रखने के लिए प्रतिकर का भुगतान—(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी या प्रबन्धक अपने द्वारा या अपनी ओर से अध्यपेक्षा-पर्ची या किसी अन्य एडवाइस को निर्गत करने पर प्रत्येक को क्रय-केन्द्र

पर लायी गई ईख से लदी पशु चालित गाड़ियों का एक रजिस्टर रखवायेगा। ऐसे रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट रहेंगी:—

(क) ईख उत्पादक या सहकारी सोसाइटी के सदस्य का नाम और पता,

(ख) अध्यपेक्षा-पर्ची या एडवाइस की क्रम संख्या ;

(ग) पड़ाव-स्थल में गाड़ी के आगमन की तारीख और समय, और

(घ) घड़ा (टेयर) तौल-सेतु पर वजन के लिए जाने के बाद पड़ाव-स्थल से गाड़ी के प्रस्थान की तारीख और समय। गाड़ी के आगमन का समय, यथास्थिति अध्यपेक्षा-पर्ची या एडवाइस के पृष्ठ भाग पर भी अंकित कर दिया जाएगा और उसपर रजिस्टर का प्रभारी व्यक्ति अपना आद्याक्षर कर देगा। इस प्रकार की अध्यपेक्षा-पर्ची या एडवाइस सकल (ग्रौस) वजन के बाद चौबीस घंटे तक सकल (ग्रौस) तौल सेतु पर रखा रहेगा और उसके बाद उसे कारखाने के कार्यालय में कम-से-कम एक महीना तक रखा जायगा।

(2) कारखाने में हड़ताल या मशीनरी के ठप्प हो जाने या नियंत्रण के परे कारण से क्रय के निलम्बित की दशा में, नियम 23 के उप-नियम (3) के अधीन सूचना के चिपकाये जाने के बारह घंटे बाद क्रय-केन्द्र में लायी गई ईख से लदी पशु चालित गाड़ी के संबंध में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(3) अध्यपेक्षा-पर्ची या एडवाइस की अपेक्षानुसार से अन्यथा या बिना किसी अध्यपेक्षा-पर्ची या एडवाइस के क्रय केन्द्र में लायी गई ईख से लदी पशु चालित गाड़ी के संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि उस गाड़ी को उसे रोक रखने के कारण, प्रतिकर का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ रोक रखा गया है।

(4) आउट स्टेशन क्रय-केन्द्र में ईख लादने के लिए और उसे कारखाने में भेजने के लिए रेल डिब्बों, ट्रकों, ट्रैक्टरों, ट्रेलरों, ठेलों आदि की अनुपलब्धता अथवा ईख लादने या उतारने के लिए मजदूरों का अभाव, किसी क्रय-केन्द्र में किसी पशु चालित ईख गाड़ी को रोक रखना विधिमान्य कारण नहीं माना जाएगा।

(5) पशु चालित किसी गाड़ी को रोक रखने के लिए प्रतिकर का भुगतान यथास्थिति, ईख उत्पादक या किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य को ईख की कीमत के भुगतान के साथ किया जायगा।

32. ईख की कीमत का भुगतान ।—(1) ईख की कीमत का भुगतान कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक अथवा उसकी ओर से काम करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी गांव या ग्राम-समूह अथवा किसी सहकारी सोसाइटी।सोसाइटियों द्वारा आपूर्तिकी गई ईख के संबंध में भुगतान की तिथि की पर्याप्त सूचना देने के बाद, सम्बद्ध क्रय-केन्द्र पर किया जायगा,

परन्तु कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से क्रय-केन्द्र से बाहर किसी स्थान पर खरीदी गई ईख की कीमत का भुगतान उस क्रय-केन्द्र से भिन्न स्थान पर किया जा सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दी गई सूचना की प्रति ईख पदाधिकारी, कलक्टर और ईख आयुक्त तथा इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप में नियुक्त सहायक ईख आयुक्त को भी साथ-साथ भेज दी जायगी।

(3) ईख की कीमत का भुगतान ईख उत्पादक को या ईख की आपूर्ति करने वाले को अथवा उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गए व्यक्ति को किया जायगा।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी को देय ईख की कीमत की राशि का भुगतान उस सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के संकल्प द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को या तो नकद या सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी के नाम निर्गत क्रोस चेक द्वारा सहकारी सोसाइटी द्वारा नकद या चेक में भुगतान करने की मांग के अनुसार किया जाएगा।

(5) ईख की कीमत की उस राशि का भुगतान, जो अंततोगत्वा, सहयोग सोसाइटी के किसी सदस्य को वसूलनीय है, कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अथवा उसकी ओर से काम करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा सीधे उस व्यक्ति को किया जा सकेगा, यदि कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक और सम्बद्ध सहयोग सोसाइटी के बीच ऐसे सीधे भुगतान के लिए कोई करार हो, अथवा यदि ईख-आयुक्त यह निदेश दे कि किसी सहयोग सोसाइटी के सदस्यों को सीधे ऐसा भुगतान किया जाए, ताकि उनका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(6) उप-नियम (5) के अधीन की गई सेवाओं के बदले कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक को देय पारिश्रमिक की दर उतनी होगी, जितनी ईख आयुक्त, सहकारी सोसाइटी और सम्बद्ध कारखाने के अधिभोगी या प्रबन्धक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद अवधारित करें। ईख आयुक्त विनिश्चय नियम (37) में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(7) ईख आयुक्त का विनिश्चय, पुनरीक्षण प्राधिकारी के विनिश्चय के अध्यधीन अन्तिम होगा।

(8) अधिभोगी या स्वामी अपने द्वारा देय ईख या ईख-रस की कीमत के सभी बकायों पर प्रतिवर्ष ग्यारह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

33. अभिदायी स्कीम के लिए अभिदाय की राशि का निक्षेप ।—धारा 44 के अधीन किसी अभिदायी स्कीम के लिए ईख-उत्पादकों या सहकारी सोसाइटियों अथवा सहयोग सोसाइटियों के सदस्यों का अभिदाय, जो कारखाने में अधिभोगी या प्रबंधक अथवा, सहयोग सोसाइटी द्वारा उसमें अधिकथित रीति से किसी महीने में संग्रहित किया गया हो, नकद रूप में या परिषद के नाम रेखांकित चेक निर्गत करके आगामी महीने के प्रथम सप्ताह तक जमा कर दिया जायगा।

34. ईख की कीमत के संबंध में विवादों का निर्णय—(1) यदि धारा 46 के अधीन कोई विवाद उठे तो विवाद उठाने वाला व्यक्ति सम्यक रूप से हस्ताक्षर करके एक लिखित विवरण सम्बद्ध कारखाने के (अकूपायर) अधिभोगी के पास दायर करेगा जो तुरत प्ररूप (फारम) 19 में अपने द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में विवाद दर्ज करेगा।

(2) कारखाना अधिभोगी लिखित विवरण मिलने के एक सप्ताह के भीतर ऐसा विवाद, उस क्षेत्र के ईख पदाधिकारी के पास विनिश्चयार्थ निर्दिष्ट करेगा।

(3) ऐसे विवाद से संबंधित और धारा 46 की उप-धारा (1) के अधीन अधिभोग द्वारा रोकी गई ईख की कीमत अनुमंडल पदाधिकारी समाहर्त्ता को जानकारी देकर आर० डी० भाग-1 में जमा की जायगी।

(4) ईख पदाधिकारी अपने विनिश्चय या पक्षकारों के बीच हुए सौहार्दपूर्ण समझौते के अनुसार भुगतान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को सुसंगत रकम की वापसी के लिए एक आदेश निर्गत करेगा। ऐसे आदेश के अधीन रकम की वापसी ईख पदाधिकारी के आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन बीतने के पहले नहीं की जायेगी जहां ईख पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई हो, वहां रकम की वापसी समाहर्त्ता द्वारा अपील का निपटारा होने तक नहीं की जायगी।

(5) जहां इस नियम के अधीन ईख पदाधिकारी का विनिश्चय, धारा 48 की उप-धारा (3) के अधीन अपील में समाहर्त्ता द्वारा अपास्त या उपान्तरित किया जाय, वहां ईख पदाधिकारी समाहर्त्ता के आदेश के अनुसार पुनरीक्षित आदेश निर्गत करेगा।

35 ईख पर कमीशन का भुगतान--(1) कारखाने का हरेक आभ्यंतर (इंटरनल) या बाह्य (एक्सटर्नल) कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक राज्य में अपने द्वारा चलाए गये हरेक खरीद केन्द्र पर अपने द्वारा या अपनी ओर से खरीदी गई ईख का प्ररूप (फारम) 20 में सही दैनिक लेखा में रखेगा।

(2) ऐसी अधिभोगी या प्रबंधक हरेक महीने के प्रथम पखवारे के भीतर सम्बद्ध कारखाने के अधिभोगी द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती महीने में खरीदी गई ईख से संबंधित आढ़त (कमीशन) की अदायगी के लिए, यथास्थिति, सहकारी सोसाइटी या परिषद के बिल पर उसे उसको लेखे में (रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा) भुगतान करेगा। परन्तु इस नियमावली के प्रवर्तन के पहले की किसी अवधि के संबंध में सभी बकायों का भुगतान इसके प्रारम्भ होने के एक महीने के भीतर कर दिया जायगा :

परन्तु यह और कि सहकारी सोसाइटी द्वारा कारखाने के अधिभोगी को आपूरित ईख के संबंध में सोसाइटी को देय आढ़त (कमीशन) तबतक प्रति क्विंटल 6 पैसे की दर से चुकाई जायगी जबतक कि धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित आढ़त (कमीशन) दर प्रति क्विंटल तेरह पैसे से अधिक न हो जाय उसके बाद सहकारी सोसाइटी आपूरित ईख के लिए प्रति क्विंटल सात पैसे की दर से भुगतान का हकदार होगी और शेष का भुगतान परिषद् को किया जायगा। सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपूरित ईख के संबंध में देय आढ़त (कमीशन) पूर्णतः सम्बद्ध परिषद को चुकाई जायगी।

(3) अधिभोगी या प्रबंधक उप-नियम (2) के अधीन किए गए सभी भुगतानों का एक रजिस्टर प्ररूप (फारम) 21 में अनुरक्षित करेगा।

(4) कोई नया कारखाना, सामान्यतः उसके चालू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए, सम्बद्ध परिषद को आढ़त (कमीशन) चुकाने से छुट का हकदार होगा :

परन्तु राज्य सरकार ऐसे कारखाने के चालू होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने पर आढ़त (कमीशन) चुकाने की कारखाने की क्षमता के

...य में उसकी स्थिति का पुनर्विलोकन कर सकेगी तथा सम्बद्ध कारखाना और ...षद के अधिभोगी को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद छूट अवधि घटा सकेगी।

(5) कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा उप-नियमों के अधीन कमीशन के ...की भुगतान के तुरत बाद वह सम्बन्धित ईख पदाधिकारी के पास प्ररूप 12 ... भुगतान का समंकित विवरणी भेजेगा। साथ-साथ इस नियम के अन्तर्गत ...जे गये विवरणी की प्रतियां ईखायुक्त, समाहर्त्ता तथा उस क्षेत्र के लिए नियुक्त ...ायक ईखायुक्त को भी भेजा जायगा।

36. (1) प्रवेश कर या खरीद कर का भुगतान—प्रत्येक कारखाना अधिष्ठाता फॉरम 28 में, निम्न का अलग-अलग सही दैनिक लेखा रखेगा:—

(क) कारखाना जिस स्थानीय क्षेत्र में स्थित हो उसमें, कारखाने के उपयोग या प्रयोग या उसके प्रति बिक्री के लिए, जानेवाली ईख और

(ख) अधिष्ठाता द्वारा या उसकी ओर से, खंड (क) में यथानिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई ईख।

(2) कारखाना अधिष्ठाता, हर महीने के अन्त में एक पक्ष के भीतर; ...छले महीने में ईख का जो परिमाण संबद्ध स्थानीय क्षेत्र में आया या कारखाना ...धिष्ठाता द्वारा या उसकी ओर से खरीदा गया, उस पर अध्यादेश की धारा 35 के ...पबंधों के अधीन कर रूप में शोध्य रकम कोषागार में "29-(आ)-उद्योग-उद्योग-...ख पर खरीद कर तथा सेस" शीर्षक के अधीन भुगतायगा और इसी प्रकार ...मय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबद्ध कर की किसी बढ़ोत्तरी मद ...शोध्य रकम का, ऐसी अधिसूचना के एक पक्ष के भीतर भुगतान करेगा।

परन्तु अध्यादेश के अधीन अधिरोपित कर के संबंध में 1967-68 पेराई ...ाल में की गई 1968 तक की अवधि के लिए शोध्य कर 30 जून, 1968 तक ...भुगताया जा सकेगा।

(3) हर महीने के अन्त में एक पक्ष के भीतर, या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कर में किसी बढ़ोतरी की अधिसूचना के एक पक्ष के भीतर, कारखाना ...अधिष्ठाता यथास्थिति फॉरम 29 या 30 में समाहर्त्ता को एक विवरणी पेश करेगा ...जिसमें निम्न बातें संदर्शित रहेंगी:—

(क) पिछले महीने में या इस उप-नियम में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख तक उस स्थानीय क्षेत्र में आई हुई या उस स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई ईख का परिमाण; और

(ख) अधिष्ठाता द्वारा, यथास्थिति प्रवेश कर या खरीद कर मद्दे कोषागार में भुगतायी गई रकम।

उप-नियम (2) के अधीन कोषागार में भुगताए गए कर के संबंध में द्वितीय कोषागार चालान या रसीदें भी विवरणी के साथ पेश की जाएगी और विवरणी की प्रतियां संबंद्ध क्षेत्र के निरीक्षक और सहायक ईख आयुक्त को तथा ईख आयुक्त को भी भेजी जाएगी।

(4) फॉरम 29 या 30 में विवरणी की प्राप्ति पर समाहर्त्ता इस बात का सत्यापन करेगा कि कर की रकम ठीक तरह से परिकलित की गई है और जो रकम भुगतान दिखायी गई है, वह वस्तुतः भुगतान हो गई है।

(5) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कारखाना अधिष्ठाता द्वारा इसके लिए दिए गए आवेदन पर उचित विचार करने के बाद, राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि कारखाना अधिष्ठाता, अपने वश से बाहर के कारणों से उस (उप नियम) में दी गई रीति से भुगतान करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि शोध्य रकम का केवल आधा ही उक्त रूप से भुगताया जाएगा और मई के 31वें दिन को शोध्य कुल शेष रकम आगामी पांच महीनों में हर महीने को 15वी तारीख तक भुगतान करते हुए, पांच बराबर मासिक किस्तों में भुगता दी जायगी:

परन्तु जहां कोई कारखाना-अधिष्ठाता अपर विनिर्दिष्ट रीति से, ऐसी रकम न भुगताये, वहां वह शोध्य मूलधन की रकम और ब्याज के अतिरिक्त निम्नांकित दर से अर्थदंड भी देगा:—

(1) व्यतिक्रम (चूक) के हर पहले और दूसरे मास के लिए शोध्य मूलधन का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष:

(2) व्यतिक्रम (चूक) के हर तीसरे और चौथे मास के लिए शोध्य मूलधन का चार प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(3) व्यतिक्रम (चूक) के हर पांचवें और छठे मास के लिए शोध्य मूलधन का छः प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(4) 6 मास से अधिक के व्यतिक्रम (चूक) जो लिया शोध्य मूलधन का ऐसा और ऊंचा प्रतिशत छः प्रतिवर्ष जो राज्य सरकार आरोपित करें।

टिप्पणी—15 दिन या इससे अधिक का व्यतिक्रम पूरा एक मास गिना जाएगा और 15 दिन से कम के व्यतिक्रम (चूक) की उपेक्षा कर दी जाएगी।

(6) बिहार के बाहर के किसी कारखाने का अधिष्ठाता इस राज्य में उसके द्वारा या उसकी ओर से खरीदी गई ईख के संबंध में शोध्य कर की रकम इस राज्य के किसी कोषागार में भुगतान करेगा और संबद्ध विवरणियां उस जिले के समाहर्त्ता को पेश करेगा जिस जिले में ईख खरीदी गई हो। विवरणियों की प्रतियां ईखायुक्त, बिहार तथा संबंद्ध निरीक्षक एवं सहायक ईखायुक्त को भी भेजी जाएंगी।

37. खरीद कर का भुगतान—(1) प्रत्येक यूनिट का मालिक फारम 31 में निम्न का अलग-अलग सही दैनिक लेखा रखेगा:—

(क) यूनिट जिस स्थानीय क्षेत्र में स्थित हो उसमें, कारखाने के उपयोग या प्रयोग या उसके प्रति बिक्री के लिए, आनेवाली ईख और

(ख) मालिक द्वारा या उसकी ओर से खंड (क) में यथानिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई ईख।

(2) यूनिट के मालिक हर महीने के अन्त के एक पक्ष के भीतर, पिछले महीने में ईख का जो परिमाण संबद्ध स्थानीय क्षेत्र में आया या यूनिट के मालिक द्वारा या उसकी ओर से खरीदी गयी, उस पर अध्यादेश की धारा 35 के उपबंधों के अधीन कर रूप से शोध्य रकम कोषागार में '045-गन्ना पर खरीद-कर तथा शेष' शीर्षक के अधीन भुगताएगा और इसी प्रकार समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सम्बद्ध कर की किसी बढ़ोतरी मद्दे शोध रकम का, ऐसी अधिसूचना के एक पक्ष के भीतर भुगतान करेगा।

(3) हर महीने के अन्त के एक पक्ष के भीतर या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कर में किसी बढ़ोत्तरी की अधिसूचना के एक पक्ष के भीतर यूनिट का मालिक, यथास्थिति फॉरम 32 या 33 में समाहर्त्ता को एक विवरणी पेश करेगा जिसमें निम्न बातें संदर्शित रहेंगी:—

(क) पिछले महीने में या इस उप-नियम में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख तक उस स्थानीय क्षेत्र में आई हुई या उस स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई ईख का परिमाण; और

(ख) मालिक द्वारा, यथास्थिति, खरीद-कर नई कोषागार में भुगताई गई रकम ।

उप-नियम (2) के अधीन कोषागार में भुगताए गए कर के संबंध में द्वितीय कोषागार चालान तथा रसीदें भी विवरणी के साथ पेश की जाएंगी और विवरणी की प्रतियां सम्बद्ध क्षेत्र के ईख पदाधिकारी और सहायक ईख आयुक्त को तथा ईख आयुक्त को भी भेजी जाएंगी

(4) फारम 32 या 33 में विवरणी की प्राप्ति पर, समाहर्ता इस बात का सत्यापन करेगा कि कर की रकम ठीक तरह से परिकलित की गई है और जो रकम भुगताई दिखायी गई है, वह वस्तुतः भुगताई गई है :

(5) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां यूनिट के मालिक के द्वारा इसके लिए दिए गए आवेदन पर उचित विचार करने के बाद राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि यूनिट के मालिक अपने वश से बाहर के कारणों से उक्त (उप-नियम) में दी गई रीति से भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि शोध रकम का केवल आधा ही उक्त रूप से भुगताया जाएगा, और मई के 31वें दिन को शोध कुल शेष रकम आगामी 5 महीनों में हर महीने की 15वीं तारीख तक भुगतान करते हुए 5 बराबर मासिक किस्तों में भुगतान की जायगी :

परन्तु जहां कोई यूनिट का मालिक ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से, ऐसी रकम न भुगतायें वहां वह शोध मूलधन की रकम और ब्याज के अतिरिक्त निम्नांकित दर से अर्थदंड भी देगा :—

(क) व्यतिक्रम (चूक) के हर पहले और दूसरे मास के लिये शोध मूलधन का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष ;

(ख) व्यतिक्रम (चूक) के हर तीसरे और चौथे मास के लिये शोध मूलधन का 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ;

(ग) व्यतिक्रम (चूक) के हर पांचवें और छठे मास के लिये शोध मूलधन का 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ;

(घ) 6 मास से अधिक के व्यतिक्रम (चूक) के लिये शोध मूलधन का ऐसा और ऊंचा प्रतिशत प्रतिवर्ष जो राज्य सरकार आरोपित करें ।

टिप्पणी—15 दिन या उससे अधिक का व्यतिक्रम पूरा 1 मास गिना जाएगा और 15 दिन से कम के व्यतिक्रम (चूक) की उपेक्षा कर दी जाएगी

(6) बिहार के बाहर के किसी यूनिट का मालिक इस राज्य में उसके द्वारा या उसकी ओर से खरीदी गई ईख के संबंध में शोध कर की रकम इस राज्य के किसी कोषागार में भुगताएगा और सम्बद्ध विवरणियां उस जिले के समाहर्ता को पेश करेगा जिस जिले में ईख खरीदी गई हो । विवरणियों की प्रतियां ईखायुक्त, बिहार तथा सम्बद्ध निरीक्षक एवं सहायक ईखायुक्त को भी भेजी जाएंगी ।

38. ईख की खेती और आपूर्ति के लिये कारखाने के अधिभोगियों से उधार—(1) किसी कारखाने का अधिभोगी या उसकी ओर से काम करनेवाला कोई व्यक्ति, ईख की खेती या आपूर्ति से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किसी ईख-उत्पादक या सहकारी सोसाइटी को नकद या जिन्स में उधार दे सकेगा :

परन्तु नकद रूप में ऐसे उधार की कुल राशि और जिन्स में उधार का मूल्य परिकलित या खड़ी ईख-फसल के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(2) यथास्थिति, किसी ईख-उत्पादक या सहकारी सोसाइटी को देय की गई राशि से उधार, उस पर देय ब्याज सहित, की कटौती उसी पेराई-वर्षों के दौरान ईख-आपूर्ति की कालावधि से कम-से-कम तीन बराबर किस्तों में की जाएगी ।

39. लोक मांग के रूप में वसूलीय रकम के लिए अध्यपेक्षा पदाधिकारी धारा 34, 44, 47 और 48 के अधीन लोक मांग के रूप में वसूलीय रकम जब उस ईख-पदाधिकारी को देय लोक मांग के रूप में वसूलीय होगी, जो (ईख पदाधिकारी) बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 5 के अधीन संबद्ध सर्टिफिकेट-पदाधिकारी के पास उक्त अधिनियम के अधीन उस रकम की वसूली के लिए एक लिखित अध्यपेक्षा भेजेगा ।

40. पुनरीक्षण प्राधिकारी---(1) धारा 13 की उप-धारा (8) के अधीन ईख की साम्योचित खरीद के संबंध में ईख-पदाधिकारी के किसी अनुदेश के पुनरीक्षण के लिए अथवा नियम 22 के उप-नियम (8) के अधीन खड़ी ईख फसल के सर्वेक्षण से संबन्धित किसी विवाद के बारे में उसके द्वारा किए गए किसी विनिश्चय के पुनरीक्षण के लिए आवेदन संबद्ध क्षेत्र के सहायक ईख-आयुक्त के पास किया जा सकेगा।

(2) अध्यादेश के राज्य सरकार के प्रशासी विभाग के सचिव को धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन समाहर्त्ता के किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार के प्रशासी विभाग के सचिव या प्रधान सचिव को धारा 29 की उप-धारा (4) या नियम 22 के उप-नियम (6) में निर्दिष्ट ईख-आयुक्त के किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन-पत्र को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने की शक्ति होगी।

41 (1) अपील-प्राधिकारी---नियम -28 के उप-नियम (5) के अधीन ईख-पदाधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील संबद्ध क्षेत्र के सुसंगत सहायक ईख-आयुक्त के पास की जा सकेगी।

(2) नियम 18 के उप-नियम (4) या (6) के अधीन समाहर्त्ता के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के राज्य सरकार के प्रशासी विभाग के सचिव के पास की जा सकेगी।

(3) धारा 16, 18, 19, 20, 31 या 32 के अधीन ईख-आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील राज्य सरकार के प्रशासी विभाग के सचिव या प्रधान सचिव के पास की जा सकेगी।

42। अभिलेख रजिस्टर और लेखा का परिरक्षण---नियम 27 के उप-नियम (5) और (7) के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित तौल-पत्र और भुगतान-पत्र नियम 28, 31, 34, 35, 36 और 37 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर, तथा नियम 35, 36 और 37 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित ईख के लेखे को संबद्ध पेराई-वर्ष के प्रारूप की तारीख से छह वर्षों तक की कालावधि तक परिरक्षित रखा जाएगा।

43. पूर्व नियमों का अधिक्रमण— (1) ये नियम बिहार चीनी कारखाना नियन्त्रण अधिनियम, 1937 के अधीन बनी सभी नियमों और बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं क्रय-विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1968 के अधीन बने बिहार ईख (करारधान) नियमावली और बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1972 के अधीन बनी, बिहार ईख (ईख-बोर्ड एवं क्षेत्रीय विकास परिषद् का गठन और कार्यक्रम नियमावली को अधिक्रांत कर देंगे।

(2) इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व, बिहार सूगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, 1937 (वि० अ० 7, 1937) या बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1968 (वि० अ० 1, 1968) या बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1968 (वि० अ० 6, 1968) या बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1968 (वि०अ० 13, 1968) या बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1969 (वि० अ० 4, 1969) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1969 (वि० अ० 6, 1969) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1969 (राष्ट्रपति अ० 8, 1969) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1971 (वि० अ० सं० 20, 1971) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1971 (वि० अ० सं० 49, 1971) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1971 (वि०अ० सं० 69, 1971); बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1972 (वि०अ० सं० 61, 1972) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1972 (बिहार अध्यादेश सं० 110, 1972 बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1972 (बिहार अध्यादेश सं० 185, 1972) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (बिहार अध्यादेश सं० 47, 1973) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1973 (बिहार अध्यादेश सं० 113 1973), बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974, (बिहार अध्यादेश सं० 15, 19, 4) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 84, 1974) बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 115, 1974) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश स० 185, 1974) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 36, 1975) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 91, 1975) या बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 135, 1975) या

बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश संख्या 183, 1975) या बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश संख्या 215, 1975) या बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 43, 1976) या बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 118, 1976 या बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 119, 1976) या बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 195, 1976) या बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय संशोधन अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 12, 1976) या बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश 1977 (बिहार अध्यादेश संख्या 49, 1977), बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश संख्या 48, 1977, बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 93, 1977), बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 150, 1977) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 197, 1977), बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) पंचम अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 262, 1977) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1978 (बिहार अध्यादेश सं० 20, 1978) के अधीन की गयी कोई बात या कारवाई (भावी या भूतलक्षी प्रभाव से) बनाये गये किसी नियम या जारी की गयी अधिसूचना, दिये गये आदेश, की गयी नियुक्ति, प्रारम्भ की गयी कार्यवाही, निर्णित या मध्यस्थ के लिये निर्देशित विवाद, प्रादुर्भूत अधिकार या उपगत दायित्व सहित), उसके निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायगी, मानो इस नियमावली के ऐसे सभी दायित्व समय पर लागू रहे हों जब ऐसी बात या कारवाई की गयी थी।

परिशिष्ट 1

प्रारूप 1

किसी कारखाने में ईख पेरने के निमित्त अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र।

(देखें नियम 15)

1. (क) आवेदक का नाम, माता या पिता का नाम तथा निवास स्थान, अथवा किसी फार्म या अन्य व्यक्ति संगम की दशा में उस फार्म या संगम के कारबार का नाम और प्रमुख स्थान व प्रतिनिधि भागीदारों या उनके सदस्यों का नाम।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी या प्राइवेट कं० की दशा में उस कम्पनी का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता तथा उस कम्पनी के निदेशकों, पदाधिकारियों, सचिव और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का नाम और पता।

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में उस सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता तथा प्रबन्ध समिति (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) के अध्यक्ष।प्रबन्ध-निदेशक सभी सदस्यों का नाम और पता।

2. कारखाने का स्थल

ग्राम या नगर..................

पुलिस थाना..................

डाकघर..................

जिला..................

निकटतम रेलवे स्टेशन..........

जिस स्थानीय क्षेत्र में कारखाना अवस्थित हो उसका नाम।

3. कारखाने के संयंत्र और मशीनरी की प्रतिष्ठापित क्षमता।

4. कारखाने में पेरी जाने के लिए प्रस्तावित ईख की परिभाषा।

5. तीन पूर्ववर्ती पेराई-वर्षों के प्रत्येक वर्ष में कारखाने में पेरी गई ईख का कुल परिमाण।

6. इन तीनों पूर्ववर्ती पेराई-वर्षों के दौरान कारखाने में कुल कितने दिनों तक काम हुआ?

7. निक्षिप्त अनुज्ञप्ति-फीस/अनुज्ञप्ति-नवीकरण फीस की राशि।

(प्राप्त कोषागार-चालान की एक प्रति आवेदन-पत्र के साथ लगा दी जाए)।

8. 19 के पेराई-वर्ष में कारखाने में पेराई प्रारम्भ होने की अधिसम्भाव्य तारीख।

में..................अपनी ओर से..................

..............................फार्म।कम्पनी.......की ओर से

उपर्युक्त कारखाने में ईख पेरने के निमित्त 19 के पेराई-वर्ष के लिए

अनुज्ञप्ति देने।अनुज्ञप्ति संख्या..............., तारीख.....को नवीकृत

करने के लिए, इसके द्वारा आवेदन करता हूं।

स्थान..

तारीख...................., आवेदक का अथवा फार्म, संगम या कम्पनी या सहकारी सोसाइटी की ओर से सम्यक् रूप से सशक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 1

प्ररूप 2

किसी कारखाने में ईख पेरने के लिये अनुज्ञप्ति।

(देखें नियम 5)

संख्या.............; तारीख.......,इसके द्वारा, 19.......

के पेराई वर्ष में कारखाने में (जो...........के स्वामित्व में।के पट्टे पर

परिचालन में है और जो...............डाक घर.....थाना.......,

जिला.................में अवस्थित है).......क्विंटल ईख पेरने के लिए उसके अधिभोगी को नीचे विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों पर अनुज्ञप्ति दी जाती है।

(1) यह अनुज्ञप्ति 30 जून 19 तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि यह उक्त अध्यादेश की धारा 18 के अनुसार रद्द या निलम्बित न कर दी जाए।

(2) उक्त पेराई-वर्ष के दौरान उक्त कारखाने में अधिक-से-अधिक ..... टन ईख पेरी जाएगी, किन्तु राज्य सरकार इस मात्रा में समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगी :

(3) अनुज्ञप्तिधारी कारखाने में ईख की पेराई तारीख ......तक शुरू कर देगा और ईख की पेराई बन्द करने के पहले पूरे पन्द्रह दिनों की सूचना देगा :

(4) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों द्वारा आबद्ध होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

तारीख....................

अवर।उप।संयुक्त।अपर विशेष सचिव,
..........विभाग।

नवीकरण

संख्या.................. तारीख ....

नीचे विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, 19......के पेराई-वर्ष

में...........टन ईख पेरने के लिए उपर्युक्त कारखाने के अधिभोगी

श्री....................की अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अवर।उप।संयुक्त।अपर विशेष सचिव,
..............विभाग।

परिशिष्ट 1

प्रपत्र 3

यूनिट के स्वामी को अनुज्ञप्ति देने या नवीकृत करने के लिये आवेदन-पत्र

(देखें नियम 16)

(1) आवेदक तथा उसके माता या पिता का नाम—

(2) फार्म का नाम—

(3) पत्राचार का पता—

(4) किसी फार्म या व्यक्ति संगम की दशा में, प्रबन्ध-भागीदार का नाम और पूरा पता।

(5) यूनिट की अवस्थिति—

ग्राम....................डाकघर....................

थाना....................जिला....................

(6) मशीन जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है : यंत्रचालित कोल्हू (पावर क्रशर) या खण्डसारी विनिर्माण यूनिटों की संख्या तथा प्रत्येक का आकार, क्षमता और अन्य ब्योरा।

(7) 19.. के पेराई-वर्ष में पेरी जाने के लिए ईख और/या खरीदे जाने के लिए ईख-रस की मात्रा (क्विंटल में)।

ईख....................

ईख-रस....................

(8) 19.. के पेराई वर्ष के दौरान बनायी जाने के लिए खण्डसारी चीनी की मात्रा (क्विंटल)।

(9) क्या पिछले पेराई वर्ष, 19.. के दौरान यूनिट में काम हुआ है। नहीं; यदि हां, तो निम्नलिखित विशिष्टियां दें :—

(क) यंत्रचालित कोल्हू (पावर क्रशर) खण्डसारी विनिर्माण यूनिटों की संख्या तथा उनका आकार और क्षमता।

(ख) पेरी गई ईख और/या खरीदे गए ईख-रस की मात्रा (क्विंटल में)

(ग) विनिर्मित खण्डसारी चीनी की मात्रा (क्विंटल में) ....

(10) अनुज्ञप्ति/नवीकरण-फीस और निक्षिप्त प्रतिभूति-धन की राशि। (आवेदन-पत्र के साथ प्राप्त कोषागार चालान की एक प्रति प्रतिभूति धन से संबंधित ईख पदाधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिए जाएं)।

(क) अनुज्ञप्ति/नवीकरण-फीस निक्षेप की गई राशि। — कोषागार चालान की संख्या और तारीख तथा कोषागार का नाम।

(ख) प्रतिभूति-धन .. . निक्षेप की गई राशि।

(11) क्या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आवेदक के विरुद्ध कभी अभियोजन चलाया गया ?

(क) अपराध का ब्योरा

(ख) अपराध से सम्बन्धित पेराई-वर्ष

(ग) अधिणित दण्ड

(12) क्या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन कोई अनुज्ञप्ति कभी रद्द या निलम्बित की गई ? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें।

आवेदक/फार्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि का
हस्ताक्षर

मैंने/हमलोगों ने बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय-विनियमन) अध्यादेश 1978 के उपबंधों को पढ़ कर यह जानकारी प्राप्त कर ली है कि मुझे/हमलोगों को प्रदत्त की जानेवाली अनुज्ञप्ति इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगी तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई भंग इस अधिनियम और नियमावली का भंग माना जाएगा।

मैं।हमलोग घोषित करता हूं।करते हैं कि जहां तक मेरी।हमारी जानकारी और विश्वास है, आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

मैं।हमलोग यह भी घोषित करता हूं।करते हैं कि अनुज्ञप्ति-फीस।नवीकरण फीस के रूप में .... रुपये और प्रतिभूति-धन के रूप में .... रुपये सम्यक् रूप से जमा कर दिये गये हैं।

....

आवेदक।फार्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर।

स्थान..............

तारीख.............

अहस्तान्तरणीय

परिशिष्ट 1

प्ररूप 4

किसी यूनिट द्वारा ईख की पेराई या ईख-रस की खरीद के लिए अनुज्ञप्ति

(देखें नियम 16)

अनुज्ञप्ति संख्या.............. तारीख..............

श्री।सर्वश्री.............., पिता का नाम..................

ग्राम।नगर..............के निवासी, डाकघर..................

थाना.................., जिला .... को

जो....................फार्म या व्यक्ति संगम के प्रबन्ध-भागीदार

हैं, पेराई वर्ष, 19...... में ग्राम..........................

डाकघर.............., थाना ...., जिला............

में निम्नलिखित प्रकार की यूनिट में खाण्डसारी चीनी विनिर्माण करने के लिए

.... क्विंटल ईख पेरने और।या..........क्विंटल ईख-रस

खरीदने की अनुज्ञा दी जाती है।

मशीन का ब्योरा।

प्रकार	संख्या	आकार	क्षमता

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :--

1. अनुज्ञप्तिधारी यूनिट का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए करेगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई हो।

2. अनुज्ञप्तिधारी बिना अनुज्ञप्ति-प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के मशीनरी की संख्या और आकार में तथा यूनिट के अवस्थान में किसी प्रकार का विस्तार, परिवर्द्धन या परिवर्त्तन नहीं करेगा।

3. यदि अनुज्ञप्तिधारी उस यूनिट अथवा उसके किसी भाग का अन्तरण या विक्रय किसी अन्य व्यक्ति के हाथ कर दें, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अन्तरण या विक्रय के एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति-प्राधिकार को ऐसे संव्यवहार की सूचना दे देगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी पेरी गई ईख, खरीदे गए ईख-रस, भंडार में रखी या बाहर भेजी गई खांडसारी चीनी की मात्रा का दैनिक लेखा रखेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति-प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, इस अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट ईख की पेराई और।या ईख-रस की खरीद नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी नीचे विनिर्दिष्ट कालावधि या कार्य काल में ही यूनिट को चालू रखेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी खरीदी गई सभी ईख या ईख-रस का समुचित अभिलेख रखेगा।

8. अध्यादेश की धारा 18 के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलम्बन की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी यूनिट को तबतक चालू नहीं करेगा, जबतक कि यथास्थिति, अपील-प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति-प्राधिकारी रद्दकरण या निलम्बन के आदेश को समाप्त।वापस नहीं कर ले।

9. अनुज्ञप्तिधारी बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) तृतीय अध्यादेश 1977 तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर विधिवत् जारी किए गए हों।

10. अनुज्ञप्तिधारी लेख के अनुज्ञप्ति-प्राधिकारी को निरीक्षण के प्रयोजनार्थ उन सम्पूर्ण परिसरों में तुरंत प्रवेश करने की अनुज्ञा देगा, जहां अनुज्ञप्ति के अधीन खंडसारी चीनी की कोई प्रक्रिया की जा रही हो, और निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए मांगे जाने पर उन सभी अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा, जिन्हें अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन रखना अपेक्षित हो।

11. अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सहकारी सोसाईटी या सोसाइटियों से उस मात्रा में ईख या ईखरस खरीदने तथा ऐसी सोसायटी या सोसाइटियों को उन दरों पर कमीशन चुकाने के लिए बाध्य होगा, जो लिखित आदेश द्वारा धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं।

....

स्थान............ अनुज्ञप्ति-प्राधिकारी (ईख-आयुक्त, बिहार या अन्य पदाधिकारी, जिन्हें इस संबंध में ईख आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित हों) का हस्ताक्षर।

तारीख............

पेराई वर्ष।	अनुज्ञप्ति की संख्या।	नवीकरण की तारीख।	कार्य पर लगायी जाने के लिए अनुज्ञात मशीनरी का ब्योरा संख्या— आकार--	पेरी जानेवाली ईख और/या खरीदे जानेवाले ईख-रस की अधिकतम मात्रा।	विनिर्मित की जाने वाली खांडसारी चीनी की अधिकतम मात्रा।	विधिमान्यता की कालावधि।	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर।
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट

प्ररूप 5

ईख की खरीद या ईख-मूल्य के भुगतान से संबंधित किसी संव्यवहार के संबंध में किसी कारखाने के अधिभोगी की ओर से काम करने के निमित्त अनुज्ञप्ति के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र ।

(देखें नियम 18)

मैं..
ग्राम।शहर...................., पिता का नाम श्री....................
थाना....................का निवासी डाकघर....................
के अधिभोगी की ओर से ...., जिला....................। जो कारखानों
या.............................क्रय-केन्द्र पर ईख खरीदने और
.............................भुगतान-केन्द्र पर ईख की कीमत का भुगतान करने
लिए संव्यवहार के संबंध में ....के रूप में काम करने के लिए
....................कारखाने के अधिभोगी।प्रबंधक द्वारा चुना गया हूं, इसके द्वारा, बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1972 तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति संख्या........ तारीख....................के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं।

मैं, इसके द्वारा अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों का पालन करने का करार करता हूं तथा घोषणा करता हूं कि समाहर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी किसी शास्ति की या प्रतिकर के रूप में देय ऐसे किसी धन की वसूली, जिसे मैं लाइसेंस की शर्तों या बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय-विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1972 तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन देने का दायी हो सकूंगा, ऐसी शास्ति या प्रतिकर की वसूली के लिए किसी अन्य विधिपूर्ण उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके अतिरिक्त, उस.........कर ले ; जिसे मैंने इस अधिनियम या नियमावली के अधीन जमा किया है।

स्थान..........

तारीख..........

....

आवेदक का हस्ताक्षर ।

प्ररूप 6

किसी कारखाने के अधिभोगी।प्रबंधक द्वारा कर्मचारी का नाम निर्देशन ।

(देखें नियम 18)

मैं।हम (उस व्यक्ति।फार्म या व्यक्ति संगम।कम्पनी।सहकारी सोसाइटी का नाम जिसके स्वामित्व और।परिचालन में ....कारखाना हो, अथवा उस अधिभोगी।प्रबन्धक का नाम, जो ....कारखाने का अधिभोगी।प्रबन्धक हो) इसके द्वारा श्री.........., पिता का नाम श्री..........
थाना.........., जिला.........., राज्य..........
को..........क्रय-केन्द्र।भुगतान-केन्द्र में ईख खरीदने और।या ईख की कीमत का भुगतान करने के निमित्त संव्यवहार से संबंधित कार्य करने के लिए नाम निर्देशित करता हूं।करते हैं। मैं।हम, यह भी घोषित करता हूं।करते हैं कि जहां तक मेरी।हमारी जानकारी और विश्वास है, वह ऐसी अनुज्ञप्ति दी जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है।

....

कारखाने के अधिभोगी।प्रबन्धक का हस्ताक्षर

स्थान..........

तारीख..........

प्ररूप 7

ईख की खरीद और ईख की कीमत का भुगतान करने के संबंध में कारखाने के कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञप्ति ।

(देखें नियम 18)

अनुज्ञप्ति संख्या ...., तारीख.......................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पिता का नाम श्री........................ निवासी गाँव/शहर.......................

डाकघर.............................., थाना..............................

जिला.............. .... को इसके द्वारा, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अध्यादेश, 1973 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अध्यधीन ईख खरीदने और/या ईख की कीमत का भुगतान करने के निमित्त संव्यवहार के संबंध में ....कारखाने के अधिभोगी की ओर से ....क्रय-केन्द्र और/या भुगतान-केन्द्र में ....के रूप में काम करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

(1) अनुज्ञप्ति पेराई वर्ष, 19... के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी अध्यादेश के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों का अनुपालन करेगा और उन सभी विधिपूर्ण निदेशों का पालन करेगा, जो संबद्ध ईख पदाधिकारी या समाहर्त्ता उसके लिए जारी करें ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी अपने कर्त्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा और वह पूर्वोक्त अधिभोगी की ओर से ईख खरीदने और/या ईख की कीमत का भुगतान करने के लिए किसी संव्यवहार के संबंध में किसी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह या अननुग्रह नहीं दिखाएगा ।

(4) समाहर्त्ता, ऐसी किसी शास्ति पर जो अनुज्ञप्तिधारी अध्यादेश और नियमावली के उपबंधों के अधीन उपगत करे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके अतिरिक्त, अपने स्वविवेक से अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकेगा ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर या अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण की दशा में उसके इस प्रकार निलंबित या रद्द किए जाने के बाद अनुज्ञप्ति समाहर्त्ता को लौटा दे ।

स्थान..............

तारीख..............

....

समाहर्त्ता का हस्ताक्षर ।

..............जिला ।

नवीकरण

अनुज्ञप्ति संख्या ...., तारीख .... को पेराई-वर्ष, 19.... के लिए नवीकृत किया जाता है ।

समाहर्त्ता का हस्ताक्षर ।

प्ररूप 8

अन्य जिले में कारखाने के किसी कर्मचारी की अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के लिए पृष्ठांकन ।

(देखें नियम 18)

मैं, इसके द्वारा, पृष्ठांकित करता हूँ कि यह अनुज्ञप्ति (सं0 .... तारीख...............) उस कालावधि के लिए, जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गयी हो।उसका नवीकरण किया गया हो, नीचे वर्णित जिले में विधिमान्य होगी ।

जिला का नाम ।	समाहर्त्ता का हस्ताक्षर ।

फारम 13-क

ईख-आपूर्ति के लिए प्रस्थापना (ओफर) की प्राप्ति-अभिस्वीकृति।

(देखें नियम 25)

श्री......................., पिता का नाम.............

गांव.................. के निवासी......................

सहकारी समिति के सचिव से पेराई वर्ष, 19.... में...................

क्विंटल ईख, जो.......... एकड़ में रोपी गई।रोपी जाने के लिए प्रस्थापित ईख की उसकी प्राक्कलित शुद्ध उपज होगी, आपूरित गन्ने की प्रस्थापना (ओफर) प्राप्त की।

कारखाना का मोहर

तारीख..............

....

अधिभोगी।प्रबंधक का हस्ताक्षर

(कारखाना का नाम और पता)

फारम 9

कारखाने के प्रबंधक की नियुक्ति की सूचना

(देखें नियम 20)

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री.......................,

पिता का नाम श्री...................., निवास स्थान गांव।शहर........,

डाकघर..........., थाना..........., जिला.........., राज्य....

को, बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय-विनियमन) अध्यादेश, 1973 और उसके अधीन

बने नियमों के प्रयोजनार्थ............ जिलान्तर्गत........... स्थान में

स्थित मेरे।हमारे कारखाने के प्रबंधक के रूपमें नियुक्त किया गया है और उन्होंने

तारीख................ से प्रबंधक के रूप में इस कार्य का प्रभार ग्रहण

कर लिया है।

(हस्ताक्षर).................	(हस्ताक्षर)...............
प्रबंधक	अधिभोगी
(हस्ताक्षर).................	(हस्ताक्षर)...............
साक्षी (साक्षी का नाम और पदनाम)	साक्षी (साक्षी का नाम और पदनाम)
तारीख.................	तारीख................

फार्म 11

अनुसूची 1

क्रम सं०	गांव का नाम	राजस्व थाना का नाम	राजस्व थाना संख्या	जिला	डाकघर	थाना
1	2	3	4	5	6	7

स्थान.....................

तारीख ....

....

अभियोगी का हस्ताक्षर

.....................कारखाना।

प्ररूप 10।

...ताई वर्ष, 19 में कारखाने के लिये ईख की सामान्य आवश्यकता का प्राक्कलन।

(देखें नियम 21)

1. कारखाना का नाम.....................

2. गत जनवरी और फरवरी महीने के किन्हीं 15 क्रमवर्ती दिनों में ...ी गयी ईख की कुल मात्रा तथा अलग-अलग प्रत्येक दिन पेरी गई ईख की ...त्ता।

3. उपर्युक्त मद 2 में विनिर्दिष्ट 15 क्रमवर्ती दिनों में वास्तविक पेराई ...ल कितने घंटे तक हुई तथा अलग-अलग प्रत्येक दिन वास्तविक पेराई कितने ...टे तक हुई।

4. उपर्युक्त मद 2 और 3 के आधार पर एक घंटे में और 22 घंटे के हिसाब से एक दिन में पेरी गयी ईख की औसत मात्रा।

5. कारखाने में होनेवाली ईख की अपेक्षा का प्राक्कलन, जो उपर्युक्त ...द 4 के अधीन यथा परिकलित 22 घंटे के हिसाब से प्रतिदिन पेरी गई ईख की औसत मात्रा को 130 से गुणा करके निकाला गया हो।

6. फार्म 10 में गत विवरण भेजे जाने के बाद से कारखाना के संयंत्र में किया गया कोई विस्तार।

7. स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट कालावधि में हुई यांत्रिक गड़बड़ी के कारण कारखाना कुल कितने घंटे बंद रहा तथा उसके बाद किस हद तक सुधार किया गया।

स्थान.....................

....

तारीख.....................

अभिभोगी का हस्ताक्षर

प्ररूप 11।

बिहार से बाहर किसी कारखाने के लिये बिहार में क्षेत्र के आरक्षण के लिए आवेदन-पत्र।

(देखें नियम 25।)

सेवा में,

ईख आयुक्त,
बिहार, पटना।

महोदय,

मैं।हमलोग (उस व्यक्ति, फर्म या व्यक्ति-संगम।कम्पनी।सहकारी सोसाइटी का नाम, जो स्थान........, डाकघर........................, जिला........................, राज्य ....में अवस्थित कारखानों का अधिभोगी।होने के नाते उस कारखाने पर स्वामित्व रखता हो या उसका प्रचालन पट्टे पर करता हो); इसके द्वारा उस क्षेत्र के लिए आवेदन करता हूं। करते हैं, जिसके अन्तर्गत, पेराई वर्ष, 19................में, मेरे कारखाने में ईख की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ, इस आवेदन-पत्र की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट गांव पड़ते हैं।

(2) यदि उपर्युक्त क्षेत्र या उसके किसी भाग को मेरे कारखाने के प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दिया जाए, तो मैं।हमलोग निम्नलिखित शर्त्तों का पालन करूंगा। करेंगे :—

(क) मैं।हमलोग एक शाखा कार्यालय, स्थान ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला ...., बिहार-राज्य में स्थापित करूंगा।करेंगे। मेरे।हमारे द्वारा, स्थान ....., डाकघर ...., थाना ...., जिला .... बिहार-राज्य में स्थापित यह शाखा पेराई वर्ष, 19..........तक चलती रहेगी।

(ख) पांच हजार रुपए की प्रतिभूति ....के अधिभोगी के यहां जमा की जाएगी।समाहर्त्ता के यहां जमा कर दी गई है।

(3) मेरे।हमारे कारखाने में कितनी ईख की अपेक्षा होगी इसका अवधारण करने के लिये आवश्यक सूचना, इसके द्वारा इस आवेदन-पत्र की अनुसूची-II में दी जाती है तथा बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1979 में परिशिष्ट-II के प्ररूप 12 में उल्लिखित वचनबन्ध इसके साथ संलग्न है।

(4) मैं।हमलोग, इसके द्वारा घोषणा करता हूं।करते हैं कि जहां तक मेरी।हमारी जानकारी और विश्वास है, मैंने इस आवेदन-पत्र से संलग्न अनुसूची 2 में जो सूचना दी है, वह सही है और मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1978 और बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1977 या अध्यादेश के अधीन बने किसी अन्य नियमावली के उपबंधों का पालन करूंगा।

विश्वासभाजन,

....

तारीख............ अधिभोगी का हस्ताक्षर,

....

तारीख.................. साक्षी का हस्ताक्षर

तारीख.................. ....

साक्षी का हस्ताक्षर।

प्ररूप 11

अनुसूची 2

1. अधिभोगी का नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान फर्म या व्यष्टि-संगम/कम्पनी/सहकारी सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय।

2. कारखाना का नाम..............................

3. कारखाना का स्थान..............................

ग्राम/नगर..............................

डाकघर..............................

....

थाना..............................

जिला..............................

निकटतम रेलवे स्टेशन ....

4. इस अनुसूची के भेजे जाने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी और फरवरी महीने के 15 क्रमवर्ती दिनों में, पेरी गई ईख की कुल मात्रा तथा अलग-अलग प्रत्येक दिन पेरी गई ईख की मात्रा।

5. उपर्युक्त मद 4 में विनिर्दिष्ट 15 क्रमवर्ती दिनों में वास्तविक पेराई कितने घंटे तक हुई तथा अलग-अलग प्रत्येक दिन वास्तविक पेराई कितने-कितने घंटे हुई।

6. मद 4 और 5 के आधार पर एक घंटे में और 22 घंटे के हिसाब से दिन में पेरी गई ईख की औसत मात्रा।

7 कारखाना में होनेवाली ईख की अपेक्षा का प्राक्कलन, उपर्युक्त मद के अधीन यथापरिकलित प्रतिदिन 22 घंटे के हिसाब से पेरी गई की औसत को 130 से गुणा करके निकाला गया है।

8. गत विवरण भेजे जाने के बाद कारखाना के संयंत्र और मशीनरी में किया गया कोई विस्तार।

9. जिस राज्य में कारखाना अवस्थित हो उस राज्य में कारखाने के आरक्षित, समानुदेशित और अन्य क्षेत्र में उपलब्ध ईख की प्राक्कलित मात्रा।

10. आगामी पेराई वर्ष या वर्षों के दौरान बिहार राज्य से कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख की मात्रा।

11. पिछले तीन पेराई-वर्षों में प्रत्येक वर्ष बिहार राज्य से खरीदी गई ईख की मात्रा।

....

तारीख ....

अधिभोगी/अधिभोगी की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर।

घोषणा ।

मैं।हमलोग , ...(कारखाना का अधिभोगी), इसके द्वारा घोषित करता हूं।करते हैं कि मैं।हमलोग बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1978 और इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का पालन करूंगा। करेंगे ।

....

अधिभोगी का हस्ताक्षर।

तारीख..............

....

(1) साक्षी का हस्ताक्षर

तारीख..............

....

(2) साक्षी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट ।

प्ररूप 12

एकमात्र सहकारी समिति के माध्यम से ही बिहार के बाहर के कारखाने अधिभोगी द्वारा ईख खरीदने के लिये दिया जाने वाला वचनबन्ध ।

(देखें नियम 26।)

मैं।हमलोग (व्यक्ति।फर्म या व्यक्ति संगम।कम्पनी।सहकारी सोसाइटी का नाम), ग्राम....................., डाकघर..............., जिला ....बिहार राज्य में स्थित उस कारखाने का, जो मेरे।हमलोगों में स्वामित्व।पट्टे पर चालन में है, अधिभोगी होने के नाते, इसके द्वारा, वचन देता हूं कि मैं कारखाने के प्रयोजनार्थ ईख आयुक्त, बिहार द्वारा बिहार में आरक्षित किए गए क्षेत्र में अपनायी गई सभी ईख पेराई वर्ष 19 में केवल नीचे विनिर्दिष्ट उसी।उन्हीं सहकारी सोसाइटी।सोसाइटियों के माध्यम से खरीदूंगा सके।जिनके साथ मैं, बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय-विनियमन) नियमावली, 1973 के परिशिष्ट-।। के प्ररूप 15 में करार करूंगा ।

सहयोग सोसाइटियों के नाम--

(1)

(2)

(3)

....

तारीख.............. अधिभोगी या अधिभोगी की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर।

....

तारीख.............. (1) साक्षी का हस्ताक्षर और पदनाम

....

तारीख.............. (2) साक्षी का हस्ताक्षर और पदनाम

परिशिष्ट I

प्रपत्र 17

यूनिटों के स्वामियों द्वारा या उनकी ओर से खरीदी गई ईख और ईख रस का रजिस्टर।

(देखें नियम 28।)

यूनिट और उसके अवस्थान का नाम ....

खरीद की तारीख।	ईख या ईख रस आपूरित करने वाले व्यक्ति का नाम।	खरीदी गई ईख की मात्रा।	खरीदे गए ईख रस की मात्रा।	प्रति क्विंटल ईख की कीमत की दर।	प्रति क्विंटल ईख रस की दर।	देय ईख कीमत की राशि।	ईख कीमत का उत्तरोत्तर योग।	खरीदे गए ईख रस मद्दे देय राशि।	ईख रस की कीमत का उत्तरोत्तर योग।	चुकाई गई राशि। ईख की कीमत।	चुकाई गई राशि। ईख रस की कीमत।	भुगतान की तारीख।	यूनिट के स्वामी का हस्ताक्षर।	अभ्युक्ति।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

परिशिष्ट 1

प्ररूप 13

कारखाने के आरक्षित क्षेत्र में उपजायी गई।उपजायी जाने के लिये प्रस्तावित ईख की आपूर्ति के लिये ईख उत्पादक या सहकारी सोसाइटी की प्रस्थापना (आफर)।

(देखें नियम 25।)

सेवा में,

अधिभोगी,

(कारखाना का नाम और पता)

मैं, ...;पिता का नाम ;..............ग्राम ....,डाकघर ....,थाना ...., जिला ....।हम लोग, ...सहकारी समिति के प्राधिकृत प्रतिनिधि, इसके द्वारा, आपके कारखाने के आरक्षित क्षेत्र में मेरे।सहकारी सोसाइटी के सदस्यों और ईख उत्पादकों द्वारा उपजायी गई।उपजायी जाने के लिये प्रस्तावित..............क्विंटल ईख, पेराई वर्ष 19.... में आपके कारखाने में आपूरित करने की प्रस्थापना (ऑफर) करता हूं।करते हैं।

2. आपूरित की जानेवाली ईख का रकबा और उसकी मात्रा संबंधी सविस्तार सूचना इसमें संलग्न अनुसूची में नीचे दी जाती है :—

(क) मेरी खेती।सदस्यों की अनुसूचित खेती के अन्तर्गत आरक्षित क्षेत्र में गांववार भूमि का कुल रकबा।

(ख) रोपी गई।रोपी जाने के लिये प्रस्तावित ईख का गांववार और प्लॉटवार रकबा (किस्मवार अलग-अलग आंकड़ा दें)।

(ग) कुल कितने क्विंटल उपज होने की संभावना है।

(घ) आपूर्ति के लिये प्रस्तावित ईख की कुल मात्रा (क्विंटल में)।

टिप्पणी—सहकारी सोसाइटी के लिए खंड (ख) के अधीन प्लॉटवार आंकड़ा देने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ईख-उत्पादक।सहकारी सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर।

तारीख......................

मुहर (केवल सहयोग सोसाइटी के लिए)

परिशिष्ट 1

प्ररूप 14

किसी आरक्षित क्षेत्र में उपजायी गई ईख की आपूर्ति के लिए ईख उत्पादक और कारखाने के अधिभोगी के बीच करार।

(देखें नियम 25)

मैं, ..., पिता का नाम श्री ....; ग्राम ....,डाकघर ....,जिला ....(इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट और ....कारखाने का अधिभोगी (इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट), इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों पर ईख की विक्रय और क्रय करने का करार करते हैं:—

1. प्रथम पक्षकार पेराई वर्ष 19.............में द्वितीय पक्षकार के हाथ नीचे विनिर्दिष्ट...............क्विंटल ईख का विक्रय करने का करार करता है तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से निर्गत अध्यपेक्षा-पर्चियों में यथाविनिर्दिष्ट मात्राओं में और तारीखों को मिल-फाटक क्रय केन्द्र और।या क्रय केन्द्र स्थित तौल सेतु पर बढ़िया ईख, जिसमें पत्ते और जड़ें नहीं लगी रहेंगी, पहुंचाने का परिवचन देता है।

2. यदि प्रथम पक्षकार करार के अनुसार विनिर्दिष्ट मात्रा में ईख की आपूर्ति करने में असफल रहेगा, तो द्वितीय पक्षकार को यह विकल्प होगा कि वह प्रथम पक्षकार की जंगम या स्थावर सम्पत्ति से कम आपूरित ईख के प्रति क्विंटल बीस पैसे की दर से प्रतिकर की वसूली कर लें।

3. यदि द्वितीय पक्षकार इस करार के अधीन संविदा के अनुसार प्रथम पक्षकार द्वारा की गई ईख की डिलीवरी लेने में असफल रह जायेगा तो द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को ईख की उतनी मात्रा की वास्तविक कीमत प्रतिकर के रूप में चुकाने के दायित्वाधीन होगा जितनी ईख द्वितीय पक्षकार लेने में असफल रह जायगा। प्रथम पक्षकार को यह विकल्प होगा कि उस रकम की वसूली द्वितीय पक्षकार की जंगम या स्थावर सम्पत्ति से कर ले।

4. यदि प्रथम पक्षकार ईख के विक्रय या क्रय संबंधित करार करने के निमित्त बिहार ईख (प्रापूर्ति एवं क्रय विनियमन) नियमावली, 1973 में विहित अन्तिम तारीख को या उसके पहले किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो जाए, तो यह करार उक्त सोसाइटी द्वारा किया गया करार समझा जायगा तथा प्रपत्र 15 में किए गए किसी करार की शर्तों और निबन्धन इस करार में यथाशक्य निगमित कर दिए समझे जायेंगे, बशर्ते कि उक्त सोसाइटी इस करार को स्वयं किया गया करार मानने के लिए लिखित रूप में सहमत हो जाए।

5. यदि दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार ऐसे प्रकृतिक कारणों और विपत्तियों या कारखाने की आकस्मिक बन्दी के चलते, जो मानव के वश से बाहर हो, इस करार के निबन्धनों और शर्तों की पूर्ति करने में असफल रह जाए, तो दोनों पक्षकार, जो इस करार के हस्ताक्षरी हैं, किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त होंगे।

6. ईख की क्वालिटी और दशा, डिलीवरी, स्थान, किस्तों तथा इस करार से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद बिहार ईख (प्रापूर्ति एवं क्रय-विनियमन) अध्यादेश, 1973 और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अधीन उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा, जो इस तरह के विवाद की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए सशक्त होगा। ऐसे किसी विवाद के संबंध में कोई वाद सिविल या राजस्व न्यायालय में नहीं लाया जा सकेगा।

....

....

ईख-उत्पादकों का हस्ताक्षर

कारखाना के अधिभोगी या इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तार की शक्ति धारण करनेवाले व्यक्ति का हस्ताक्षर।

तारीख.....................

तारीख.....................

1. [illegible] के हस्ताक्षर (तारीख सहित)

साक्षी का हस्ताक्षर (तारीख सहित) तथा पदनाम

गांव	खाता सं० ।	प्लॉट सं० ।	किस्म रकबा	किस्म रकबा	किस्म रकबा	किस्म रकबा	ईख की कुल रकबा ।	ईख की कुल मात्र (क्विंटल में) ।	प्रस्तावित
1	2	3	4				5	6	7

परिशिष्ट 1

फॉरम 15

आरक्षित क्षेत्र में उपजायी गई ईख की आपूर्ति के लिए सहकारी सोसाइटी और कारखाने के अधिभोगी के बीच करार।

(देखें नियम 25)

हमलोग जो .... सहकारी सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (स्थान) ...., डाकघर ...., जिला .... में स्थित है। इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट और .... कारखाने का अधिभोगी इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट) निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर ईख का विक्रय और क्रय करने का करार करते हैं:—

1। प्रथम पक्षकार, अपने सदस्यों द्वारा और सदस्य के रूप में उससे सम्बद्ध सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों द्वारा और इस करार की अनुसूची में वर्णित ग्रामों में रहने वाले ईख उत्पादकों द्वारा उपजायी गई .... क्विन्टल ईख जो नीचे विनिर्दिष्ट .... (क्षेत्र) में लगी है, पेराई वर्ष 19 .... में द्वितीय पक्षकार के साथ बेचने का करार करता है।

2। द्वितीय पक्षकार, इस करार के अधीन आपूरित ईख की कीमत का भुगतान प्रति क्विंटल .... की दर से करेगा। यदि द्वितीय पक्षकार किसी गांव के किसी ईख उत्पादक को इसमें विनिर्दिष्ट कीमत से अधिक कीमत का भुगतान करें, तो द्वितीय पक्षकार इस करार के अधीन उसी गांव से की गयी ईख की आपूर्ति के लिए उसी कीमत पर चुकाने के लिए बाध्य होगा। द्वितीय पक्षकार इस करार से सम्बद्ध पेराई वर्ष में ईख आपूर्ति के संबंध में भुगतान के लिए समुचित सरकार द्वारा विधितः घोषित अधिक या अतिरिक्त कीमत चुकाने के लिए भी बाध्य होगा।

3। प्रथम पक्षकार निम्नलिखित क्रय-केन्द्रों में स्थित तौल सेंटरों पर, उनमें से प्रत्येक के सामने अंकित अनुपात में, पत्तियों एवं जड़ मूलों से मुक्त बढ़िया ईख की आपूर्ति करने का परिवचन देता है:—

(1)
(2)
(3)
(4)

द्वितीय पक्षकार, इस करार के अधीन ईख की आपूर्ति, सम्पूर्ण पेराई कालावधि में समयोचित रूप से बंटी किस्तों में, प्राप्त करेगा। किसी दिन किसी क्रय-केन्द्र में परिदत्त की जानेवाली ईख की मात्रा उतनी ही होगी, जितनी द्वितीय पक्षकार या कारखाना प्रबंधक द्वारा निर्गत अध्यपेक्षा-पर्चों में विनिर्दिष्ट हो, अथवा जितनी बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय का विनियमन) अध्यादेश, 1973 की धारा 13 के अधीन सम्बद्ध ईख पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी अनुदेश में अन्तर्विष्ट हो, किन्तु यह मात्रा तत्संबंधी पुनरीक्षण पदाधिकारी के आदेश के अध्यधीन होगी।

4। यदि नीचे विनिर्दिष्ट प्लाटों में प्राक्कलित मात्रा से अधिक ईख हो, तो द्वितीय पक्षकार, उस अतिरिक्त मात्रा को, ईख आयुक्त के अनुमोदन के अध्यधीन खरीदेगा, बशर्ते कि प्रथम पक्षकार उस अतिरिक्त मात्रा का प्राक्कलन, करार के निष्पादन के तीन महीने के भीतर, प्रस्तुत कर दें।

5। यदि प्रथम पक्षकार जानबूझकर इस करार के अधीन, आपूरित की जाने के लिए संविदाकृत ईख का कम-से-कम 85 प्रतिशत तक की भी आपूर्ति नहीं कर पाए, तो प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार को उसी कमी के लिए प्रति क्विंटल 20 पैसे से अनधिक दर से प्रतिकर देने का दायी होगा।

6। द्वितीय पक्षकार इसके लिए अपनी अध्यपेक्षा प्रथम पक्षकार के पास सामान्यतः ईख की अपेक्षा होने के कम-से-कम चार दिन पूर्व भेज देगा और बिना पर्याप्त कारण के इस कालावधि के भीतर कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

7। यदि द्वितीय पक्षकार उस ईख की, जिसे प्रथम पक्षकार इस करार के अनुसार डिलीवरी करने के लिए तैयार है, डिलीवरी लेने में जानबूझ कर असफल रह जाए, तो द्वितीय पक्षकार उतनी ईख की वास्तविक कीमत, जितनी ईख खरीदने में वह असफल रह जाए, प्रथम पक्षकार को देने का भागी होगा। यदि द्वितीय पक्षकार, कारण या अकारण द्वारा इस करार के अनुसार ईख खरीदने में अन्यथा...

जितना द्वितीय
असफल रह जाए, तो वह प्रथम पक्षकार को उतनी ईख के लिए, प्रति क्विंटल 20 पैसे से अनधिक दर से
पक्षकार खरीदने में असफल रह जाए, प्रति अप्रैल के बाद की कालावधि में प्रथम
प्रतिकर चुकाने का भागी होगा, परन्तु 1 अप्रैल के बाद की कालावधि में प्रथम पक्षकार खरीद में की गई किसी कमी के लिए या
पक्षकार को मजबूर किए जाने पर खरीद में की गई किसी कमी के लिए या अत्यधिक आपूर्ति के लिए द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को प्रति क्विंटल 40 पैसे की दर से प्रतिकर देने का भागी होगा।

8। यदि कारखाने के ठप्प हो जाने पर या ऐसे प्राकृतिक कारणों, संकटों या दुर्घटनाओं के कारण जो मनुष्य के वश से परे हो, उद्भूत अन्य परिस्थितियों में यह प्रतीत होने पर कि द्वितीय पक्षकार उतनी ईख खरीदने में समर्थ नहीं हो सकेगा, जितनी ईख खरीदने के लिए उसने करार किया हो, तो द्वितीय पक्षकार को एक सप्ताह की सूचना देने के बाद तथा ईख आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से, प्रथम पक्षकार को यह विकल्प होगा कि वह ईख के व्ययन के लिए अन्य व्यवस्था कर ले तथा ऐसी स्थिति में, दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9। जब करार का भंग ऐसे प्राकृतिक कारणों, संकटों या दुर्घटनाओं के कारण हो, जो मानव के वश के बाहर हो, तब उस करार के भंग के लिए दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

10। ईख की क्वालिटी एवं दशा, डिलीवरी के स्थान, किस्त तथा करार से सम्बन्धित अन्य विषयों के संबंध में पक्षकारों के बीच उठा कोई विवाद, बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अध्यादेश, 1973 या उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे विवाद की सुनवाई और निश्चय करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा। ऐसे किसी विवाद के संबंध में कोई वाद सिविल या राजस्व न्यायालय में नहीं लाया जा सकेगा।

*11। द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को इस करार के अधीन उसके द्वारा आपूरित कुल ईख पर प्रति क्विंटल उस दर से कमीशन देगा, जिस दर से बिहार के कारखानों को बिहार ईख (आपूर्ति एवं क्रय विनियमन) अध्यादेश, 1973 के उपबन्धों के अधीन ईख आपूरित करनेवाली सहकारी सोसाइटियों को देना पड़ता है।

---

*यह मद केवल ऐसे करार में रखी जायगी, जो करार बिहार के बाहर खरीदी गई ईख के संबंध में कारखाने के अधिभोगी के साथ किया जायगा।

1.

2.

3.

अधिभोगी या ऐसी दस्तावेज जो की निष्पादित करने के लिए मुख्तार की शक्ति धारण करनेवाले किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर।

............सहकारी समिति के प्राधिकृत प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर।

तारीख ....

साक्षियों का हस्ताक्षर

1.

2.

1.

2.

ग्राम	ईख लगा क्षेत्र			ईख की मात्रा (क्विंटलों में)।	अभ्युक्ति
	रोपा	पेड़ी (रैटून)	कुल		
1.	2	3	4	5	6

भाग-क—(सहकारी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा उपजायी गई ईख)
भाग-ख—(ईख उत्पादकों द्वारा उपजायी गई ईख)

परिशिष्ट 1

फॉरम 16

ईख उत्पादक।ईख-सहयोग सोसाइटी और ईख आपूरकों का रजिस्टर

(देखें नियम 28)

कारखाना का नाम.................. गांव का नाम.................. ,राजस्व थाना का नाम..........
थाना संख्या.................. ,राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रखंड.................. ,ग्राम पंचायत..........
ईख उत्पादकों या ईख आपूरकों का नाम तथा उनके पिता का नाम.................. सहयोग समिति का नाम.................. कारखाने से दिए गए अग्रिम का विवरण (यदि दिया गया हो)..........

क्षेत्र जिसमें ईख लगी हो तथा आपूरित की जाने वाली ईख की प्राक्कलित मात्रा।								आपूरित ईख की मात्रा।		
खाता और खेसरा संख्या।	रकबा	प्रकार	रोपा	मूढ़ी (रटून)	आपूर्ति के लिये प्रस्तावित ईख की मात्रा तथा खरीदने के लिए करार किए गए ईख की मात्रा।		तारीख	तौल रसीद संख्या	आपूरित मात्रा।	उत्तरोत्तर योग।
					प्रस्तावित ईख।	करार किया गया ईख।			क्विंटल किलो-ग्राम।	क्विंटल किलो-ग्राम।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट 1—क्रमशः

फॉरम-16—क्रमांत

ईख की कीमत तथा बैलगाड़ी या पशुचालित यान को रोक रखने पर प्रतिकर का भुगतान।										
प्रति क्विंटल ईख की दर राशि।	ईख की कीमत के रूप में देय।	गाड़ी रोक लेने पर प्रतिकर के रूप में देय रकम।	ईख की कीमत और गाड़ी रोकने पर देय प्रतिकर की राशियों का योग (स्तम्भ 13—14)।	देय रकम का उत्तरोत्तर योग।	कटौती कारखाना उधार।	अभि-दायी स्कीम।	चुकाई गई रकम।	भुगतान की तारीख	भुगतान अभ्युक्ति करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर।	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रु0	रु0	रु0	रु0	रु0			रु0			

277

फॉरम 18

ईख उत्पादकों, ईख सहयोग सोसाइटियों तथा ईख आपूरकों के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों में संशोधित करने संबंधी आवेदनों का रजिस्टर।

(देखें नियम 28)

आवेदक का नाम और पता।	आवेदन की तारीख।	आवेदित संशोधनों की विशिष्टियां।	आवेदन पर लगे राजस्व टिकट का मूल्य।	प्रविष्टियों के संशोधन के बारे में ईख पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश।	अपील पदाधिकारी के आदेश की विशिष्टियां (यदि कोई हो)	ईख पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

फॉरम 19

ईख की कीमत, आदि से संबंधित विवादों का रजिस्टर।

(देखें नियम 34)

कारखाना का नाम............................

विवाद प्राप्त होने की तारीख।	विवाद उठाने वाले व्यक्ति का नाम और पता।	विवाद की विशिष्टियां।	विवादग्रस्त ईख कीमत की राशि।	कोषागार में विवादग्रस्त ईख कीमत में जमा करने की तारीख।	विहित प्राधिकारी के यहां अधिभोगी द्वारा जमा की गई रकम।	कोषागार का नाम जहां रकम जमा की गई हो तथा चालान संख्या।	अधिभोगी। प्रबंधक का हस्ताक्षर।	अभ्युक्ति।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

परिशिष्ट 1—क्रमश:

फॉरम 23

भीतरी कारखानों के स्थानीय क्षेत्रों में आनेवाली ईख का, तथा कारखाने के अधिभोगीयों द्वारा या उनकी ओर से खरीदी गई स्थान का लेखा।

(देखें नियम 36)

कारखाना का नाम...स्थानीय क्षेत्र का नाम........................

तारीख।	उस ईख की मात्रा जो..............के स्थानीय क्षेत्र में लायी गई।							अभ्युक्ति।
	गाड़ी।	अन्य ट्रक।	पशुचालित ट्रक।	ट्रेलर।	*ट्रामवे	रेल।	अन्य परिवहन के साधन।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मास का योग ..								
गत मास या मासों का योग।								
कुल योग ..								

*यदि परिवहन का अन्य साधन हों तो उसका भी उल्लेख करें।
स्तम्भों का संख्यांकन काम में आनेवाले परिवहन साधनों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जा सकेगा।

अधिभोगी का मुख्तार की शक्ति धारण करनेवाले किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 1—क्रमश:

फॉरम 24

किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर अवस्थित भीतरी कारखाने 'बाहरी कारखाने' के अधिभोगी द्वारा या उनकी ओर से खरीदी गई ईख का लेखा।

(देखें नियम—36)

कारखाना की नाम.............................

तारीख।	प्रत्येक क्रय केन्द्र में खरीदी गई ईख की मात्रा।					खरीदी गई ईख की कुल मात्रा।	अभ्युक्ति।
	क्रय केन्द्र।	क्रय केन्द्र।	क्रय केन्द्र।	क्रय केन्द्र।	क्रय केन्द्र।		
	क्विंटल। किलोग्राम।	क्विंटल। किलोग्राम।	क्विंटल। किलोग्राम।	क्विंटल। किलोग्राम।	क्विंटल। किलोग्राम।		
1	2	3	4	5	6	7	8
मास का योग							
गत मासों का योग							

इस वृहत् शीर्षक के स्तम्भों की कुल संख्या क्रय-केन्द्रों की संख्या के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकेगी तथा तदनुसार पश्चात्वर्त्ती स्तम्भों का पुनः संख्यांकन किया जायगा।

अधिभोगी या मुख्तार की शक्ति धारण करनेवाले किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 1—क्रमशः

फॉरम 25

यूनिटों के स्वामियों द्वारा या उनकी ओर से खरीदी गई ईख का लेखा।

(देखें नियम 37)

यूनिट का नाम.......................... स्थान..........................

तारीख।	..........में खरीदी गई ईख की मात्रा।						खरीदी गई ईख की कुल मात्रा।	अभ्युक्ति।
	क्रय केन्द्र		क्रय केन्द्र		क्रय केन्द्र			
	क्विंटल	किलोग्राम	क्विंटल	किलोग्राम	क्विंटल	किलोग्राम		
1	2		3		4		5	6
महीने का योग ...								
पूर्व महीने/महीनों का योग।								
कुल योग ..								

इस वृहत शीर्षक के अधीन स्तम्भों की कुल संख्या ईख के क्रय-केन्द्रों के वास्तविक संख्या के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकेगी और तदनुसार पश्चात्वर्ती स्तम्भों का पुनः संख्याकन किया जायगा।

यूनिट के स्वामी का हस्ताक्षर

फारम 26

कारखानों में उत्पादित और वहां से निर्गत चीनी तथा चुकाए गए कर का रजिस्टर।

(देखें नियम 36)

कारखाना का नाम..........................

तारीख, महीना तथा वर्ष।	उत्पादित चीनी की संख्या।		निर्गत चीनी का मात्रा।		चुकाए गए कर की राशि।		कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक का हस्ताक्षर।	अभ्युक्ति।
	तारीख से।	तारीख तक।	तारीख से।	तारीख तक।	तारीख से।	तारीख तक।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विभिन्न पेराई वर्षों में उत्पादित चीनी के लिए पृथक-पृथक लेखा-रजिस्टर रखा जायगा।

परिशिष्ट 1—क्रमशः

फारम 27

ईख मद्धे कर के भुगतान की विवरणी

(देखें नियम 36)

पेराई वर्ष, 19.... के लिए....

1. कारखाना का नाम..........

2. *पूर्ववर्ती महीने में ईख की मात्रा, जो स्थानीय क्षेत्र में आयी और खरीदी गई।

   **पूर्ववर्ती महीने में खरीदी गई ईख की मात्रा।

3. गत महीने के पूर्ववर्ती महीनों में मद 2 के अधीन सुसंगत प्रकार के ईख का आंकड़ा।

4. *स्थानीय क्षेत्र में आनेवाली तथा स्थानीय क्षेत्र के अन्दर खरीदी गई ईख का उत्तरोत्तर योग।

   (मद 2 और 3 का योग)

   **खरीदी गई ईख का उत्तरोत्तर योग

   (मद 2 और 3 का योग)

5. मद 4 के संबंध में देय कर..............................

6. महीने में चुकाया गया कर..............................

7. भुगतान की तारीख..............................

फारम 28

(देखें नियम 36)

1. कारखाने का नाम..........

2. स्थानीय क्षेत्र का नाम..........

तारीख	उस ईख का परिमाण (क्विंटल में) जो स्थानीय क्षेत्र में आई हो/स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई ईख।					
	गाड़ी	ट्रक	ट्राम	रेल	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
मासिक जोड़						

फारम 29

(देखें नियम 36)

1. मास ....19....की विवरणी

2. कारखाने का नाम..................

3. स्थानीय क्षेत्र का नाम...............

उस ईख का परिमाण (क्विंटल में) जो स्थानीय क्षेत्र में आई।स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई।	शोध्य प्रवेश-कर।खरीद-कर की रकम।	कोषागार में भुगताई गई प्रवेश-कर खरीद-कर की रकम।	कोषागार-चालान।रसीद की संख्या एवं तारीख।
1	2	3	4
	रु0 पै0	रु0 पै0	

(देखें नियम 36)

1. अवधि...................
2. कारखाने का नाम............
3. स्थानीय क्षेत्र का नाम.........

उस ईख का परिमाण (क्विंटल में) जो स्थानीय क्षेत्र में आई। स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई।	पुनरीक्षित दर से परिकलित प्रवेश-कर खरीद कर की रकम।	यह फारम पेश करने के पूर्व भुगताई गई रकम।		शोध्य प्रवेश कर। खरीद-कर का शेष रकम।	कोषागार में भुगताई गई प्रवेश-कर।खरीद-कर की रकम।	कोषागार-चालान रसीद की संख्या और तारीख।
		रकम	कोषागार चालान। रसीद की संख्या एवं तारीख।			
1	2	3	4	5	6	7
	रु0पै0	रु0पै0	रु0पै0	रु0पै0	रु0पै0	

परिशिष्ट

फारम 31

(देखें नियम 37)

1. यूनिट का नाम--

2. स्थानीय क्षेत्र का नाम--

तारीख-	उस ईख का परिमाण (क्विंटल में) जो स्थानीय क्षेत्र में आई-हो।स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई ईख।			जोड़
	गाड़ी	ट्रक	अन्य	
1	2	3	4	5

मासिक जोड़

फारम 32

(देखें नियम 37)

1. मास.......................19.. की विवरणी।
2. यूनिट का नाम..........................
3. स्थानीय क्षेत्र का नाम......................

उस ईख का परिमाण (क्विंटल में) जो स्थानीय क्षेत्र में आई हो।स्थानीय क्षेत्र में आने पर न खरीदी जाकर अन्यथा खरीदी गई।	शोध्य खरीद-कर की रकम।	कोषागार में भुगताई गई खरीद-कर की रकम।	कोषागार चालान।रसीद की संख्या एवं तारीख तथा कोषागार का नाम।
1	2	3	4
	रु० पै०	रु० पै०	

फारम 33

(देखें नियम 37)

1. अवधि.............................की विवरणी।
2. यूनिट का नाम.....................................
3. स्थानीय क्षेत्र का नाम.....................................

खरीद किये गये ईख का परिमाण।	पुनरीक्षित दर से परिकलित खरीद-कर की रकम।	यह फारम पेश करने के पूर्व भुगताई गई रकम।		शोध्य खरीद-कर की शेष रकम।	कोषागार में भुगताई गई खरीद-कर की रकम।	कोषागार-चालान रसीद की संख्या और तारीख।
		रकम।	कोषागार-चालान। रसीद की संख्या एवं तारीख।			
1	2	3	4	5	6	7
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	

परिशिष्ट 1--क्रमांत

फारम 27--क्रमांत

8. चालान संख्या सहित कोषागार का नाम.....................................

9. पूर्व महीने में चुकाए गए कर की कुल राशि.....................................

10. ....महीने तक चुकाए गए कर की कुल राशि

(इसके अन्तर्गत इस विवरणी में वर्णित कर भी हैं)

(मद 8 तथा 9 का योग)

11. चुकाया जाने के लिये शेष बची कुल राशि.....................................

तारीख.................

अधिभोगी या मुख्तार की शक्ति धारण करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर।

टिप्पणी---यह विवरणी, तबतक उपस्थापित करते रहना है जबतक पेराई वर्ष का कुल बकाया चुका नहीं दिया जाता।

*आन्तरिक कारखाने के अधिभोगी द्वारा भरा जायगा।

**स्थानीय क्षेत्रों के बाहर अवस्थित आन्तरिक कारखाने, और बाहरी कारखाने के अधिभोगी द्वारा भरा जायगा।

बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981

[बिहार अधिनियम 37, 1982]

(यथासंशोधित 31 मई, 1988 तक)

विषय-सूची।

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. ईख बोर्ड की स्थापना।
4. बोर्ड के कृत्य।
5. बोर्ड की उप-समितियां।
6. बोर्ड की निधि।
7. इलाका विकास परिषदों की स्थापना।
8. परिषद् के कृत्य।
9. परिषद् की निधियां।
10. बोर्ड और परिषदों का निगमन, उनके कार्यों और कार्यवाहियों की व्यावृत्ति तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा।
11. परिषद् का विघटन।
12. ईख आयुक्त की नियुक्ति।
13. ईख पदाधिकारियों की नियुक्ति।
14. ईख आयुक्त आदि के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता।
15. कारखानों में ईख की पेराई के लिए लाइसेंस।
16. यूनिट में पेराई और विनिर्माण के लिए लाइसेंस।
17. कारखानों के दखलकारों या यूनिट के स्वामियों को दिये गये लाइसेंसों की शर्तें।
18. किसी कारखाने या यूनिट के लाइसेंसों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति।
19. यूनिट को स्थानान्तरित करने की शक्ति।
20. ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील।
21. अस्तित्वशील लाइसेंसों का चालू रहना।
22. लाइसेंस फीस।
23. इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्ति।
24. कर्मचारी लाइसेंस।
25. प्रबंधक की नियुक्ति।
26. खरीद-एजेन्टों की नियुक्ति का प्रतिषेध।
27. कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख की मात्रा का प्राक्कलन।
28. ईख की खरीद के प्रारम्भ की पूर्व शर्तें।
29. खरीद केन्द्रों की स्थापना।
30. रात्रि में ईख की तौल का प्रतिषेध।
31. आरक्षित क्षेत्र की घोषणा।
32. आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद।

खण्ड

33. आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद।
34. ईख क्षेत्रों का सर्वेक्षण।
35. पूंजी-संचारण।
36. कारखानों में उपयोग में लाये जाने के लिए ईख की किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति।
37. अनुपयुक्त बीज के वितरण का प्रतिषेध।
38. कारखानें के दखलकार द्वारा बीज के जखीरे का अनुरक्षण।
39. ईख की सही तौल का अभिलेखन।
40. खरीद केन्द्रों पर पहुंच-मार्गों आदि की व्यवस्था।
41. पशुचालित गाड़ी को रोक रखने के लिए प्रतिकार का भुगतान।
12. यूनिट की आपूरित ईख का न्यूनतम मूल्य।
43. ईख के मूल्य का भुगतान।
44. कटौती।
45. दावा रहित रकमें परिषद् की निधि में जमा की जायेंगी।
46. कतिपय विवादों का निर्णय।
47. अन्तिम आदेशों का प्रवर्तन।
48. ईख की खरीद का कमीशन का दिया जाना।
49. ईख पर कर।
50. कारखानें के दखलकार द्वारा उधार दिया जाना।
51. कतिपय पावनों के संबंध में व्याज की दर।
52. अपराधों के लिए दण्ड।
53. कार्यवाही का चलाया जाना।
54. अपराध का शमन करने की शक्ति।
55. प्रतिभूतियों का समपहरण।
56. क्षतिपूर्त्ति।
57. ईख आयुक्त और अन्य व्यक्तियों का लोक-सेवक समझा जाना।
58. गवाहों को बुलाने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश करने की शक्ति।
59. कारखाने के दखलकार का अवधारण।
60. सहकारी समिति का अवधारण।
61. शक्तियों का सौंपा जाना।
62. सहकारी कारखानों या यूनिटों को अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की शक्ति।
63. अपीलीय प्राधिकारी की अन्तर्वर्त्ती आदेश देने और अपील फाइल करने में हुए विलम्ब को माफ करने की शक्ति।
64. किसी निश्चित अवधि में कतिपय विधियों के अधीन शेषों और करों के अधिरोपण और संग्रहण की विधिमान्यता प्रदान करना।
65. नियमावली बनाने की शक्ति।
66. निरसन और व्यावृत्ति।

(राष्ट्रपति का 23 जनवरी 1982 को अनुमति प्राप्त बिहार गजट, असाधारण अंक, दिनांक 25 जनवरी 1982 में प्रकाशित)

चीनी कारखानों और खाण्डसारी चीनी विनिर्माण यूनिटों में उपयोग के लिये आशयित ऊख के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण तथा ऊख के कराधान और उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान-मंडल द्वारा यह निम्न रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं।—इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित ऊख बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "ईख" से कारखाने या युनिट में उपयोग के लिए आशयित ऊख अभिप्रेत है ;

(ग) "ईख आयुक्त" से धारा 12 के अधीन ईख आयुक्त के रूप में नियुक्त पदाधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "ईख-उत्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो आरक्षित क्षेत्र में ईख की खेती या तो स्वयं करता हो या अपने परिवार के सदस्यों से या मजदूरी पर काम करनेवाले मजदूरों से कराता हो और जो संबद्ध ग्राम में किसी सहकारी समिति का सदस्य न हो ;

(ङ) "ईख पदाधिकारी" से धारा 13 के अधीन नियुक्त ईख पदाधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपर ईख पदाधिकारी भी है ;

(च) "समाहर्त्ता" से जिले का समाहर्त्ता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वह पदाधिकारी भी है जो उप-समाहर्त्ता की पंक्ति से नीचे का न हो तथा राज्य सरकार द्वारा जिसकी नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए की गई हो ;

उद्देश्य और हेतु के लिए बिहार गजट, असाधारण अंक, दिनांक 14 दिसम्बर, 1981 देखें।

(ञ) "सहकारी समिति" से वह समिति अभिप्रेत है जिसका निबंधन बिहार ऐंड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 (वि०-उ० अ० 6, 1935) के अधीन हुआ है तथा जिसका एक उद्देश्य अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित ईख की बिक्री करना भी है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन निबंधित ऐसी समितियों का संघ अर्थात् सहकारी विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ या व्यापारमंडल सहकारी समिति भी है ;

(ज) "परिषद्" से धारा 7 के अधीन स्थापित इलाका विकास परिषद् अभिप्रेत है ;

(झ) "पेराई-साल" से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को प्रारम्भ होकर अगले वर्ष की 30 जून को समाप्त होनेवाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(ञा) "कारखाना" से आसपास की जमीन सहित कोई परिसर अभिप्रेत है जिसके किसी भाग में निर्वात-पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्मित की जाती हो ;

(ट) "प्रबंधक" से धारा 25 के अधीन नियुक्त प्रबंधक अभिप्रेत है ;

(ठ) "कारखाने का दखलकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कारखाने में निर्वात-पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्माण का कारबार करता हो और जिसको कारखाने के कामकाज पर चरमनियंत्रण हो;

(ड) "विहित" से नियमावली द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "मांग-पर्ची" से कारखाने के दखलकार द्वारा या उसकी ओर से जारी की गई वह पर्ची अभिप्रेत है जिसकी अपेक्षानुसार किसी ईख-उत्पादक या सहकारी समिति को आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख-पर्ची जारी करनेवाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से खरीदी जाने के लिये, उस पर्ची में विनिर्दिष्ट तारीख को और स्थान पर लानी हो ;

(ण) "आरक्षित क्षेत्र" से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जहां ऊख का उत्पादन होता हो या होने की सम्भाव्यता हो और जो धारा 31 के अधीन किसी कारखानों के लिये आरक्षित हो ;

(त) "नियमावली" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(थ) "राज्य सरकार" से बिहार राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;

(द) "चीनी" से किसी भी प्रकार की ऐसी चीनी अभिप्रेत है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक ईख-शर्करा हो और इसके अन्तर्गत मिश्री या खाण्डसारी चीनी (खुला पात्र-प्रक्रिया द्वारा बनाई गई चीनी) या भूरा चीनी या पेरी गई चीनी अथवा रवेदार या चूर्ण रूप में कोई चीनी अथवा किसी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी भी है ;

(ध) "यूनिट" से ऐसा विनिर्माता एक अभिप्रेत है जो ईख रस से खाण्डसारी चीनी, गुड, शक्कर, गुल, जागरी या राब का शक्तिचालित पेराई मशीन द्वारा विनिर्माण या उत्पादन में लगा या साधारणत: लगा हो ; और

(न) "शक्तिचालित पेराई मशीन यंत्र" से ऐसा पेराई यंत्र अभिप्रेत है जो डीजल, विद्युत् या भाप शक्ति से चालित हो और गुड, शक्कर, गुल, जागरी, राब या खाण्डसारी चीनी के विनिर्माण के लिये ईख की पेराई तथा उससे रस निकालने में लगा या साधारणत: लगा हो ।

अध्याय 2

प्रशासन तंत्र

3. ऊख बोर्ड की स्थापना ।---(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस तारीख से जो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक बोर्ड की स्थापना की जायगी जिसका नाम बिहार राज्य ऊख बोर्ड होगा ।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) ईख के प्रभारी मंत्री और प्रभारी राज्य मंत्री जो क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ;

(ख) बिहार विधान-मंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिये पांच सदस्य, जिनमें चार सदस्य बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से और एक सदस्य बिहार विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित किए जायेंगे ;

(ग) सत्रह सदस्य जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुपात में नियुक्त किए जायेंगे :— 4

(i) कारखाने 1

(ii) यूनिट 5

(iii) ईख-उत्पादक और सहकारी समितियां 5

(iv) ऊख सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान प्राप्त अथवा ऊख एवं उसके उत्पादनों के विकास में अन्यथा अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति । 1

(v) श्रमिक .. 1

(vi) खादी व ग्रामोद्योग आयोग ..

(घ) कृषि निदेशक, बिहार, ऊख अनुसंधान संस्थान के निदेशक, बिजली, सड़क-निर्माण; सिंचाई और लघु सिंचाई के मुख्य अभियंतागण तथा बिहार राज्य सहकारी ऊख-विक्रय संघ के अध्यक्ष और ईख आयुक्त, जो पदेन सदस्य होंगे ; और

(ङ) राज्य सरकार के ऊख विभाग का सचिव अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य पदाधिकारी, जो बोर्ड का पदेन सचिव होगा :

परन्तु बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि में ऊख के प्रभारी मंत्री और इस उप-धारा के खंड (ई) के अधीन उक्त उद्घोषणा के अधीन विघटित राज्य विधान-सभा का प्रतिनिधित्व करने तक सदस्यों के स्थान में इसके लिये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य होंगे ;

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के खंड (ग) के अधीन सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के पूर्व, उक्त समितियों की शीर्ष समिति की सिफारिशें मंगाई जाएंगी ।

(3) उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि में बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये किसी भी सदस्य का नाम निर्देशित करने की शक्ति होगी ।

(4) आरंभ में बोर्ड तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाएगा और उसके बाद उतनी-उतनी ही अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा । बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति, बोर्ड के गठन या पुनर्गठन की अवधि के साथ ही कार्यवसित होगी :

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसके विचार में ऐसा करना समीचीन हो तो, किसी भी समय, बोर्ड के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगी, और उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन उस रिक्ति को भर सकेगी ।

(5) बोर्ड, उसकी कार्यकारिणी समिति या उप-समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन और कार्य का संचालन उस रीति से करेगी तथा उन समयों और स्थानों पर अपनी बैठक करेगी एवं अपनी बैठकों में कार्य-संचालन के संबंध में उन नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो विहित की जायं ।

4. बोर्ड के कृत्य ।—(1) बोर्ड राज्य सरकार को निम्नलिखित विषयों में परामर्श देगा :—

(क) ऊख के उत्पादन, अनुसंधान, परिवहन और विक्रय संबंधी विकास योजनाओं का आयोजन ।

(ख) ईख की आपूर्ति, खरीद तथा तौल के विनियमन संबंधी विषय ;

(ग) राज्य में ऊख अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षित ऊख की किस्में जो कारखानों के उपयोग के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त हों ;

(घ) कारखानों को आपूर्ति की जानेवाली ईख के मूल्य के विषय में सिफारिशें ;

(ङ) यूनिटों के स्वामियों द्वारा संदेय ईख के मूल्य का अवधारण ;

(च) एक ओर कारखानों के दखलकारों और प्रबंधकों तथा दूसरी ओर ईख-उत्पादक और सहकारी समितियां, इनके बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखना; और

(छ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

(2) बोर्ड उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त—

(क) परिषदों के कार्यकलाप का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पुनर्विलोकन और समन्वय कर सकेगा तथा उसके लेखाओं की संवर्त्ती लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगा जिसका अनुपालन परिषद् करेगी; और

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट संवर्त्ती लेखा परीक्षा की लागत पूर्णतः या अंशतः लोक मांग के रूप में वसूल कर सकेगा ।

(3) यदि कोई परिषद् उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड के किसी निदेश का पालन करने में चूक करे तो बोर्ड राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिये, जिसमें धारा 9 में विनिर्दिष्ट भुगतानों का पूर्णतः या अंशतः निलंबन भी शामिल है राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें ऐसी चूक के ब्योरे विनिर्दिष्ट रहेंगे ।

5. बोर्ड की उप-समितियां ।—(1) बोर्ड धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कृत्य के सम्पादन के लिए एक उप-समिति गठित कर सकेगा जिसमें उसके सदस्यों में से अधिक से-अधिक पांच सदस्य होंगे और इस प्रकार गठित उप-समिति अपने सदस्यों में से एक को संयोजक नियुक्त कर सकेगी

(2) उप-समिति को ऐसे किसी सरकारी या गैर-सरकारी विशेषज्ञ को सहयोजित करने की शक्ति होगी जो उसे सौंपे गए विषय पर उसे सलाह देने के लिये अर्हित हो :

परन्तु इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को मतदान का अधिकार न होगा ।

6. बोर्ड की निधि।—(1) बोर्ड निम्नलिखित निधियों का प्रशासन करेगा:—

(i) धारा 49 के अधीन अनुदान के रूप में प्राप्त रकम ;
(ii) धारा 9 के अधीन अन्तरित रकम, और
(iii) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम।

(2) बोर्ड अपनी निधियों का उपयोग अपने कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिये कर सकेगा, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन अपने संकल्प द्वारा धारा (5) की उप-धारा (4) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों सहित गैर-सरकारी सदस्यों को, यथास्थिति, बोर्ड या उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये यात्रा-भत्ता और बैठक-फीसों का भुगतान मंजूर कर सकेगा :

परन्तु धारा 49 के अधीन प्राप्त रकम के पांच प्रतिशत से कुछ भी अधिक, राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना प्रशासनिक व्यय के रूप में खर्च नहीं किया जायगा :

परन्तु यह और कि धारा 9 के अधीन अन्तरित रकम संबद्ध परिषद् के हित में ही खर्च की जायगी।

(3) निधियों का उपयोग करने में वित्तीय रूप से कमजोर परिषदों के और अपने स्थापना तथा कार्यारम्भ से पांचवां पेराई-साल न पूरा किए हुए कारखानों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "नए कारखाने" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) क्षेत्रों के हित में अधिक-से-अधिक रकम खर्च करने की नीति अपनाई जाएगी और किसी पेराई-साल में बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन तदर्थ किये जाने वाले कुल व्यय का न्यूनतम अनुपात वह होगा जो विहित किया जाए।

7. इलाका विकास परिषदों की स्थापना।—(1) उस तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, हरेक आरक्षित क्षेत्र के लिए एक इलाका विकास परिषद् की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) जिला समाहर्त्ता या अनुमण्डलाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी, जो अध्यक्ष होगा ;
(ख) जिला कृषि पदाधिकारी या कृषि सहायक निदेशक (ऊख) या अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी ।
(ग) ईख आयुक्त द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, जो सचिव होगा ;
(घ) जिला अभियंता ;

(ङ) स्थानीय ईख उत्पादकों और सहकारी समितियों के चार प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और जिनमें कम-से कम दो सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी धारा 62 में निर्दिष्ट सहकारी समिति द्वारा सिफारिश की गई हो; और
(च) कारखाने के दखलकार का एक प्रतिनिधि जो उसकी सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा;

परन्तु जहां आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार गठित किया गया हो कि उसका विस्तार एक से अधिक अनुमण्डलों या जिलों में हो, वहां अध्यक्ष की नियुक्ति और परिषद् की सदस्य संख्या-वृद्धि ऐसी रीति से की जाएगी जो आरक्षित क्षेत्र के सभी भागों का प्रतिनिधित्व उपबंधित करने के लिये विहित की जाए।

(2) प्रारम्भ में परिषद् तीन वर्ष की अवधि के लिये गठित की जाएगी और उसके बाद वह उतनी ही अवधि के लिये पुनर्गठित की जाएगी।

(3) परिषद् के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति परिषद् के गठन या पुनर्गठन की अवधि के साथ ही पर्यवसित होगी और उसके अन्तर्गत ऐसी कोई और अवधि भी होगी; जो यथास्थिति, गठन या पुनर्गठन की अवधि के अवसान और परिषद् के अनुवर्ती पुनर्गठन के बीच व्यतीत हो।

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसके विचार में ऐसा करना समीचीन हो तो किसी समय परिषद् के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगी और उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, उस रिक्ति को भर सकेगी।

(4) परिषद् को अपने समक्ष के किसी खास विषय पर विचार-विमर्श के लिये उस विषय में परामर्श देने की योग्यता रखनेवाले राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी को अथवा किसी विशेषज्ञ को सहयोजित करने की शक्ति होगी;

परन्तु इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को मतदान का अधिकार न होगा।

(5) परिषद् अपने कृत्यों का पालन और कार्य का संचालन उस रीति से करेगी और उन समयों और स्थानों पर अपनी बैठकें करेगी तथा अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में उन नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो विहित की जाएं :

(6) यथाविहित विषयों पर यथाविहित रीति से विचार करने के लिये जिले की सभी परिषदों की संयुक्त बैठक की जा सकेगी।

(7) ऐसी बैठकों की अध्यक्षता जिले का समाहर्त्ता करेगा और परिषदों के सचिवों में से ईख आयुक्त द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति बैठक का संयोजक होगा।

8. परिषद् के कृत्य।—परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) ऊख से संबद्ध संचार, सिंचाई, मृदा-विश्लेषण तथा अन्य कृषि सुविधाओं के विकास के लिये विचार करके कार्यक्रम तैयार करना;

(ख) विकास योजना की सभी तात्त्विक बातों के कार्यान्वयन के लिये उपाय और साधन ढूंढ निकालना, जिनके अन्तर्गत संचार एवं ईख की किस्मों का सुधार और विकास, उन्नत बीजों, उर्वरकों और खादों की आपूर्ति, पौधा-संरक्षण एवं रोग और विनाशकारी कीड़ों की रोकथाम तथा नियंत्रण भी है;

(ग) ईख के कृषि-विस्तार कार्य में सभी संभव सहायता देना;

(घ) ऊख की खेती के उन्नत तरीकों में कृषकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना; और

(ङ) आरक्षित क्षेत्र के सामान्य विकास से संबंधित या उसके साधक अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

9. परिषद् की निधियां।—(1) परिषद् निम्नलिखित रकमों का प्रशासन कर सकेगी:—

(i) परिषद् को राज्य सरकार द्वारा धारा 48 या 49 के अधीन या अन्यथा अनुदान के रूप में सौंपी गई रकम;

(ii) कारखानों, ईख-उत्पादकों और सहकारी समितियों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई रकम;

(iii) कोई अन्य रकम जिसके परिषद् की निधि में जमा किए जाने की राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे; और

(iv) अन्य किसी स्रोत से प्राप्त रकम।

(2) परिषद् अपनी निधियों का उपयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन के संबंध में खर्च की पूर्ति के लिये करेगी तथा धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों सहित अपने गैर-सरकारी सदस्यों को परिषद् की बैठकों या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन संयुक्त बैठकों में उपस्थित होने के लिये उन दरों से भत्तों और बैठक-फीसों का भुगतान कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड से परामर्श करके मंजूर की जाएं।

(3) परिषद् प्रशासनिक व्ययों के लिये अपनी निधियों का उपयोग विहित सीमाओं के भीतर करेगी।

(4) यदि परिषद् किसी पेराई-साल से संबंधित किसी विकास-कार्य की कार्यान्विति उसके सुधार कार्यक्रम में शामिल किए जाने से दो साल के भीतर करने में चूक करे, तो संबद्ध राशि बोर्ड को अन्तरित कर दी जायगी और बोर्ड को उसे खर्च करने की शक्ति होगी तथा परिषद् ऐसी राशि के संबंध में बोर्ड के आदेश का अनुपालन करेगी।

10. बोर्ड और परिषदों का निगमन, उनके कार्यों और कार्यवाहियों की व्यावृत्ति तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा।—(1) बोर्ड और प्रत्येक परिषद् उस नाम से निगमित निकाय होगी जिससे उसकी स्थापना की गई हो। प्रत्येक का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की सम्पत्तियां अर्जित करने, धारण करने और निपटाने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह अपने नाम से वाद लाएगी और उसके नाम से उस पर वाद लाया जाएगा।

(2) बोर्ड या किसी परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित किसी कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराई जा सकेगी :–

(क) कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि, या

(ग) उसकी कार्यवाहियों में ऐसी कोई अनियमितता जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

(3) प्रत्येक बोर्ड और परिषद् की लेखाओं की लेखा परीक्षा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक करेगा :

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन लेखा परीक्षक को नियुक्त करने के बदले, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि बोर्ड या परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा बिहार ऐंड उड़ीसा लोकल फंड आडिट ऐक्ट, 1925 (बि० उ० अ० 2, 1925) के अधीन होगी तथा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड या परिषद् स्थानीय प्राधिकारी और उसकी निधि स्थानीय निधि समझी जाएगी।

(4) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट, यथास्थिति, बोर्ड या परिषद् को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार के पास भेजेगा। राज्य सरकार बोर्ड या परिषद् को उक्त रिपोर्ट के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद उसपर ऐसे निदेश देगी, जो वह उचित समझे और बोर्ड या परिषद् उन निदेशों का पालन करेगी।

(6) बिहार एंड उड़ीसा लोकल फंड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (बि० उ०अ० 2, 1925) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक से भिन्न लेखा परीक्षक को, यथा-स्थिति, बोर्ड या परिषद् की निधि से विहित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

11. परिषद् का विघटन।---(1) यदि राज्य सरकार की राय में कोई परिषद् इस अधिनियम पर नियमावली के अधीन अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के पालन में लगातार उपेक्षा करे अथवा ऐसा कोई कार्य करे जो उसके हित के प्रतिकूल हो अथवा धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बोर्ड के किसी निदेश की जान-बूझकर अवज्ञा करे अथवा उचित रूप से कृत्य न कर रही हो तो राज्य सरकार परिषद् को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किसी भी समय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि परिषद् अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को और अवधि के लिये विघटित हो जाएगी।

(2) जब परिषद् उप-धारा (1) के अधीन विघटित कर दी जाए, तब अध्यक्ष और सचिव सहित परिषद् के सभी सदस्यों के बारे में यह समझा जायगा कि उन्होंने विघटन की तारीख से अपने पद खाली कर दिए हैं, लेकिन उससे पुनर्नियुक्ति या पुनर्नामांकन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा तथा विघटन की अवधि में परिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिसे या जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

(3) विघटन के छः महीने के भीतर ही परिषद् धारा 7 के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।

12. ईख आयुक्त की नियुक्ति।---(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ईख आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये बिहार राज्य का ईख आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह योग्य समझे, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उन्हें सौंपी जाएं, ईख आयुक्त को सहायता करने के लिए अपर ईख आयुक्त, संयुक्त ईख आयुक्त, उप-ईख आयुक्त और सहायक ईख आयुक्त नियुक्त कर सकेगी और उन्हें अपने-अपने अधिक्षेत्र के भीतर ईख आयुक्त की कोई या सभी शक्तियां एवं कर्त्तव्य प्रदत्त और अधिरोपित कर सकेगी।

13. ईख पदाधिकारियों की नियुक्ति।---(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह योग्य समझे, इस अधिनियम के

प्रयोजनार्थ ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उन्हें सौंपी जाएं, ईख पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) ईख-आयुक्त, ईख-आयुक्त की सहायता करने के लिये धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जिला दंडाधिकारी और प्रत्येक अनुमंडल दंडाधिकारी अपने-अपने अधिक्षेत्र के भीतर पदेन ईख पदाधिकारी होगा।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे पदाधिकारियों को जिन्हें वह योग्य समझे, इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों के लिये, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो उक्त सरकार उन्हें क्रमशः सौंपे, अपर ईख पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी।

(4) किसी क्षेत्र में, जहां एक से अधिक ईख पदाधिकारी हों, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक ईख पदाधिकारी द्वारा पालनीय कृत्य घोषित कर सकेगी।

(5) ईख पदाधिकारी अपने अधिक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर---

(क) किसी भी ऐसे स्थान में, जो कारखाना या यूनिट या गोदाम हो या जिसे इस रूप में प्रयुक्त होने वाला विश्वास करने के लिये उसके पास कारण हो अथवा किसी ऐसे स्थान में जहां ईख की तौल होती हो या ईख का मूल्य चुकाया जाता हो, प्रवेश कर सकेगा और महातुला या तुला या तौल के लिये व्यवहृत किसी अन्य यंत्र की और ईख की खरीद के संबंध में रखे गये अभि-लेखों, पंजियों और लेखाओं की ऐसी परीक्षा कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे;

(ख) ईख की गाड़ियों या रेल के डिब्बों एवं ट्रकों तथा परिवहन के अन्य साधनों से ईख के प्रेषणों की तौल या पुनः तौल अपनी उपस्थिति में करा सकेगा

परन्तु साधारणतः वह ईख जो लद चुकी हो, बिना किन्हीं विशेष परिस्थि-तियों के जिनकी लिखित सूचना कारखाने के प्रबन्धक तथा ईख-आयुक्त को दी जाएगी पुनः तौल के लिये उतारी नहीं जाएगी;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा जिसकी परीक्षा करना वह अपने कर्त्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये उचित समझे;

(घ) कारखाने के दखलकार या प्रबंधक या यूनिट के स्वामी से ईख के उत्पादन, आपूर्ति या पेराई, चीनी के विनिर्माण एवं उत्पादित, निर्मित या भण्डार में रखी हुई चीनी, राब या छोआ की मात्रा या किस्म एवं ईख के मूल्य के भुगतान संबंधी कोई जानकारी मांग सकेगा;

(ङ) किसी ऊख-उत्पादक या सहकारी समिति से ऊख या ईख के उत्पादन, खेती एवं आपूर्ति तथा ईख के मूल्य के भुगतान के बारे में कोई जानकारी मांग सकेगा; और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो विहित या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित हों।

(6) जहां ईख पदाधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि इस अधिनियमों, नियमावली या उसके अधीन दिए गए किसी लाइसेंस की अन्तर्वस्तुओं या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जानेवाला है, वहां वह—

(क) ऐसे उल्लंघनों से संबद्ध कोई बही, लेखा या अन्य कागजात प्रस्तुत करने के लिये यूनिट के स्वामी को निदेश दे सकेगा;

(ख) यूनिट या उसके परिसर के किसी भाग या यूनिट के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने वाले किसी स्थान का निरीक्षण कर सकेगा या दो साक्षियों की उपस्थिति में, उसे तोड़कर खोल सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) ऐसे उल्लंघनों से संबद्ध व्यवहार प्रदर्शित करनेवाले कागजात से उद्धरण या उसकी नकल ले या लिवा सकेगा;

(घ) शक्तिचालित कोल्हू सहित यूनिट की किसी मशीनरी की दो साक्षियों की उपस्थिति में, तलाशी ले सकेगा, उसे अभिगृहीत कर सकेगा और उसे निष्क्रिय बना देने के लिये उसके किसी महत्वपूर्ण पुर्जे को हटा सकेगा;

(ङ) ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यथास्थिति, कारखाने के दखलकार या यूनिट के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से ईख या ईख रस की खरीद या ईख के मूल्य के भुगतान से संबंधित कारखाना या यूनिट के लेखे, पंजियां या कागजात अभिगृहीत कर सकेगा और उनके लिये रसीद देगा। इस प्रकार अभिगृहीत लेखे, पंजियां और कागजात तबतक रखे जायेंगे जबतक उनकी परीक्षा के लिये या धारा 52 के अधीन अभियोजन या धारा 57 के अधीन किसी कार्यवाही के लिये उन्हें रखने की युक्तियुक्त आवश्यकता हो तथा उसके बाद वे विहित रीति से लौटा दिये जायेंगे :

परन्तु यदि ईख पदाधिकारी अभिगृहीत लेखे, पंजियां या कागजात तीस से अधिक दिन अपने पास रखे, तो ऐसा करने के लिये कारण लेखबद्ध किये जायेंगे और ईख आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा।

स्पष्टीकरण—खंड (घ) के प्रयोजनार्थ "शक्तिचालित कोल्हू" शब्द से बिजली, बिजली या वाष्प शक्ति से चलने वाला और राब या खांडसारी चीनी के विनिर्माण के लिये ईख पेरने और उसका रस निकालने के काम में लगा या साधारणतः लगा कोल्हू अभिप्रेत है।

(7) ईख पदाधिकारी अपने अधिक्षेत्र के बाहर अवस्थित किसी कारखाने के दखलकार, किसी यूनिट के स्वामी या किसी सहकारी समिति के सचिव से निम्न-लिखित के संबंध में जानकारी मांग सकेगा यदि ऐसा दखलकार या स्वामी, या ऐसी सहकारी समिति उसके अधिक्षेत्र के भीतर उत्पादित ईख या ऐसी ईख का रस खरीदती हो—

(i) ईख का उत्पादन, खरीद, आपूर्ति या सर्वेक्षण, ईख का मूल्य, ईख के मूल्य में से काटी गयी रकम और धारा 44 के अधीन उसका जमा किया जाना; या

(ii) ईख के रस का उत्पादन या आपूर्ति और उसका मूल्य।

(8) ईख पदाधिकारी, ईख की साम्यपूर्ण खरीद के लिये ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और ऐसे अनुदेशों का अनुपालन तुरन्त किया जायगा :

परन्तु विहित प्राधिकारी, या तो स्वतः या किसी संबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अनुदेश का प्रवर्तन विलम्बित कर सकेगा और संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अनुदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा और पुनरीक्षण में दिया गया उसका आदेश अन्तिम होगा।

(9) कारखाने का दखलकार, यूनिट का स्वामी, उनकी ओर से कार्य करने-वाले व्यक्ति, प्रत्येक ईखोत्पादक या ईखोत्पादक या अन्य व्यक्ति या सहकारी समिति इस धारा के अधीन जारी किये गये आदेश, निदेश या अनुदेश का अनुपालन करेगी।

14. ईख आयुक्त आदि के रूप में नियुक्ति के लिये निरर्हता।—कोई भी व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी कारखाने या यूनिट में या वहां की जानेवाली किसी प्रक्रिया या कारबार में, या तत्सम्बद्ध किसी पेटेंट या मशीनरी में हित हो ईख आयुक्त की सहायता करने के लिये अथवा ईख आयुक्त या ईख पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा तथा ऐसी नियुक्ति के बाद यदि कोई व्यक्ति उक्त रूप से हितबद्ध हो जाय तो वह उक्त पद पर नहीं रहेगा।

अध्याय 3

लाइसेंस

15. कारखाने में ईख की पेराई के लिये लाइसेंस ।---(1) किसी कारखाने में कोई ईख तबतक नहीं पेरी जायगी जबतक कि उसका दखलकार राज्य सरकार से विहित फारम में लाइसेंस न प्राप्त कर ले जो संबद्ध पेराई-साल में उतनी मात्रा में ईख पेरने का प्राधिकार दे जितनी लाइसेंस में विनिर्दिष्ट हो ।

परन्तु लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मात्रा धारा 27 के अधीन प्रकाशित मात्रा से अधिक न होगी ।

(2) राज्य सरकार के पास विहित फारम में और विहित रीति से आवेदन करने पर लाइसेंस दिया जायगा :

परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने के संबंध में लाइसेंस देने से इनकार कर सकेगी, यदि---

(क) उसने पूर्व में दिये गये किसी लाइसेंस को पहले ही रद्द कर दिया हो या उसे नवीकृत करने से इनकार कर दिया हो, या

(ख) पूर्व में दिये गये लाइसेंस को पिछले पेराई-साल के लिये नवीकृत करने के लिये कोई आवेदन न दिया गया हो ।

(3) संबद्ध पेराई-साल में कारखाने में पेरी गयी ईख की मात्रा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक होगी, न कि अन्यथा ।

16. यूनिट में पेराई और विनिर्माण के लिये लाइसेंस ।---(1) किसी भी यूनिट में संबद्ध पेराई-साल में राब या खांडसारी चीनी या गुड़, शक्कर, गुल, राब, अथवा जागरी के विनिर्माण के लिये ईख या ईख रस की खरीद ऐसे लाइसेंस के अधीन तथा उसकी बन्धेजों और शर्तों के अनुसार ही की जायगी, अन्यथा नहीं, जिसे यूनिट का स्वामी ईख आयुक्त से, उसके पास आवेदन करके और विहित प्राधिकारी के पास विहित रीति से, उतनी रकम, यदि कोई हो; जमा करके प्राप्त करे जो लाइसेंस की शर्तों के सम्यक रूप में पालनार्थ प्रतिभूति के रूप में विहित हो :

परन्तु जहां यूनिट में यूनिट के स्वामी द्वारा उत्पादित ईख ही पेरी जाती हो, तथा यूनिट में उपयोग के लिये न तो अन्य ईख और न ईख रस ही खरीदा जाता हो, वहां यूनिट के स्वामी से लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा न की जायगी ।

(2) यदि यूनिट के स्वामी और संबद्ध कारखाने के दखलकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ईख आयुक्त का समाधान हो जाय कि यूनिट से उस दखलकार द्वारा चीनी के उत्पादन में असम्यक रूप से ह्रास होगा, तो वह लाइसेंस देना अस्वीकार कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा ।

(4) उप-धारा (1) के अधीन जमा की गयी प्रतिभूति विहित रीति से रखी, समपाहृत और पुनर्भरित की जायगी और ऐसी किसी अवधि के दौरान जिसमें उक्त जमा की गयी रकम समपहरण के कारण ह्रासित या निर्वापित हो जाय और पुनर्भरित न की जाय, लाइसेंस रद्द किया गया समझा जायगा ।

17. कारखानों के दखलकारों या यूनिटों के स्वामियों को दिये गये लाइसेंस की शर्तें ।—(1) धारा 15 के अधीन दिया गया लाइसेंस उन शर्तों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिरोपित करें, अर्थात्---

(क) पेराई साल में पेरी जानेवाली ईख की मात्रा ।

(ख) ईख पेरने के प्रयोजनार्थ कारखाना चालू करने और बंद करने की की तारीखें ; और

(ग) अन्य ऐसे आनुषंगिक विषय जो विहित किये जायं ।

(2) धारा 16 के अधीन दिया गया लाइसेंस उन शर्तों के अध्यधीन होगा जो ईख आयुक्त, बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकथित सामान्य सिद्धांत के अनुरूप, निम्नलिखित किसी या सभी विषयों के संबंध में अधिरोपित करें, अर्थात् :---

(क) संबद्ध पेराई-साल में खरीदी जानेवाली ईख या खरीदे जाने वाले ईख रस की अधिकतम मात्रा ;

(ख) क्षेत्र में विद्यमान किसी सहकारी समिति के माध्यम से ईख या ईख-रस की पूर्णतः या भागतः खरीद तथा उस समिति को, ईख आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी दर से कमीशन का भुगतान जो धारा 48 के अधीन उस क्षेत्र में किसी सहकारी समिति को संदेय दर से अधिक न हो;

(ग) यूनिट की कार्यावधि और काम के घंटे ;

(घ) जिन प्रयोजनों के लिये लाइसेंस दिया गया हो उनसे भिन्न प्रयोजनों के लिये यूनिट के उपयोग का प्रतिषेध ;

(ङ) पूर्व अनुज्ञा के बिना यूनिट के विस्तार, उसमें वृद्धि या परिवर्तन या उसके स्थान परिवर्तन का प्रतिषेध ;

(च) यूनिट या उसके किसी भाग के अन्तरण या बिक्री की दशा में दी जाने वाली सूचना ;

(छ) पेरी गयी ईख, उपयोजित ईख रस, उत्पादित, भंडार में रखी गयी या बाहर भेजी गयी राब या खांडसारी चीनी या गुड़, शक्कर, गुल अथवा जागरी के लेखाओं का रखा जाना और निरीक्षण और परीक्षा के लिये मांगे जाने पर तत्संबंधी अभिलेखों का पेश किया जाना ;

(ज) यूनिट के परिसर में ईख पदाधिकारी की अव्यवहित पहुंच का अनुज्ञात होना ; और

(झ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायं, जिनके अन्तर्गत खरीदी गयी ईख या उत्पादित खांडसारी-चीनी या गुड़, शक्कर, गुल अथवा जागरी अथवा राब का मूल्य और उसका भुगतान, पैकिंग, निपटान, परिदान या वितरण भी हैं ।

18. किसी कारखाने या यूनिट के लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने की शक्ति ।—यदि धारा 15 या 16 के अधीन दिये गये लाइसेंस का लाइसेंसधारी लाइसेंस की शर्तों को किसी प्रकार भंग करे या इस अधिनियम या नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करें तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या ईख आयुक्त (लाइसेंसधारी के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा लाइसेंस को रद्द या निलम्बित कर सकेगा ।

19. यूनिट को स्थानान्तरित करने की शक्ति ।—(1) यदि ईख आयुक्त का समाधान हो जाय कि कोई यूनिट संबद्ध कारखाने के चीनी उत्पादन का असम्यक् रूप से ह्रास करती हो तो वह, इस निमित्त जारी किये गये लिखित आदेश द्वारा यूनिट के स्वामी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह यूनिट को हटाकर आरक्षित क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर ले जाय जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो :

परन्तु हटाने का ऐसा आदेश तबतक जारी न किया जायगा जबतक संबद्ध कारखाने का दखलकार ऐसे स्थानान्तरण के खर्च के भुगतान का भार अपने ऊपर न ले, जो, पक्षकारों के बीच एकरार के आधार पर, अथवा यदि ऐसा कोई करार न हो, तो उसके स्थानान्तरण मद्धे लगनेवाले खर्च और उसके परिकलन के आधार पर, के विषय में, पक्षकारों को लिखित अभिवेदन करने का अवसर देने के बाद, उचित और युक्तियुक्त आधार पर, ईख आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाय :

परन्तु यह और कि जहां यूनिट में यूनिट के स्वामी द्वारा उत्पादित ऊख ही पेरी जाती हो तथा यूनिट में उपयोग के लिये न तो अन्य ईख और न ईख रस ही खरीदा जाता हो वहां यूनिट के स्वामी से उसे स्थानान्तरित करने की अपेक्षा न की जायगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त का आदेश जारी करने पर यूनिट का स्वामी तुरन्त यूनिट का कार्य रोक देगा और लाइसेंस को परिवर्तित स्थल की प्रविष्टि के लिये ईख आयुक्त के समक्ष पेश करेगा ।

20. ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील ।—धारा 16, 18 या 19 के अधीन ईख आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा ।

21. अस्तित्वशील लाइसेंसों का चालू रहना ।—(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी कारखाने के दखलकार या यूनिटों के स्वामी द्वारा बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974 (वि0अ0 15, 1974) के अधीन धारित लाइसेंस पेराई-साल के शेषांश के लिये उसी प्रकार विधिमान्य रहेगा मानो वह लाइसेंस इस अधिनियम के अधीन दिया गया हो ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अस्तित्वशील लाइसेंस को इस अधिनियम के अधीन एक नये लाइसेंस से बदल दिया जायगा अगर इसके निमित्त, यथास्थिति, धारा 15 या 16 के अधीन लाइसेंस दिये जाने के लिये विहित अवधि के भीतर आवेदन किया जाय और विहित फीस का भुगतान कर दिया जाय ।

22. लाइसेंस-फीस ।—(1) इस अध्याय के अधीन दिये गये लाइसेंस के लिये ऐसी फीस का भुगतान किया जायगा जो विहित की जाय ।

(2) कारखानों या यूनिटों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये फीस के भिन्न-भिन्न मान विहित किए जा सकेंगे ।

23. इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्ति ।—यदि किसी व्यक्तिवर्ग के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के किसी या सभी उपबन्धों का ऐसे व्यक्तिवर्ग पर लागू होना असामयिक होगा अथवा उससे कठिनाई होगी तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तिवर्ग को उन उपबंधों के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकेगी ।

24. कर्मचारी लाइसेंस ।—(1) यदि सम्बद्ध कारखाने के दखलकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ईख उत्पादकों तथा सहकारी समितियों के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिये किसी भी क्षेत्र में ईख की खरीद तथा उसके मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में काम करने वाले कारखाना कर्मचारियों की गतिविधियों को लाइसेंस द्वारा नियन्त्रित करना समीचीन है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसे क्षेत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिवर्ग को, जिसे विहित रीति से लाइसेंस न दिया गया हो, कारखाने के दखलकार या प्रबन्धक द्वारा ईख की खरीद के लिये या ईख के मूल्य के भुगतान के लिये किसी भी संव्यवहार के सम्बन्ध में नियोजित न किया जाय ।

(2) किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन लाइसेंस तबतक न दिया
जायगा जबतक कि ऐसा व्यक्ति विहित धनराशि विहित रीति से प्रतिभूति के रूप
में जमा न कर दे।

(3) जहां प्रतिभूति धारा 57 की उप-धारा (2) के अधीन पूर्णतः या अंशतः
समपहृत की गयी हो और लाइसेंसधारी ऐसे समपहरण से पन्द्रह दिनों के भीतर
ही उसका पुनर्भरण न करे, वहां लाइसेंस रद्द समझा जायगा।

अध्याय 4

ईख की खरीद और आपूर्त्ति

25. प्रबंधक की नियुक्ति।—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिनों
के भीतर और उसके बाद प्रति पेराई-साल के प्रारंभ के पूर्व उतनी ही अवधि के
भीतर कारखाने का दखलकार इस अधिनियम या नियमावली के योजनार्थ
प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की सूचना समाहर्त्ता को भेजेगा;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति की प्रथम सूचना जबतक
न भेजी जाय तबतक बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश
1974 (वि0अ0 15, 1974) के अधीन प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया
या नियुक्त समझा गया व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रबंधक समझा जायगा।

(2) कोई भी व्यक्ति तबतक प्रबंधक के रूप में नियुक्त न समझा जायगा
जबतक कि उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रतिभूति के रूप में दो हजार पांच
सौ रुपयों की राशि संबद्ध समाहर्त्ता के पास विहित रीति से जमा न कर दी जाय।

(3) जब कभी कोई नया प्रबंधक नियुक्त किया जाय, कारखाने का दखलकार
समाहर्त्ता को उस परिवर्त्तन की लिखित सूचना उस तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर
भेज देगा जिस तारीख को नया प्रबंधक अपने कार्य का भार ग्रहण करे।

(4) ऐसी किसी अवधि में जिसके लिए उप-धारा (1) और (2) के उप-
बन्धों का अनुपालन किया जाय या प्रबन्धक के रूप में नियुक्त व्यक्ति कारखाने का
प्रबन्ध न करे या धारा 57 की उप-धारा (2) के अधीन समपहरण की हद तक
उसकी प्रतिभूति की राशि पुनर्भरित न की जाय, इस अधिनियम और नियमावली
के प्रयोजनार्थ कारखाने का भूदखलकार कारखाने का प्रबन्धक समझा जायगा।

26. खरीद-एजेंटों की नियुक्ति का प्रतिषेध।—(1) कारखाने का दखलकार
या प्रबंधक ईख की तौल या खरीद या ईख के मूल्य के भुगतान से संबद्ध कार्यों
का सम्पादन वैतनिक कर्मचारियों की सहायता से कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन कारखाने का दखलकार या
प्रबंधक उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये न तो किसी व्यक्ति को
खरीद-एजेंट के रूप में नियुक्त करेगा, न ऐसे किसी प्रयोजन के लिये किसी
व्यक्ति की सेवाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद-एजेंट के रूप में उपयोग
करेगा।

27. कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख की मात्रा का प्राक्कलन।—(1) प्रत्येक
कारखाने का दखलकार प्रत्येक पेराई-साल के पूर्व विहित तारीख को या उसके
पूर्व, ईख आयुक्त के पास विहित रीति से इस विषय में प्राक्कलन भेजेगा कि उस
पेराई-साल के दौरान कारखाने में कितनी ईख अपेक्षित होगी।

(2) ईख आयुक्त उप-धारा (1) के अधीन भेजे गए प्रत्येक प्राक्कलन की
परीक्षा करेगा और जहां किसी कारखाने के दखलकार ने उप-धारा (1) के अधीन
प्राक्कलन प्रस्तुत करने में चूक की हो, वहां वह स्वयं विहित रीति से प्राक्कलन
तैयार करेगा और उसे विहित रीति से वैसे किन्हीं रूपभेदों के साथ प्रकाशित
करेगा जो वह संबद्ध परिषद् के साथ परामर्श के बाद उचित समझे।

(3) विहित प्राधिकारी या तो स्वतः या उप-धारा (2) के अधीन प्राक्कलन
के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर उसके पास कारखाने के दखलकार के आवेदन
करने पर, उक्त उप-धारा के अधीन प्रकाशित प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर सकेगा
और वह प्राधिकारी इस प्रकार पुनरीक्षित प्राक्कलन को विहित रीति से प्रकाशित
करायेगा।

28. ईख की खरीद के प्रारंभ की पूर्व शर्त्तें।—(1) किसी कारखाने का
दखलकार या उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति ईख की खरीद तबतक
प्रारंभ नहीं करेगा जबतक कि निम्नलिखित विषयों के संबंध में यथाविहित समुचित
व्यवस्था न कर ली जाय, अर्थात्—

(क) खरीदी जानेवाली ईख की तौल;
(ख) खरीदी गयी ईख के मूल्य का भुगतान;
(ग) ईख की गाड़ियों के ठहरने का स्थान;
(घ) तौल की जगह तक जाने के लिये पहुंच-मार्ग; और
(ङ) मांग-पंर्चियों का वितरण।

(2) जहां धारा 34 के अधीन सर्वेक्षण न किया गया हो, वहां कारखाने का
दखलकार ईख की खड़ी फसल का सर्वेक्षण ईख की खरीद प्रारंभ होने के पूर्व
विहित रीति से कर लेगा।

29। खरीद-केन्द्रों की स्थापना।—(1) किसी कारखाने का दखलकार या
किसी सहकारी समिति का सचिव, ईख की खरीद के प्रारंभ से कम-से-कम तीस
दिन पूर्व, समाहर्त्ता को लिखित सूचना देने के बाद खरीद-केन्द्र स्थापित कर
सकेगा और कारखाने का दखलकार या सहकारी समिति का सचिव समाहर्त्ता
को दी गयी सूचना की प्रतियां संबद्ध ईख पदाधिकारी और ईख आयुक्त के पास
फौरन भेज देगा:

परन्तु अन्य परिस्थितियों में, किसी खरीद-केन्द्र की स्थापना, समाहर्त्ता के
पूर्व अनुमोदन के अल्पतर सूचना पर भी की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि किसी रेल स्टेशन पर, या किसी अन्य कारखाने को ईख की आपूर्ति के लिए पहले से स्थापित किसी खरीद केन्द्र से आठ किलोमीटर के भीतर किसी स्थान पर खरीद-केन्द्र की स्थापना के लिये ईख आयुक्त की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी।

(2) समाहर्त्ता उप-धारा (1) के अध्यधीन संबद्ध परिषद् से परामर्श करने और कारखाने के दखलकार या सहकारी समिति के सचिव को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित रूप में आदेश दे सकेगा कि ऐसा दखलकार या सचिव—

(क) आदेश के अनुसार किसी खरीद-केन्द्र को उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में अवस्थित कर दे;
(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट स्थान पर नया खरीद-केन्द्र स्थापित करे; और
(ग) पहले से स्थापित किसी खरीद-केन्द्र का कार्य स्थगित कर दे।

(3) विहित प्राधिकारी या तो स्वत: या उसके पास कारखाने के दखलकार या सहकारी समिति के सचिव द्वारा, उप-धारा (2) के अधीन समाहर्त्ता के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर आवेदन किए जाने पर, ऐसे आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, ईख की खरीद या किसी भी क्षेत्र के उसके संचलन, जिसमें उसका रेल द्वारा प्रेषण भी सम्मिलित है, के संबंध में ईख आयुक्त के किसी आदेश या निदेश का पुनरीक्षण विहित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसे यह शक्ति होगी कि वह या तो स्वत: या ऐसे आदेश या निदेश की प्राप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर उसके पास किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर पुनरीक्षण के संबंध में कार्यवाहियों को शुरू करे।

30। रात्रि में ईख की तौल का प्रतिषेध।—राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी क्षेत्र में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कारखाने के दखलकार या उसकी ओर से काम करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा ईख की तौल किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा।

31। आरक्षित क्षेत्र की घोषणा।—(1) ईख आयुक्त, कारखाने की पेराई की क्षमता, ऐसे क्षेत्र में ऊख की उपलभ्यता तथा चीनी के उत्पादन की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए और संबद्ध परिषद्, कारखाने के दखलकार तथा प्रभावित होनेवाले अन्य कारखानों के दखलकारों से परामर्श करने के बाद, और उठाई गई किसी आपत्ति पर विचार कर लेने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा

किसी भी क्षेत्र को किसी खास पेराई-साल या सालों में कारखाने को ईख की आपूर्ति के प्रयोजन से आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी कर सकेगा और उसी प्रकार ऐसे किसी आदेश को रद्द कर सकेगा या ऐसे आरक्षित किए गए क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन कर सकेगा :

परन्तु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित कारखाने की दशा में, ऐसी घोषणा तभी की जायगी जब ऐसे कारखाने का दखलकार ईख आयुक्त के पास, विहित फारम में यह अनुरोध करते हुए कि बिहार के भीतर अमुक क्षेत्र उस कारखाने को ईख आपूर्ति करने के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, एक आवेदन प्रस्तुत करे और ऐसी घोषणा इस शर्त पर की जायगी कि ऐसा दखलकार बिहार राज्य में एक शाखा-कार्यालय खोले और बिहार राज्य में किसी समाहर्त्ता के पास पांच हजार रुपए जमानत के रूप में जमा करे और आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद जैसे क्षेत्र की किसी सहकारी समिति के माध्यम से ही करने के लिए विहित फारम में वचनबद्ध करे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त के आदेश से व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर या सरकारी गजट में उसके प्रकाशन से उसी अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

32। आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख की खरीद।—(1) ईख आयुक्त, सरकारी गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा किसी विनिर्दिष्ट ऊख-उत्पादक या सामान्य रूप से ऊख उत्पादकों के बारे में, यथास्थिति, ऐसे ऊख-उत्पादक या ऊख उत्पादकों द्वारा आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ऊख की वह मात्रा या अनुपात नियत कर सकेगा, जिसकी प्रत्येक ऊख-उत्पादक स्वयं, या यदि वह आरक्षित क्षेत्र की किसी सहकारी समिति का सदस्य हो तो ऐसी समिति के माध्यम से संबद्ध कारखाने को आपूर्ति करेगा।

(2) प्रत्येक ऊख-उत्पादक, सहकारी समिति, या संबद्ध कारखाने का दखलदार उप-धारा (3) और (4) में विनिर्दिष्ट रीति से करार करके, उप-धारा (1) के अधीन नियत मात्रा या अनुपात में ऊख की, यथास्थिति, आपूर्त्ति करने या खरीदने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे किसी व्यक्ति का ऐसा करने में जान-बूझकर चूकना इस अधिनियम के उपबंधों का भंग करना होगा :

परन्तु यदि किसी सहकारी समिति द्वारा किया गया ऐसा व्यतिक्रम उसके किसी सदस्य की चूक के कारण हुआ हो तो ऐसी सहकारी समिति ऐसे व्यतिक्रम के परिमाण तक कारखाने को ईख आपूरित करने के लिए आबद्ध न होगी।

अवधि समाप्त होने ...

(3) किसी आरक्षित क्षेत्र में कोई ईख उत्पादक या सहकारी समिति विहित रूप में और विहित तारीख तक यथास्थिति, ईख-उत्पादक या ऐसी सहकारी समिति या समितियों के सदस्यों द्वारा ऐसे क्षेत्र में उत्पादित ईख उस कारखाने के दखलदार को देने की पेशकश कर सकेगी जिसके लिए वह क्षेत्र आरक्षित हो।

(4) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित है उसका दखलदार उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार पेशकश की गई ईख की खरीद के लिए ऐसे रूप में, उस तारीख तक और ऐसे बन्धेजों और शर्तों पर करार करेगा जो विहित हों:

परन्तु—

(i) ऐसा दखलदार किसी ग्राम की सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा उस ग्राम में उत्पादित ईख की खरीद या ईख खरीदने का करार संबद्ध सहकारी समिति से करेगा अन्यथा नहीं ;

(ii) यदि किसी किस्म की ऊख धारा 36 की अधीन अधिसूचना द्वारा किसी कारखाने के उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित की गई हो, तो ऐसे कारखाने के दखलदार से उस किस्म की ऊख खरीदने या का करार करने की अपेक्षा न की जाएगी ;

(iii) यदि किसी ग्राम में किसी सहकारी समिति के ईख-उत्पादी सदस्यों की संख्या ईख-उत्पादकों की संख्या से ड्योढ़ी या इससे भी अधिक हो, और इस संबंध में ईख आयुक्त द्वारा कोई आदेश विहित रीति से दिया गया एवं सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया हो, तो कारखाने का दखलदार, जबतक ऐसा आदेश प्रवृत्त रहे, ग्राम के किसी ईख-उत्पादक द्वारा उत्पादित ईख की खरीद या ईख खरीदने का करार संबद्ध सहकारी समिति के माध्यम से ही करेगा, अन्यथा नहीं; और

(iv) यदि राज्य सरकार, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दे तो किसी कारखाने का दखलदार अथवा ईख खरीदने के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति किसी आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भाग में उत्पादित ईख की खरीद या ईख खरीदने का करार सहकारी समिति के माध्यम से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के अधीन ईख आयुक्त के किसी आदेश के विशेष अपील सरकारी गजट में अधिसूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर विहित प्राधिकारी के पास की जा सकेगी और ऐसा आदेश ऐसी अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अध्यधीन अन्तिम होगा ।

(6) किसी भी आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना—

(i) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित हो, उससे भिन्न किसी कारखाने के दखलकार को या उसके द्वारा, या

(ii) जिस कारखाने के लिए क्षेत्र आरक्षित हो, उससे भिन्न किसी कारखाने को ईख की आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को या उसके द्वारा, या

(iii) किसी यूनिट के ऐसे स्वामी को या उसके द्वारा, जिसे धारा 16 के अधीन लाइसेंस न दिया गया हो,

बेची या खरीदी नहीं जायगी ।

(7) किसी आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख को ईख-उत्पादक या सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं बेचेगा :

परन्तु कोई ईख-उत्पादक या सहकारी समिति किसी अन्य ईख-उत्पादक अथवा वाहक की मार्फत ईख का परिदान कर सकेगी ।

(8) पेराई-सत्र में, राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि आरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्पादित ऊख कारखाने के दखलकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा तबतक नहीं खरीदी जायगी, जबतक कारखाने का दखलकार आरक्षित क्षेत्र उसे दी जाने की पेशकश की गई सारी ऊख आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर खरीद लेने का करार नहीं कर लेता :

परन्तु ऐसा प्रतिषेध आरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्पादित उस ईख के संबंध में लागू नहीं होगा जिसकी आपूर्ति के लिए लिखित करार ऐसा निदेश जारी किए जाने के पहले ही किया जा चुका हो ।

(9) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार किसी आरक्षित क्षेत्र से ऊख के संचलन को इस प्रकार प्रतिषिद्ध या प्रतिबन्धित या अन्यथा विनियमित कर सकेगी कि ऐसा संचलन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये परमिट के अधीन और अनुसार ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं ।

33. आरक्षित क्षेत्र से बाहर उत्पादित ईख की खरीद ।—आरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में उत्पादित और किसी कारखाने के दखलकार की आपूर्ति के लिये आशयित ईख निम्नलिखित को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा :—

(क) उस कारखाने का दखलकार या ऐसी खरीद करने के लिये उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति ; या

(ख) कोई सहकारी समिति जो ऐसी ईख ऐसे दखलकार को आपूरित करने की आशा रखती हो :

परन्तु ईख खरीदने का हकदार कोई व्यक्ति किसी ईख-उत्पादक या वाहक की मार्फत ईख का परिदान ले सकेगा ।

34. ऊख क्षेत्रों का सर्वेक्षण ।—(1) राज्य सरकार, जब वह ऐसा समुचित समझे, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र में उत्पादित ऊख और ऊख की मंडी के योग्य किसी भी क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये आदेश दे सकेगी और ऐसे सर्वेक्षण का खर्च उस कारखाने या उन कारखानों से वसूल कर सकेगी जिसको या जिनके लिये उस क्षेत्र की ईख की आपूर्ति की जाए ।

(2) इस तरह का प्रत्येक सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त पदाधिकारी द्वारा किया जायगा ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के बाद, उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी के लिए तथा उसके कर्त्तव्य के निर्वहन में सहायतार्थ उसके द्वारा अपेक्षित व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधि-पूर्ण होगा :—

(i) ऐसे परिक्षेत्र में किसी जमीन पर प्रवेश और उसका सर्वेक्षण तथा स्तरमापन करना एवं ऐसे सभी काम और जांच करना, जो उस जमीन का सर्वेक्षण और उसका सीमांकन संपन्न करने के लिए आवश्यक हों;

(ii) अवमृत्ति को खोदना और बेधना;

(iii) चिह्न स्थापित करके तथा गड्ढे खोदकर जमीन को समतल करना, सीमांकन करना और रेखाएं खींचना; तथा

(iv) जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा न हो सके और स्तरमापन, सीमांकन तथा रेखांकन न किये जा सकें, वहां खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के आवश्यक अंश को काटकर साफ करना ।

(4) ईखायुक्त की सहायता के लिये, धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति या ईख पदाधिकारी उप-धारा (3) में वर्णित किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर कर सकेगा जो सरकारी गजट में अधिसूचित की जाय ।

(5) उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट पदाधिकारी सर्वेक्षण के क्रम में किसी सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का मूल्य चुकायेगा या निर्धारित करेगा और इस प्रकार चुकाई गई या निर्धारित रकम की पर्याप्तता संबंधी किसी विवाद की दशा में वह तुरत उस विवाद को समाहर्ता को निर्देशित करेगा, जो संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच करने के बाद जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(6) उप-धारा (5) के अधीन समाहर्ता का आदेश और ऐसे आदेश के अध्यधीन उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट पदाधिकारी का आदेश अंतिम होगा ।

(7) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी या जिसके दखल की भूमि किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन सर्वेक्षण किया जा रहा हो, ऐसा

सर्वेक्षण करनेवाले पदाधिकारी को ऐसी सहायता और सुविधाएं देगा जो विहित की जायें ।

(8) उप-धारा (1) के अधीन किसी कारखाना या किन्हीं कारखानों द्वारा देय कोई रकम लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलनीय होगी ।

(9) इस धारा के अधीन किसी सर्वेक्षण के अभिलेख किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य न होंगे ।

35. पंजी-संधारण ।—(1) कारखाने का दखलकार निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र के तथा ईख-उत्पादकों, ईख आपूरकों तथा सहकारी समितियों की एक पंजी, विहित फारम में रखेगा, अर्थात्—

(क) धारा 31 के अधीन कारखाने के लिये आरक्षित क्षेत्र; और

(ख) कोई अन्य क्षेत्र, जहां से कारखाना ईख खरीद सकता हो ।

(2) यूनिट का स्वामी ऐसी ईख या ईख-रस के संबंध में, जो उसके द्वारा या उसकी ओर से पेरा या खरीदा जाए, विहित फारम में एक पंजी रखेगा ।

(3) राज्य सरकार, नियमावली द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी :—

(क) ऐसी पंजियों की प्रविष्टियों की शुद्धि और उनमें नई प्रविष्टियां बढ़ाना;

(ख) ऐसी शुद्धि एवं परिवर्द्धन संबंधी खर्च का भुगतान और ऐसे खर्च वसूल करने की रीति; तथा

(ग) विहित फीस भुगतान किए जाने पर, पंजियों की प्रविष्टियों की प्रति-लिपियां देना ।

36. कारखानों में उपयोग में लाए जाने के लिए ऊख की किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने की शक्ति—राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के बाद सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि—

(क) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पादित किसी किस्म की ऊख उक्त क्षेत्र में स्थित किसी या सभी कारखानों में उपयोग के लिए अनुपयुक्त है ; और

(ख) किसी किस्म का ऊख-बीज उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के कृषकों में वितरण के लिए अनुपयुक्त है ।

M06

37. अनुपयुक्त बीज के वितरण का प्रतिषेध ।—(1) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करनेवाला कोई अन्य व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी ईख उत्पादक या सरकारी समिति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिये ऐसा किसी किस्म के ऊख-बीज किसी व्यक्ति को वितरित नहीं करेगा जिस किस्म का ऊख-बीज धारा 36 के अधीन, उस क्षेत्र के कृषकों में वितरण के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो ।

(2) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति ऐसी किसी किस्म की ऊख का उत्पादन नहीं करेगा जिस किस्म की ऊख, धारा 36 के अधीन ऐसे कारखाने में उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दी गई हो ।

38. कारखाने के दखलकार द्वारा बीज के जखीरे का अनुरक्षण ।—कारखाने का दखलकार ऊख के बीज का एक विहित जखीरा विहित रीति से उतने क्षेत्र में रखेगा जितना ईख आयुक्त, बोर्ड से परामर्श करके और कारखाने के दखलकार को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद तथा कारखाने की पेरने की क्षमता एवं उसकी ईख की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे ।

39. ईख की सही तौल का अभिलेखन ।—(1) प्रत्येक कारखाने का दखलकार, प्रत्येक युनिट का स्वामी, प्रत्येक सहकारी समिति का सचिव और प्रत्येक तौल-प्रभारी, तौल एवं माप के विषय में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित त्रुटियों की सीमाओं के अध्यधीन तौल स्थान पर खरीदी गई ईख की ठीक-ठीक तौल का अभिलेख रखेगा ।

(2) कोई ईख तौल किए बिना न खरीदी जायेगी ।

40. खरीद-केन्द्रों पर पहुंच-मार्गों आदि की व्यवस्था ।—किसी खरीद केन्द्र पर ईख की खरीद करने वाला, कारखाने का दखलकार या सहकारी समिति निम्नलिखित के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी और उनकी ऐसी मरम्मत करवाती रहेगी, जो विहित की जाएं, अर्थात्:—

(क) पहुंच-मार्ग और पशुचालित गाड़ियों के ठहरने की जगह;

(ख) पशुओं तथा गाड़ीवानों के लिए छाजन;

(ग) खरीद-केन्द्र का उपयोग करनेवाले व्यक्तियों के लिये पेयजल; और

(घ) पशुओं के लिए पेयजल तथा पानी की नादें ।

41. पशुचालित गाड़ी को रोक रखने के लिए प्रतिकर का भुगतान ।—(1) किसी खरीद-केन्द्र पर ईख खरीदनेवाला कोई कारखाने का दखलकार, सहकारी समिति की ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे केन्द्र पर छः घंटे से अधिक पशुचालित गाड़ी को नहीं रोकेगा ।

(2) यदि ऐसे खरीद-केन्द्र पर कोई पशुचालित गाड़ी छः घंटे से अधिक रोक रखी जाए तो यथास्थिति, कारखाने का दखलकार, सहकारी समिति या अन्य व्यक्ति इस प्रकार रोक के लिये ईख-आपूरक को विहित रीति से पचीस पैसे प्रति घंटे की दर से प्रतिकर भागी होगा ।

(3) उप-धारा (1) निर्दिष्ट व्यक्ति पशुचालित गाड़ियों के ठहरने की जगह में उसके प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने का समय लिखने की विहित व्यवस्था करेंगे ताकि हड़ताल होने या मशीनरी के टूट-फूट जाने की स्थिति में अथवा ऐसा कोई कारण होने पर जो उनके वश के बाहर हो, वे उस हद तक प्रतिकर के दायित्व से विमुक्त रहेंगे जो विहित किया जाये ।

अध्याय 5

ईख के मूल्य का भुगतान और अन्य विषय

42. यूनिट को आपूरित ईख का न्यूनतम मूल्य ।—राज्य सरकार, किसी क्षेत्र के संबंध में संबद्ध पेराई-साल में यूनिट के स्वामियों को आपूरित ईख के लिये उनके द्वारा ईख-उत्पादकों या सहकारी समितियों को संदेय न्यूनतम ईख-मूल्य, बोर्ड से परामर्श करने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित कर सकेगी;

परन्तु इस प्रकार अवधारित न्यूनतम मूल्य उसी क्षेत्र से आपूरित ईख के संबंध में तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कारखाने के दखलकार द्वारा संदेय न्यूनतम मूल्य से अधिक न होगा ।

43. ईख के मूल्य का भुगतान ।—(1) कारखाने का दखलकार ईख के मूल्य का भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) (i) ज्योंही किसी कारखाने को ईख की आपूर्त्ति की जायें ऐसे कारखाने का दखलकार इस प्रकार आपूरित ईख का मूल्य चुकाने का भागी हो जाएगा ।

(ii) यदि खंड (i) के अधीन दायी कारखाने का दखलकार कारखाने को ईख की आपूर्त्ति की तारीख से चौदह दिनों से अधिक अवधि तक ईख का मूल्य न चुकाए तो वह उस पर आपूर्त्ति की तारीख से धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज देने का भागी होगा ।

(3) (i) जब सहकारी समिति किसी कारखाने के दखलकार से ईख का मूल्य या उसके ब्याज की रकम प्राप्त कर ले तो समिति का सचिव या कोषाध्यक्ष या ऐसी समिति की ओर से भुगतान का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति कारखाने के दखलकार से रकम प्राप्त होने पर तुरत यथास्थिति ईख-उत्पादकों या ऐसी समिति के सदस्यों को ईख का वह मूल्य और ब्याज की रकम यदि कोई हो देने का भागी होगा ।

(ii) जहां खंड (i) के अधीन दायी व्यक्ति कारखाने से प्राप्त मूल्य या उसके ब्याज का भुगतान ऐसी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों से अधिक अवधि तक न करे तो वह उक्त रकम पर उक्त तारीख से साढ़े सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने/भुगतान करने का भागी होगा ।"

(4) यूनिट का स्वामी अपने को आपूरित ईख के मूल्य का भुगतान आपूर्ति के तुरन्त बाद कर देगा और ऐसा करने में चूक करने पर विहित दर से ब्याज का भागी होगा ।

(5) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी कारखाने का दखलकार अथवा सहकारी समिति का सचिव या कोषाध्यक्ष अथवा ऐसी समिति की ओर से भुगतान का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति या यूनिट का स्वामी समय पर मूल्य का भुगतान न करने के लिये धारा 52 के अधीन दंड का भागी होगा ।

(6) ईख के मूल्य का कोई बकाया उसपर ब्याज के साथ यदि कोई हो लोक-मांग या भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगा ।

(7) कर या उत्पाद-शुल्क के संबंध में केन्द्रीय सरकार के किसी दावे के अध्यधीन रहते हुए ईख का मूल्य कारखाने की चीनी के सिवाय उसकी अन्य संपत्तियों पर प्रथम भार होगा ।

44. कटौती ।—(1) कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन अपने द्वारा या उनकी गारंटी अथवा अन्य प्रकार से किसी बैंक या अन्य संस्थानों के द्वारा दिये गये किसी उधार के मद्दे कटौती के सिवाय ईख के मूल्य में से कोई अन्य कटौती नहीं करेगा । [1]

"परन्तु ईख मूल्य में से कोई भी कटौती संबंधित ईख उत्पादकों के पूर्विक एवं स्वेच्छया करार के बिना नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि, किसी भी हालत में, ऐसी कटौती ईखोत्पादक द्वारा मिल को ईख आपूर्ति किये जाने के पन्द्रहवें दिन या आपूर्ति रसीद मिल के पास जमा किये जाने की तिथि से, जो पहले हो, की गयी समझी जायगी और उसी दिन से संबंधित ईखोत्पादक कटौती की हद तक ऋण एवं सूद की अदायगी के दायित्व से उन्मोचित समझा जायगा और यह मिल मालिक की जिम्मेवारी होगी कि उनकी गारंटी पर संबंधित बैंक या अन्य संस्थान, यदि कोई हो, जिसने उक्त ऋण प्रदत्त किये हों तत्क्षण एवं समुचित क्रेडिटिंग सुनिश्चित करें ।" [2]

---

(1) बिहार अधिनियम 13, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित ।
(2) बिहार अधिनियम 13, 1987 द्वारा जोड़ा जाना ।

(2) सहकारी समिति की ओर से ईख के मूल्य के भुगतान का प्रभारी कोई व्यक्ति उस मूल्य में से समिति द्वारा अपने किसी सदस्य या ईख उत्पादक को दिए गए किसी उधार के मद्दे कटौती के सिवाय कोई अन्य कटौती नहीं करेगा ।

(3) उप-धारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राष्ट्रीय या राज्य योजना के अधीन कोई अंशदायी स्कीम हो वहां ईख उत्पादकों या ईख आपूरकों या सहकारी समितियों या उनके सदस्यों के अंशदानों की वसूली उनकी पूर्व सहमति से ईख के मूल्य में से कटौती करके ली जा सकेगी :

परन्तु कारखाने के दखलकार द्वारा इस प्रकार काटी गई रकम परिषद् की निधि में विहित रीति से जमा कर दी जायगी और उसके ऐसा नहीं करने पर कारखाने का दखलकार धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से व्याज देने का भागी होगा तथा व्याज सहित मूलधन लोक-मांग या भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगा ।

(4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट उन कटौतियों को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई हों रकम जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी कारखाने के दखलकार या किसी अन्य व्यक्ति के पास हो राज्य सरकार के इस निमित्त आदेश के अनुसार बोर्ड या संबद्ध परिषद् की निधि में जमा कर दी जायेगी । यदि ऐसा दखलकार या अन्य व्यक्ति ऐसी रकम इस तरह जमा करने में चूके तो यह लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी और उसपर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज लगेगा ।

45. दावा रहित रकमें परिषद् की निधि में जमा की जायेंगी ।—(1) किसी पेराई सत्र की समाप्ति से दो वर्ष बीत जाने पर राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखाने के दखलकार से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ईख का मूल्य और उसका ब्याज यदि कोई हो जो कि ईख उत्पादकों या ईख आपूरकों या सहकारी समितियों को नहीं दिया जा सका हो उस जिले के समाहर्त्ता के पास जिस जिले में कारखाना स्थित हो या यदि कारखाना बिहार राज्य से बाहर स्थित हो तो उस जिले के समाहर्त्ता के पास जहां से कारखाने के दखलकार ने ईख की खरीद की हो आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा कर दें ।

(2) समाहर्त्ता उप-धारा (1) के अधीन जमा की गई रकम में से उन सभी दावों का भुगतान करेगा जिन्हें वह संदेय समझे और जो सरकारी गजट में राज्य सरकार के आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर उसके समक्ष पेश किए गए हों ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दावों के भुगतान के बाद समाहर्त्ता के पास बची हुई रकम छः महीने के भीतर ही संबद्ध परिषद् की निधि में जमा कर दी जाएगी ।

46. कतिपय विवादों का निर्णय ।—(1) यदि किसी कारखाने के दखलकार को आपूरित ईख के मूल्य, मूल्य के हकदार व्यक्ति या उस कागज के संबंध में

जिसके आधार पर मूल्य का दावा किया गया हो कोई विवाद खड़ा हो तो मूल्य का भुगतान रोक दिया जायगा और जिस कारखाने को ईख की आपूर्ति की गई हो उसका दखलकार उक्त विवाद को विहित फार्म पर बनी पंजी में दर्ज कर लेगा तथा उसे विहित अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को निर्देशित कर देगा। विहित प्राधिकारी संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने तथा ऐसी जांच जैसी वह आवश्यक समझे करने के बाद-विवाद का निर्णय करेगा :

परन्तु, जब कभी इस उप-धारा के अधीन मूल्य का भुगतान रोका जाए कारखाने का दखलकार ऐसे निर्देश के एक सप्ताह के भीतर विवादग्रस्त रकम विहित प्राधिकारी के पास विहित रीति से जमा कर देगा।

(2) किसी कारखाने के दखलकार द्वारा ईख की खरीद अथवा उसे इसकी आपूर्ति विषयक करार से संबंधित कोई अन्य विवाद तथा किसी यूनिट के स्वामी द्वारा ईख या ईख-रस की खरीद और उसके मूल्य के भुगतान से संबंधित कोई विवाद उप-धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को निर्देशित किए जायेंगे जो उस उप-धारा में बताई गई रीति से उनका विनिश्चय कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—यदि कोई ईख उत्पादक या सहकारी समिति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कारखाने के दखलकार से ईख की आपूर्ति को पेशकश करे और उक्त दखलकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करार निष्पादित न करे तो ऐसे अनिष्पादित करार से संबंधित विवाद इस उप-धारा के अर्थ में विवाद होगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस निर्णय से तीस दिनों के भीतर समाहर्त्ता के पास अपील कर सकेंगे जो संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने तथा वैसी जांच, जैसी वह आवश्यक समझे करने के बाद ऐसा आदेश देगा, जो वह उचित समझें।

(4) उप-धारा (3) के अधीन समाहर्त्ता का आदेश और ऐसे आदेश के अध्यधीन उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

47. अन्तिम आदेशों का प्रवर्त्तन।—धारा 46 के अधीन दिए गए अन्तिम निर्णय या आदेश आवेदन करने पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार निष्पादित किए जायेंगे जिस प्रकार उक्त न्यायालय की डिग्री की जाती हैं :

परन्तु यदि धारा 46 के अधीन अंतिम निर्णय या आदेश ईख के मूल्य के बारे में हो तो ऐसा मूल्य व्याज के साथ, यदि कोई हो, लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूलनीय होगा।

48. ईख की खरीद पर कमीशन का दिया जाना।—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कारखाने के दखलकार से अपेक्षा कर सकेगी कि वह अपने द्वारा या अपनी ओर से खरीदी गई ईख पर विहित रीति से प्रति क्विन्टल पन्द्रह पैसा से अनधिक कमीशन दिया करे और उसी तरह अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी नये कारखाने के दखलकार को विहित अवधि तक ऐसे कमीशन के भुगतान से विमुक्त कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय कमीशन विहित रीति से संगृहीत किया जायेगा और इस तरह संगृहीत रकम सहकारी समिति और परिषद् को उस अनुपात में तथा उस रीति से दी जाएगी जो विहित की जाए :

परन्तु किसी सहकारी समिति द्वारा आपूरित ईख पर उसे सात पैसे प्रति क्विन्टल की दर से अधिक कोई राशि संदेय न होगी और शेष पूरी रकम संबद्ध परिषद् को दे दी जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन संदेय कमीशन के बकाये पर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से व्याज लगेगा और वह व्याज सहित, लोक-मांग या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसुलनीय होगा।

49. ऊख पर कर।—(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कर अधिरोपित कर सकेगी :—

(क) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके भीतर अवधि कारखाने के उपयोग या प्रयोग या उसकी विक्रय के लिये उसका प्रविष्टि पर अधिक-से-अधिक एक रुपया प्रति क्विन्टल की दर से कर।

(ख) कारखाने के दखलकार द्वारा या उसकी ओर से ऊख की खरीद पर अधिक-से-अधिक एक रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर :

परन्तु खंड (ख) के अधीन कर ऐसी ऊख पर कारखाने के दखलकार द्वारा संदेय नहीं होगा जिस पर खंड (क) के अधीन अधिरोपित कर उसके द्वारा संदेय हो।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा—,

(क) अनुसंधान, बीज वितरण, रोगग्रस्त ईख की पेराई या अत्यधिक पाला होने के निमित्त ऐसे किसी कारखाने में उपयोजित ईख संबंधी ऐसे कर को कम अथवा पूर्णतः या भागतः परिहृत कर सकेगी।

(ख) किसी नए कारखाने या सरकारी सहायता के बिना न चल सकने वाले कारखाने को विहित अवधि के लिए ऐसे कर से विमुक्त कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन संदेय कर का भुगतान कारखाने के दखलकार द्वारा संबद्ध जिले के समाहर्त्ता को ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए और ऐसे कर के बकाये की रकम पर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज लगेगा और वह ब्याज सहित लोक-मांग के रूप में या भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी।

(4) यूनिट के स्वामी द्वारा ईख की खरीद पर, प्रति क्विंटल ईख पर एक रुपया से अनधिक ऐसी दर से, जो सरकारी गजट में अधिसूचित हो, विहित रीति से कर लगाया और वसूल किया जाएगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कर वस्तुतः खरीदी गई ईख की मात्रा पर या यूनिट के स्वामी के विकल्पानुसार ईख की विहित रीति से माप की गई मात्रा पर, संदेय होगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन संदेय कर का भुगतान यूनिट का स्वामी संबद्ध समाहर्त्ता को विहित रीति से करेगा और बकाए की रकम पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जायगा। बकाए की रकम ब्याज सहित लोक-मांग के रूप में वसूलनीय होगी।

(6) किसी कर या उत्पाद शुल्क के संबंध में केन्द्रीय सरकार के दावे के अध्यधीन रहते हुए उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कर के संबंध में राज्य सरकार का दावा संबद्ध पेराई काल में उत्पादित चीनी पर प्रथम भार होगा।

(7) जबतक उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित कर का भुगतान प्रति क्विंटल चीनी पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित दर से न

कर दिया जाए और संबद्ध ईख पदाधिकारी से भुगतान का प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए तबतक किसी कारखाने का दखलकार या उसकी ओर से कार्य करनेवाले कोई व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति चीनी को कारखाने से न हटाएगा।

(8) बोर्ड और परिषदों को, प्रत्येक पेराई काल के संबंध में उप-धारा (3) और (5) के अधीन वसूल की गई रकम के ऐसे अनुपात जो राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर अवधारित करे विहित रीति से अनुदान के रूप में दिये जाएंगे ताकि वे ऐसी विकास स्कीमों का खर्च पूरा कर सकें जिनका भार उन्होंने राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने ऊपर लिया हो :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन संदेय रकम का पांचवा भाग बोर्ड को और शेष भाग संबद्ध कारखानों द्वारा पेरी गई ईख की मात्रा के अनुपात में परिषदों को दे दिया जायगा।

50. कारखाने के दखलकार द्वारा उधार दिया जाना।

"(1) कारखाने का दखलकार या उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कोई बैंक किसी ईख उत्पादक या सहकारी समिति को ईख की खेती या आपूर्ति से संबद्ध ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से और इतनी राशि तक उधार दे सकेगा जो विहित हो।"[1]

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए उधार पर धारा 51 में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदेय होगा तथा उधार और ब्याज विहित रीति से वसूलनीय होंगे :

51. कतिपय मामलों के संबंध में ब्याज की दर।—(1) धारा 43, 44, 48 या 49 के अधीन किसी कारखाने के दखलकार अथवा धारा 44 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्य ब्याज की दर ग्यारह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी :

परन्तु इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर में उतनी वृद्धि या कमी की गई समझी जाएगी जितनी वृद्धि या कमी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 49 में निर्दिष्ट विद्यमान बैंक दर (मानक दर) में हुई हो।

(2) किसी कारखाने के दखलकार की धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की दर वही होगी जिस दर से ऐसे दखलकार ने चीनी को गिरवी पर या अन्यथा, अग्रिमों के लिए किसी बैंक को ब्याज का भुगतान किया हो :

परन्तु जहां किसी कारखाने का दखलकार एक या अनेक बैंकों को विभिन्न दरों पर ब्याज का भुगतान कर रहा हो वहीं इस उप-धारा के अधीन उसे संदेय दर वह होगी जो उन दरों में निम्नतम हो।

---

(1) बिहार अधिनियम 13, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि किसी कारखाने का दखलकार कारखाने की निधियों को कारखाने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन में खर्च कर रहा है, तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे दखलकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा सदेय ब्याज की दर बढ़ा सकेगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

52. अपराधों के लिए दण्ड ।---यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, या नियमावली के किसी उपबन्ध या इसके अधीन दिए गए आदेश या निर्देश या लाइसेंस के बन्धेजों और शर्तों का उल्लंघन करे या उल्लंघन करने का प्रयत्न करे या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करे, तो वह छः महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों का भागी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद ऐसे उल्लंघन जारी रहने की अवधि में प्रतिदिन के लिए एक हजार रुपये तक अतिरिक्त जुर्माने का भागी होगा :

परन्तु, जहां अपराधी कारखाने के दखलकार या उसके प्रबंधक की ओर से कार्य करता रहा हो, वहां यथास्थिति, ऐसे कारखाने का दखलकार या प्रबंधक, वास्तविक अपराधी के अतिरिक्त या अनुकल्पतः उसी प्रकार दंडनीय होगा जबतक कि वह प्रमाणित न कर दे कि इस अधिनियम, या नियमावली का या इसके अधीन दिए गए आदेश या निदेश या किसी लाइसेंस के बन्धेजों और शर्तों का अनुपालन कराने के लिए उसने समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी और अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना ही किया गया।

53. कार्यवाही का चलाया जाना।---इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन तभी चलाया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी कोई लिखित परिवाद करे, अन्यथा नहीं।

54. अपराध का शमन करने की शक्ति।---इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर ईख आयुक्त, दोषसिद्धि के पहले किसी प्रक्रम में, उस अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन लगाए जानेवाले

जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी रकम के बदले जो वह (ईख आयुक्त) नियत करे, अपराध का शमन कर सकेगा और ऐसी रकम उक्त व्यक्ति से उसी प्रकार वसूलनीय होगी, मानो यह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो :

परन्तु ईख की तौल या ईख के मूल्य के भुगतान संबंधी अपराध का शमन न किया जाएगा।

55. प्रतिभूतियों का समपहरण ।---(1) जहां किसी व्यक्ति ने धारा 16, 24, 25 या 31 के अधीन कोई प्रतिभूति जमा की हो, वहां उसके द्वारा इस अधिनियम या नियमावली के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश के या किसी लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन की दशा में, समाहर्त्ता, उससे इस बात का हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी प्रतिभूति राज्य सरकार के प्रति समपहृत क्यों न कर ली जाए अथवा पूरी प्रतिभूति या उसका कोई अंश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को क्यों न दे दिया जाय जिन्हें उस व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति के अवचार के कारण कोई हानि उठानी पड़ी हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दर्शित किए गए हेतुक पर, यदि कोई हो विचार करने के बाद समाहर्त्ता प्रतिभूति की संपूर्ण राशि या उसके किसी अंश को समपहृत कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि संपूर्ण समपहृत राशि या उसका कोई अंश उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दे दिया जाए जिन्होंने उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई हानि उठाई हो :

परन्तु किसी व्यक्ति की प्रतिभूति उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के अवचार के लिए समपहृत न की जाएगी, यदि वह व्यक्ति समाहर्त्ता के समाधानानुरूप यह सिद्ध कर दे कि यद्यपि उसने अपनी ओर से समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी तथापि ऐसे अन्य व्यक्ति ने अवचार कर दिया।

(3) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उप-धारा (2) के अधीन कोई कारंवाई की गई हो तो ऐसा व्यक्ति उसी उल्लंघन के लिए धारा 52 के अधीन अभियोजन का भागी न होगा।

56. क्षतिपूर्त्ति---(1) इस अधिनियम या नियमावली या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने को आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

(2) इस अधिनियम या नियमावली या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य से हुई या होनी संभाव्य क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

57. ईख आयुक्त और अन्य व्यक्तियों का लोक-सेवक समझा जाना।—ईख आयुक्त, प्रत्येक ईख पदाधिकारी और ईख आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड-संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक समझा जाएगा।

58. गवाहों को बुलाने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश कराने की शक्ति।—इस अधिनियम के अधीन जांचों के प्रयोजनार्थ ईख आयुक्त या उसकी शक्तियों का प्रयोग करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति या ईख पदाधिकारी या धारा 34 के अधीन नियुक्त पदाधिकारी को साक्षियों तथा पक्षकारों को समन करने, उन्हें हाजिर कराने, उनको शपथ पर परीक्षा करने और दस्तावेजों की पेशी के लिए बाध्य करने की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय को होती है:

परन्तु किसी व्यतिक्रमी व्यक्ति पर उक्त संहिता के उपबन्धों के अधीन कोई शास्ति लगाने के प्रयोजनार्थ समुचित कार्रवाई के लिए मामला सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय को निदेशित कर दिया जाएगा।

59. कारखाने के दखलकार का अवधारण।—(1) यदि कारखाने का दखलकार कोई फर्म या व्यक्तियों की अन्य संस्था हो, तो किसी भी भागीदार या सदस्य पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कारखाने का दखलकार दंडनीय हो अभियोजन चलाया जा सकेगा और उसे दंडित किया जा सकेगा:

परन्तु फर्म या संस्था ईख आयुक्त को यह सूचना दे सकेगी कि उसने अपने एक भागीदार सदस्य को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कारखाने का सलाहकार मनोनीत किया है जो ऐसा व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, तबतक दखलकार समझा जाएगा जबतक ईख आयुक्त को उसका मनोनयन रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त न हो या जब वह उस फर्म या संस्था का भागीदार या सदस्य न रह जाए।

(2) यदि कारखाने का दखलकार कोई कम्पनी हो, तो उसके किसी निदेशक पर, या यदि प्राइवेट कम्पनी हो तो उसके किसी भी शेयरधारक पर इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए कारखाने का दखलकार दंडनीय हो, अभियोजन चलाया जा सकेगा और वह दंडित किया जा सकेगा:

परन्तु कम्पनी ईख आयुक्त को यह सूचना दे सकेगी कि उसने अपने एक निदेशक को, या प्राइवेट कम्पनी की दशा में एक शेयरधारक को, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कारखाने का दखलकार मनोनीत किया है और ऐसा निदेशक या शेयरधारक इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ तबतक कारखाने का दखलकार समझा जाएगा जबतक ईख आयुक्त को उसका मनोनयन रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त न हो या जब वह निदेशक या शेयरधारक न रह जाये।

60. सहकारी समिति का अवधारण।—यदि केवल व्यक्तियों से मिलकर बनी ग्राम स्तर की सहकारी समितियां, किसी सहकारी विकास और ईख क्रय-विक्रय संघ से उसके सदस्य रूप में संबद्ध हो तो ऐसा संघ और यदि ऐसी ग्राम स्तर की समितियां किसी सहकारी विकास और ईख क्रय-विक्रय संघ से नहीं बल्कि किसी व्यापार मंडल सहकारी समिति से संबद्ध हों तो ऐसा व्यापार मंडल, किसी ऐसी ग्राम स्तर की सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा उत्पादित ईख की खरीद, विक्रय या आपूर्ति के प्रयोजनार्थ तथा इसकी आनुषंगिक बातों के बारे में सम्बद्ध सहकारी समिति समझी जाएगी।

61. शक्तियों का सौंपा जाना।—राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जानेवाली किसी शक्ति का प्रयोग निदेश में विनिर्दिष्ट मामलों में और शर्तों के अध्यधीन ऐसा पदाधिकारी या प्राधिकारी कर सकेगा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

62. सहकारी कारखानों या यूनिटों को अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की शक्ति।—राज्य सरकार, सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके; बिहार एंड उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 (बि० उ० अ० 6, 1935) के अधीन स्थापित किसी सहकारी समिति के स्वामित्वाधीन कारखाने या यूनिट को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से विमुक्त कर सकेगी अथवा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे कारखाने या यूनिट के संबंध में ऐसे रूपभेदों के साथ ला[illegible] आदेश में विनिर्दिष्ट हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों में ऐसा कोई रूपभेद, जिससे ऐसे संबद्ध कारखाने या यूनिट के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसे कारखाने या यूनिट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना न किया जायगा।

63. अपीलीय प्राधिकारी की अन्तर्वर्ती आदेश देने और अपील फाईल करने में हुए विलम्ब को माफ करने की शक्ति।—यदि इस अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी निर्णय या आदेश को रद्द करने के लिए किसी प्राधिकारी के

पास अपील की जाए तो ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, न्याय के उद्देश्य को विफल होने से बचाने के लिए अपील का निर्णय होने तक ऐसा अन्तर्वर्ती आदेश दे सकेगा, जो उसे न्याय और सुविधाजनक प्रतीत हो अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा, जो न्याय के उद्देश्य की सिद्धि के लिए या अपीलीय प्राधिकारी की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हो तथा यदि उसका समाधान हो जाए कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील नहीं कर पाया है तो वह अपील फाइल करने की अधिकथित अवधि के बाद भी अपील को ग्रहण कर सकेगा।

64. किसी निश्चित अवधि में कतिपय विधियों के अधीन सेसों और करों के अधिरोपण और संग्रहण को विधिमान्यता प्रदान करना।—(1) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी राज्य विधि के अधीन अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत अथवा अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी सेस और कर, विधि के अनुसार, विधिमान्यतः अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत समझे जाएंगे मानो यह अधिनियम ऐसे सभी तात्विक समयों में लागू रहा हो जब ऐसा सेस या कर अधिरोपित, निर्धारित या संग्रहीत किया गया और तदनुसार—

(क) किसी राज्य विधि के अधीन भुगतान किए गए किसी सेस या कर की वापसी के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद हो, अन्य कार्यवाही न चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी।

(ख) कोई भी न्यायालय किसी राज्य विधि के अधीन भुगतान किए गए किसी सेस या कर की वापसी को निदेशित करने वाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित न करेगा; और

(ग) किसी राज्य विधि के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अधिरोपित या निर्धारित, लेकिन उस तारीख के पूर्व संग्रहीत न किया गया, कोई सेस या कर उस राज्य विधि में उपबन्धित रीति से (जहां आवश्यक हो वहां सेस या कर के निर्धारण के बाद) वसूल किया जा सकेगा।

(2) संदेह-निराकरण के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि उससे किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित किसी बात के संबंध में रोक लग जाएगी:—

(क) इस अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अनुसार, किसी अवधि के लिये किसी सेस या कर के अधिरोपण पर प्रश्न उठाना, या

(ख) उसके द्वारा किसी राज्य विधि और तदधीन बनी नियमावली के अधीन शोध्य रकम से अधिक भुगतान किए गए सेस या कर की वापसी का दावा करना।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनार्थ, राज्य विधि से तात्पर्य है—

(क) बिहार सुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, 1937 (बि० अ० सं० 7, 1937)।
(ख) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1968 (बि० अ० सं० 3, 1968)।
(ग) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1968 (बि० अ० सं० 6, 1968)।
(घ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश; 1968 (बि० अ० सं० 13, 1968);
(ङ) बिहार ईख (आपूर्ति एव खरीद का विनियमन) अध्यादेश; 1969 (बि० अ० सं० 4, 1969);
(च) बिहार ऊख (आपूर्ति एव खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1969 (बि० अ० सं० 6, 1969);
(छ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम; 1969 (राष्ट्रपति अधि० 8, 1969);
(ज) बिहार ईख (आपूर्ति एव खरीद का विनियमन) अध्यादेश; 1971 (बि० अ० सं० 20, 1971);
(झ) बिहार ईख (आपूर्ति एव खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1971 (बि० अ० सं० 49, 1971);
(ञ) बिहार ईख (आपूर्ति एव खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1971 (बि० अ० सं० 69, 1971);
(ट) बिहार ईख (आपूर्ति एव खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1972 (बि० अ० सं० 61, 1972);
(ठ) बिहार ईख (आपूर्ति एव खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1972 (बि० अ० सं० 110, 1972);
(ड) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1972 (बि० अ० सं० 165, 1972);
(ढ) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (बि० अ० सं० 47, 1973);
(ण) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1973 (बि० अ० सं० 113, 1973);

(त) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1974 (बि० अ० सं० 15, 1974);
(थ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 84, 1974);
(द) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 115, 1974);
(ध) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं० 135, 1974);
(न) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 36, 1975);
(प) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 91, 1975);
(फ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 135, 1975);
(ब) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश सं० 163, 1975);
(भ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (बिहार अध्यादेश संख्या 215, 1975)।
(म) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 43, 1976);
(य) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 118, 1976);
(र) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 119, 1976);
(ल) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 195, 1976);
(व) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (बिहार अध्यादेश संख्या 196, 1976
(श) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश संख्या 49, 1977);
(ष) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश; 1977 (बिहार अध्यादेश संख्या 48, 1977);
(स) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 93, 1977);
(ह) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 150, 1977);

(हअ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) चतुर्थ अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 197, 1977);
(हआ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) पंचम अध्यादेश, 1977 (बिहार अध्यादेश सं० 262, 1977);
(हइ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1978 (बिहार अध्यादेश सं० 20, 1978);
(हई) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1978 (बिहार अध्यादेश सं० 104, 1978);
(हउ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1979 (बिहार अध्यादेश सं० 33, 1979);
(हऊ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1979 (बिहार अध्यादेश सं० 78, 1979);
(हए) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1979 (बिहार अध्यादेश सं० 127, 1979);
(हऐ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1980 (बिहार अध्यादेश सं० 47, 1980);
(हओ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1980 (बिहार अध्यादेश सं० 78, 1980);
(हऔ) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1980 (बिहार अध्यादेश सं० 127, 1980);
(हअं) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं० 35, 1981);
(हअः) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (बिहार अधिनियम सं० 62, 1981)।
(हक) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं० 76, 1981)।
(हख) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) द्वितीय अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं०
(हग) बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश सं० 184, 1981)।

65. नियमावली बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित किसी या सभी बातों के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात् :—

(*i*) बोर्ड और परिषदों के कृत्य तथा कृत्यों के पालन की रीति ;

(*ii*) बोर्ड और परिषदों के कार्य-संचालन की रीति ;

(*iii*) बोर्ड और परिषदों के अधीन रखी गई निधियों के अनुरक्षण की रीति और प्ररूप तथा उन निधियों का उपयोजन और उनमें से भुगतान की रीति ;

(*iv*) बोर्ड और परिषदों के लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा उसकी आनुषंगिक बातें ;

(*v*) बिहार ऐण्ड उड़ीसा लोकल फण्ड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (बि०उ०अ० 2, 1925) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक से भिन्न लेखा परीक्षक को दिया जानेवाला पारिश्रमिक ;

(*vi*) ईख आयुक्त तथा अन्य प्राधिकारियों और पदाधिकारियों के कृत्य, जिनके द्वारा इस अधिनियम नियमावली के अधीन किन्हीं कृत्यों का पालन होना है ;

(*vii*) अध्याय 3 के अधीन लाइसेंस ;

(*viii*) धारा 25 के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति ;

(*ix*) धारा 27 के अधीन किसी पेराई साल में किसी कारखाने द्वारा अपेक्षित ईख का प्राक्कलन भेजने की तारीख और रीति तथा प्राक्कलन के प्रकाशन की रीति ;

(*x*) प्राधिकारी जो धारा 27 के अधीन तैयार किए गए प्राक्कलन का पुनरीक्षण कर सकेगा ;

(*xi*) धारा 29 के अधीन खरीद-केन्द्रों की स्थापना एवं कार्यचालन ;

(*xii*) फॉरम, जिस पर बिहार राज्य के बाहर स्थित कोई कारखाना धारा 31 के अधीन ईख की आपूर्त्ति के लिए क्षेत्र आरक्षितकरण के लिए आवेदन दे सकेगा ;

(*xiii*) वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन ईख आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी ;

(*xiv*) किसी आरक्षित क्षेत्र में किसी कारखाने के दखलकार द्वारा ईख की खरीद के लिए करार से संबंधित फॉरम, तारीख, बन्धेज और शर्तें ;

(*xv*) धारा 32 के अधीन ईख आयुक्त द्वारा दिया जानेवाला आदेश ;

(*xvi*) वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 32 की उप-धारा (4) के परन्तुक के खंड (*iii*) के अधीन दिए गए ईख आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी ;

(*xvii*) धारा 34 के अधीन सर्वेक्षण करनेवाले पदाधिकारी को स्वामियों और दखलकारों द्वारा दी जानेवाली सहायता ;

(*xviii*) वह फॉरम जिसमें धारा 35 के अधीन पंजी रखी जाएगी उक्त पंजी में प्रविष्टियों का संशोधन और नयी प्रविष्टियों का समावेश, प्रविष्टियों के ऐसे संशोधन या समावेश से संबंधित खर्च का भुगतान और ऐसे खर्च की वसूली की रीति तथा पंजी की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों के लिये संदेय फीस ;

(*xix*) धारा 33 की अपेक्षानुसार बीजों का जखीरा और उसके अनुरक्षण की रीति ;

(*xx*) धारा 43 की अपेक्षानुसार ईख के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था ;

(*xxi*) धारा 44 के अधीन ईख के मूल्य में से कटौती और संबद्ध परिषद् को रकम का भुगतान ;

(*xxii*) धारा 46 के अधीन विवाद दर्ज करने को पंजी का फोरम, वह अवधि जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसे निर्देश किया जायगा ;

(*xxiii*) धारा 46 के अधीन मूल्य जमा करने की रीति तथा वह प्राधिकारी जिसके पास वह जमा किया जायगा ;

(*xxiv*) धारा 48 की अपेक्षानुसार कमीशन के भुगतान की रीति ;

(*xxv*) धारा 48 की उप-धारा (2) के अधीन कमीशन के भुगतान का अनुपात और रीति ;

(*xxvi*) धारा 49 के अधीन संदेय कर के संग्रहण की रीति ;

(*xxvii*) धारा 50 के अधीन उधार देने की रीति और उसकी सीमा ;

(*xxviii*) वह समय जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों के संबंध में आवेदन और अपील की जा सकेगी जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है ;

(*xxix*) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों और अपीलों के लिये संदेय फीसें और ऐसी फीसों के भुगतान की रीति ;

(*xxx*) कारखानों के दखलकारों, सहकारी समितियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा ईख की मांग-पर्चियों का वितरण ;

(*xxxi*) ईख की ठीक तौल, तौल के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, तौल की जांच, तौल का समय और रखे जाने वाले भारी यंत्रों की श्रेणी या प्रकार ;

(*xxxii*) पहुंच-मार्गों की व्यवस्था, तौल-स्थान पर ईख लानेवाली गाड़ियों के ठहरने की जगह, पशुओं तथा गाड़ीवानों के लिए छादन, पशुओं के लिए पानी की नादें तथा अन्य सम्बंधित बातें, और

(*xxxiii*) कोई अन्य बात, जिसका इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो ।

66. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बिहार सुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, 1937 (बिहार अधिनियम संख्या 7, 1937) एवं बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 184, 1981) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) इस अध्यादेश के प्रारंभ के पूर्व बिहार सुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, 1937 (बिहार अधिनियम 7, 1937) या बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 184, 1981) या बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन, (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 76, सन् 1981) के अधीन या धारा 64 (2) राज्य विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (भावी या भूतलक्षी प्रभाव से बनाए गए किसी नियम या जारी की गयी अधिसूचना, दिये गये आदेश, की गयी नियुक्ति, प्रारंभ की गयी कार्यवाही, निर्णीत या माध्यस्थ के लिये निर्देशित विवाद, प्रोद्भूत अधिकार या उपगत दायित्व सहित), उसके निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की गयी समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी दायित्व समयों पर लागू रहे हों जब ऐसी बात या कार्रवाई की गयी थी।

AN

ACT

[Assent by the President on 23rd January 1982 and published in *Bihar Gazette* Extraordinary, dated 25th January 1982]

TO REGULATE THE PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION OF SUGARCANE INTENDED FOR USE IN SUGAR FACTORIES AND KHANDSARI SUGAR MANUFACTURING UNITS AND TAXATION OF SUGARCANE AND MATTERS INCIDENTAL THERETO.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the 32nd year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Sugarcane Board established under section 3;

(b) "cane" means sugarcane intended for use in a factory or unit;